लोक सभा में 28 फरवरी, 2005
को पुरःस्थापित रूप में

2005 का विधेयक संख्यांक 35

[दि फाइनेंस बिल, 2005 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2005

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2005 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 64 तक 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय का योग कर दिया जाएगा और योग की गई आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसे योग की गई आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में, उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी और कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से ;

(ग) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ; धारा 194ङङ; धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें —

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो दस लाख रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें ,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संगृहीत ऐसी राशियां कुल राशि या और, ऐसे संग्रहण के अधीन रहते हुए, जो दस लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकालित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख या धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ , धारा 115ञख और धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है वहां ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय का योग कर दिया जाएगा और योग की गई आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से, ऐसे अवधारित की जाएगी मानो योग की गई आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर या "अग्रिम कर" में से रिबेट घटाकर, इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) तक में यथाविनिर्दिष्ट और संघ के प्रयोजनों के लिए उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार से और संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे विश्वस्तरीय गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2005 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) की घोषणा और भारत में उनके लिए संदाय के विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण करने या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (7) के उपखंड (क) में, "उसकी आय" शब्दों के स्थान पर "उसकी आय या उसके सीमांत फायदों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (23क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(23ख) "सीमान्त फायदों" से धारा 115बख में निर्दिष्ट सीमांत फायदे अभिप्रेत हैं;';

(ग) खंड (42क) के परंतुक में, "पारस्परिक निधि के किसी यूनिट" शब्दों के पश्चात् "या जीरो कूपन बंधपत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (43) में, "पूर्वोक्त तारीख से पूर्व" शब्दों के पश्चात्, "और 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में, इसके अंतर्गत धारा 115बक के अधीन संदेय सीमांत फायदा कर है," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) खंड (47) में, उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ivक) किसी जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन ; या"

(च) खंड 47 और उससे संबंधित स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(48) "जीरो कूपन बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो,—

(क) 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी किया गया है ;

(ख) जिसके संबंध में, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है ; और

(ग) जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः उनके हैं ।'।

धारा 10 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (4) के उपखंड (ii) में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (6खख) में, "31 मार्च, 2005 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 सितंबर, 2005 के पश्चात्" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (10घ) के उपखंड (ग) के दूसरे परंतुक में, "धारा 88 की उपधारा (2क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 80ग की उपधारा (3क) या धारा 88 की उपधारा (2क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) में, "1 अप्रैल, 2005 के पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (15क) के परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर "1 अक्तूबर, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10क का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1क) के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती, ऐसे किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो 31 मार्च, 2009 के पश्चात् किसी विशेष आर्थिक जोन में वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है ।"।

धारा 16 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (i) का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) किसी ऐसे अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा (अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभार्य सीमांत फायदों को छोड़कर) का मूल्य, जो विहित किया जाए ;"।

धारा 32 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (iiक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iiक) ऐसी किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती द्वारा, 31 मार्च, 2005 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित की गई है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि को खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु ऐसी कोई कटौती,—

(क) ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था ; या

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी वास-सुविधा में संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है ; या

(ग) किसी कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान ; या

(घ) किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को, किसी एक पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया गया है,

के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;';

(ख) कोई भारतीय कंपनी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी के उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन की किसी स्कीम में, जो किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किसी आस्ति के बैंककारी संस्था के साथ समामेलन उस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई या प्रवर्तन में लाई गई हो । 1949 का 10

9. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (4) में, "ऐसे विक्रय आगम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे विक्रय आगमों के उतने जितने आरक्षित लेखा में जमा रकम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उपधारा (3) के खंड (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए हैं" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 33कग का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) में "31 मार्च, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2007" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 35 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक की उपधारा (1) में, "उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय" शब्दों के स्थान पर, "उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 35घघक का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) जीरो कूपन बंधपत्र पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिकलित ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि को ध्यान में रखते हुए, छूट की यथाअनुपात रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "छूट" से बंधपत्र जारी करने वाली अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य रकम और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर उस कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा संदेय रकम के बीच का अंतर अभिप्रेत है ;

(ii) "बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि" से बंधपत्र के जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है ;

(iii) "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" के वही अर्थ हैं, जो धारा 10 की उपधारा (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः उनके हैं ;';

(ख) खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiii) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर संदत्त बैंककारी नकद संव्यवहार कर की कोई रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" और "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" पदों के वही अर्थ हैं, जो वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 6 में क्रमशः उनके हैं ।'।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 40 का संशोधन।

"(iग) अध्याय 12ज के अधीन सीमांत फायदा कर मद्दे संदत्त कोई राशि ;"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (3) में, 1 अप्रैल, 2006 से, — धारा 43 का संशोधन।

(क) परतुंक में,—

(i) खंड (ग) में, "या" शब्द, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संशोधित, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1956 का 42

'(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) में निर्दिष्ट किन्हीं शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किया गया कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त एक्सचेंज में किया जाता है ;';

(ख) परतुंक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद,—

(i) "पात्र संव्यवहार" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, —

1956 का 42
1992 का 15
1996 का 22

(अ) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या बैंकों अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में मान्यताप्राप्त पारस्परिक निधियों द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाता है; और

(आ) जिसका ऐसे स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टाम्प संविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा टिप्पण में इसमें निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के अधीन आबंटित विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हो, समर्थन किया जाता है ;

1956 का 42

(ii) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाएं ।'।

धारा 47 का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, खंड (viक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(viकक) किसी बैंककारी कंपनी की, किसी बैंककारी संस्था के साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई समामेलन की किसी स्कीम में, बैंककारी कंपनियों द्वारा बैंककारी संस्था को किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।"। 1949 का 10

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ; 1949 का 10

(ii) "बैंककारी संस्था का" वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है ;'। 1949 का 10

धारा 49 का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 1 में, खंड (iii) के उपखंड (ङ) में, "या खंड (viक)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (viक) या (viकक)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54ङग का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (3) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2006 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां—

(क) ऐसे लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

धारा 54ङघ का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां —

(क) ऐसे लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

नई धारा 72कक का अंतःस्थापन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 72क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में उपबंध ।

'72कक. धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (ii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंककारी कंपनी का बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ कोई समामेलन हो गया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवर्तित की गई थी, ऐसी बैंककारी संस्था की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक समझे जाएंगे तथा हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे । 1949 का 10

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संचयित हानि" से "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन समामेलक बैंककारी कंपनी की उतनी हानि (जो किसी सट्टे के कारबार में लगातार हुई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जिसके लिए ऐसी समामेलक बैंककारी कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा करने के लिए हकदार होती, यदि समामेलन नहीं हुआ होता ;

(ii) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ; 1949 का 10

(iii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है ; 1949 का 10

(iv) "शेष अवक्षयण" से समामेलक बैंककारी कंपनी की उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो ऐसी बैंककारी कंपनी को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष रहती है और जिसे अनुज्ञात किया गया होता, यदि समामेलन न हुआ होता ।'।

धारा 73 का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (4) में, "आठ निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर, "चार निर्धारण वर्षों" शब्द, 1 अप्रैल, 2006 से, रखे जाएंगे ।

नई धारा 80ग का अंतःस्थापन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 80ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती ।

'80ग. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, कर से प्रभार्य उसकी आय में से पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त सम्पूर्ण रकम की, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि है, जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है, कटौती की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशियां, वे राशियां होंगी, जो किसी पूर्ववर्ष में निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित के लिए संदत्त या निक्षिप्त की गई हैं,—

(i) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन बीमा को प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए ;

(ii) उपधारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए, जो खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई वार्षिकी योजना नहीं है, संविदा को, प्रभावी या प्रवृत्त रखने के लिए :

परंतु यह कि ऐसी संविदा में वार्षिकी के संदाय के बदले में नकद संदाय प्राप्त करने के किसी विकल्प के बीमाकृत द्वारा प्रयोग के लिए कोई उपबंध नहीं है ;

(iii) सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यष्टि को संदेय वेतन से ऐसी कटौती के रूप में, जो उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार, उसके लिए आस्थगित वार्षिकी प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए या उसकी पत्नी या पति या बालकों के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए काटी गई राशि है, जहां तक इस प्रकार काटी गई राशि वेतन के एक बटा पांच भाग से अधिक नहीं होती है ;

1925 का 19

(iv) किसी व्यष्टि द्वारा किसी भविष्य निधि के लिए, जिसको भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, अभिदाय के रूप में ;

(v) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित और उसके द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी भविष्य निधि के लिए किसी अभिदाय के रूप, जहां ऐसा अभिदाय, उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम के खाते में है ;

(vi) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में ;

(vii) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि के लिए किसी कर्मचारी द्वारा अभिदाय के रूप में ;

(viii) केन्द्रीय सरकार की ऐसी प्रतिभूति के लिए या किसी ऐसी निक्षेप स्कीम के लिए, जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदान के रूप में ;

1959 का 46

(ix) किसी ऐसे बचतपत्र के लिए, जो सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा (2) में परिभाषित है, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में ;

2002 का 58

(x) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट यूनिट-बद्ध बीमा योजना, 1971 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् यूनिट-बद्ध बीमा योजना कहा गया है) में भागीदारी के लिए उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में अभिदान के रूप में ;

(xi) धारा 10 के खंड 23घ के अधीन अधिसूचित जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की किसी ऐसी यूनिट-बद्ध बीमा योजना में, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भागीदारी के लिए उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के नाम में किसी अभिदाय के रूप में ;

(xii) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता की ऐसी वार्षिकी योजना के लिए, जिसे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी संविदा को प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए ;

(xiii) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि की या प्रशासक से या विनिर्दिष्ट कंपनी से, ऐसी स्कीम के अनुसरण में जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बनाई गई किसी योजना के अधीन किन्हीं यूनिटों में अभिदान के रूप में ;

(xiv) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन अधिसूचित किसी पारस्परिक निधि द्वारा या प्रशासक द्वारा या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, स्थापित किसी पेंशन निधि में किसी व्यष्टि द्वारा अभिदाय के रूप में ;

1987 का 53

(xv) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक कहा गया है) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में या उसके द्वारा स्थापित किसी ऐसी पेंशन निधि में, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, अभिदाय के रूप में ;

(xvi) निम्नलिखित की किसी ऐसी निक्षेप स्कीम में अभिदान के रूप में,—

(क) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का उपबंध करने में लगी हुई है ; या

(ख) आवास वास सुविधा की आवश्यकता से निपटने और उसकी पूर्ति के प्रयोजन के लिए नगरों, कस्बों और ग्रामों या दोनों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए अधिनियमित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित कोई प्राधिकरण,

जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(xvii) (क) भारत में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था में ;

(ख) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक शिक्षा के प्रयोजनों के लिए ;

उसके पश्चात् ट्यूशन फीस के रूप में (विकास फीस या संदान या उसी प्रकृति के संदाय मद्दे किसी संदाय को छोड़कर) चाहे प्रवेश के समय ; या

(xviii) किसी आवासिक गृह सम्पत्ति के, जिससे हुई आय, "गृह सम्पत्ति से आय" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य है, (या जो यदि निर्धारिती के स्वयं के निवास के लिए उपयोग न की गई होती तो उस शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होती), क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसे संदाय निम्नलिखित मद्दे या के रूप में किए जाते हैं —

(क) किसी विकास प्राधिकरण, आवास बोर्ड या अन्य प्राधिकरण की जो स्वामित्वता के आधार पर गृह सम्पत्ति के संनिर्माण और विक्रय में लगा हुआ है, किसी स्वयं वित्त-पोषित या अन्य स्कीम के अधीन शोध्य रकम की कोई किस्त या उसका भागतः संदाय ; या

(ख) किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को जिसका निर्धारिती उसे आबंटित गृह संपत्ति की लागत मद्दे कोई शेयरधारक या सदस्य है, शोध्य रकम की किसी किस्त का या उसका भागतः संदाय ; या

(ग) निर्धारिती द्वारा निम्नलिखित से उधार ली गई रकम का प्रतिसंदाय—

(1) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ; या

(2) कोई बैंक जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक है ; या

(3) जीवन बीमा निगम ; या

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक ; या

(5) आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के सन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण का उपबंध कराने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कोई लोक कंपनी जो धारा 36 की उपधारा (1) खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है ; या

(6) कोई कम्पनी जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है या कोई सहकारी सोसाइटी जहां ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी गृहों के संनिर्माण का वित्तपोषण करने के कारबार में लगी हुई है ; या

(7) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई अन्य निकाय है जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किया गया है ; या

(8) निर्धारिती का नियोजक जहां ऐसा नियोजक कोई पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक सेक्टर कम्पनी या विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय से सहयोजित कोई महाविद्यालय या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई सहकारी सोसाइटी है ; या

(घ) निर्धारिती को ऐसी गृह सम्पत्ति के अंतरण के प्रयोजन के लिए स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस और अन्य व्यय,

किन्तु इसमें निम्नलिखित मद्दे या रूप में कोई संदाय सम्मिलित नहीं है—

(अ) प्रवेश शुल्क, शेयर और आरंभिक निक्षेप की लागत, जिसका किसी कम्पनी के शेयरधारक या किसी सहकारी सोसाइटी के सदस्य को ऐसा शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए संदाय करना है ; या

(आ) गृह सम्पत्ति में ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन या नवीकरण या मरम्मत की लागत, जो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृह सम्पत्ति के संबंध में समापन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् या गृह सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग को निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में लेने या किराए पर देने के पश्चात् की जाती है; या

(इ) कोई व्यय, जिसके संबंध में धारा 24 के उपबंधों के अधीन कटौती अनुज्ञेय है ;

(xix) किसी पब्लिक कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित साधारण शेयरों या पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के भाग रूप डिबेंचरों के लिए अभिदान के रूप में या किसी लोक वित्तीय संस्था द्वारा विहित प्ररूप में किसी पूंजी के किसी उपयुक्त पुरोधरण के लिए अभिदान के रूप में ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से ऐसा पुरोधरण अभिप्रेत है, जो भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत किसी पब्लिक कम्पनी या लोक वित्तीय संस्था द्वारा किया गया है और पुरोधरण के सम्पूर्ण आगमों का पूर्णतया या अनन्य रूप से धारा 80झक की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किसी कारबार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है ;

(ii) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ; 1956 का 1

(iii) "लोक वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क में है ; 1956 का 1

(xx) किसी पारस्परिक निधि की जो धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसी पारस्परिक निधि द्वारा विहित रूप में किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, किन्हीं यूनिटों के लिए अभिदान के रूप में :

परन्तु यह कि यह खंड तभी लागू होगा यदि ऐसी यूनिटों के लिए अभिदान की रकम का केवल किसी कम्पनी की पूंजी के उपयुक्त पुरोधरण में अभिदान किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनो के लिए "पूंजी का उपयुक्त पुरोधरण" से उपधारा (2) के खंड (xix) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में निर्दिष्ट कोई पुरोधरण अभिप्रेत है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी के लिए संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी के लिए दिए गए किसी प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय पर केवल उतने के संबंध में लागू होंगे, जो बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि से बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसी सुनिश्चित वास्तविक पूंजी राशि को संगणित करने में निम्नलिखित को हिसाब में नहीं लिया जाएगा,—

(i) वापस करने के लिए करार पाए गए किसी प्रीमियम का मूल्य ; या

(ii) बीमाकृत वास्तविक राशि से अधिक बोनस के रूप में या अन्यथा कोई फायदा, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) उस उपधारा के खंड (i), खंड (v), खंड (x) और खंड (xi) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक ; और

(ii) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में उसका कोई सदस्य ;

(ख) उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, व्यष्टि, ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति और कोई बालक ;

(ग) उस उपधारा के खंड (xvii) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यष्टि की दशा में, ऐसे व्यष्टि के कोई दो बालक ।

(5) जहां किसी पूर्ववर्ष में कोई निर्धारिती,—

(i) उपधारा (2) के खंड (i) में निर्दिष्ट अपनी बीमा संविदा को उस आशय की सूचना द्वारा पर्यवसित कर देता है या जहां संविदा किसी प्रीमियम का संदाय करने में असफलता के कारण प्रवर्तन में नहीं रहती है,—

(क) किसी एकल प्रीमियम पालिसी की दशा में, बीमा के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् दो वर्ष के भीतर ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, प्रीमियमों के दो वर्ष तक संदाय करने से पूर्व ; या

बीमा संविदा पुनरुज्जीवित न करके ;

(ii) उपधारा (2) के खंड (x) या खंड (xi) में निर्दिष्ट किसी यूनिट संबंधी बीमा योजना में, उस आशय की सूचना द्वारा अपनी भागीदारी को पर्यवसित करता है या जहां वह ऐसी भागीदारी के संबंध में अभिदायों को पांच वर्षों तक संदत्त करने से पूर्व अपनी भागीदारी को पुनरुज्जीवित न करके किसी अभिदाय का संदाय करने में असफल रहने के कारण भागीदार नहीं रहता है; या

(iii) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें उसके द्वारा ऐसी संपत्ति का कब्जा अभिप्राप्त किया जाता है, पांच वर्षों के अवसान से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xviii) में निर्दिष्ट गृह सम्पत्ति का अंतरण करता है, या प्रतिदाय के रूप में या अन्यथा उस खंड में विनिर्दिष्ट कोई राशि वापस प्राप्त करता है,

तब,—

(क) ऐसे पूर्ववर्ष में, उपधारा (2) के खंड (i), खंड (x), खंड (xi) और खंड (xviii) में निर्दिष्ट संदाय की गई राशियों में से किसी राशि के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती को कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं होगी ; और

(ख) पूर्ववर्ष या ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्वगामी वर्षों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञेय आय की कटौतियों की कुल रकम ऐसे पूर्व वर्ष की निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

(6) यदि, किन्हीं ऐसे साधारण शेयरों या डिबेंचरों का, जिनकी लागत के प्रतिनिर्देश से उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, निर्धारिती द्वारा किसी व्यक्ति को उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय विक्रय या अन्यथा अंतरण किया जाता है तो पूर्ववर्ष या पूर्ववर्ष के पूर्वगामी वर्ष में, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण होता है, ऐसे साधारण शेयरों या डिबेन्चरों के संबंध में इस प्रकार अनुज्ञात आय की कटौती की कुल रकम निर्धारिती की ऐसे पूर्ववर्ष की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर से दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने पब्लिक कंपनी के ऐसे शेयरों या डिबेंचरों का उस तारीख को अर्जन कर लिया है, जिसको उसका नाम, यथास्थिति, सदस्यों या डिबेंचर धारकों के रजिस्टर में उन शेयरों या डिबेंचरों के संबंध में प्रविष्ट किया जाता है ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (vii) में निर्दिष्ट बीमा, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि ;

(ख) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xii) से खंड (xiiiक) में निर्दिष्ट यूनिट संबंधी बीमा योजना और वार्षिकी योजना;

(ग) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xiiiग) से खंड (xivक) में निर्दिष्ट पेंशन निधि और निक्षेप स्कीम में अभिदान ;

(घ) धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी आवासिक गृह के क्रय या सन्निर्माण के लिए उधार ली गई रकम,

इस धारा के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कटौती के लिए पात्र होगी और कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय होगी।

(8) इस धारा में,—

2002 का 58

(i) "प्रशासक" से ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट है ;

(ii) किसी निधि में "अभिदाय" में उधार के प्रतिसंदाय में कोई राशियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(iii) "बीमा" के अंतर्गत निम्नलिखित होगा,—

(क) किसी व्यष्टि या ऐसे व्यष्टि की पत्नी या पति या बालक या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य की जीवन संबंधी बीमा पालिसी जो परिपक्वता की नियत तारीख को विनिर्दिष्ट रकम का संदाय सुनिश्चित करती हो, यदि ऐसा व्यक्ति उस तारीख को जीवित हो इस बात के होते हुए भी कि बीमा पालिसी केवल ऐसे व्यक्ति की उक्त नियत तारीख के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में संदाय किए गए प्रीमियमों की (उन पर ब्याज सहित या उसके बिना) वापसी के लिए उपबंध करती है ;

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा किसी अवयस्क के फायदे के लिए उस अवयस्क को, उसको वयस्कता प्राप्त कर लेने के पश्चात्, उसके अपने जीवन के संबंध में उस पालिसी को अंगीकृत करके और उसके

जीवित रहने की दशा में इस निमित्त पालिसी में विनिर्दिष्ट (ऐसे अंगीकृत किए जाने के पश्चात्) बीमा सुनिश्चित करने के लिए बीमा किया गया है ;

(iv) "जीवन बीमा निगम" से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है ; 1956 का 31

(v) "पब्लिक कंपनी" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में है ; 1956 का 1

(vi) "प्रतिभूति" से कोई सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित है ; 1944 का 18

(vii) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट है ; 2002 का 58

(viii) "अंतरण" के अंतर्गत धारा 269पक के खंड (च) में निर्दिष्ट संव्यवहार भी सम्मिलित समझा जाएगा ।'।

धारा 80गगग का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती धारा 80ग के अधीन 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।" ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(4) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है वहां,—

(क) ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई रिबेट 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व समाप्त होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;

(ख) ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

नई धारा 80गगङ का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा।

"80गगङ. धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 80ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती ।

'80ङ. (1) किसी ऐसे निर्धारिती की, जो व्यष्टि है, कुल आय की संगणना करने में, इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए अपनी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की कर से प्रभार्य उसकी आय में से कटौती की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कटौती आरम्भिक निर्धारण वर्ष और आरंभिक वर्ष से ठीक आगामी सात निर्धारण वर्षों के संबंध में या निर्धारिती द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज के संदत्त किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कुल आय की संगणना करने में पूर्ण रूप से अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "अनुमोदित पूर्त संस्था" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) में विनिर्दिष्ट संस्था या उसके अधीन पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था अथवा धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई संस्था ;

(ख) "वित्तीय संस्था" से अभिप्रेत है कोई ऐसी बैंककारी कंपनी, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसमें उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था सम्मिलित है) ; या कोई ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ; 1944 का 10

(ग) "उच्चतर शिक्षा" से इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, प्रबंध में किसी स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए या अनुपर्युक्त विज्ञान या शुद्ध विज्ञान में, जिसके अंतर्गत गणित और सांख्यिकी हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पूर्णकालिक अध्ययन अभिप्रेत है ;

(घ) "आरंभिक निर्धारण वर्ष" से ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें निर्धारिती उधार पर ब्याज का संदाय करना आरंभ करता है ।'।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के उपखंड (क) में " ऐसी कंपनियों के किसी संघ" शब्दों के पश्चात्, "या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम या किसी अन्य निकाय" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 80झक का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 80झख का संशोधन।

(क) उपधारा (4) के चौथे परंतुक में, "31 मार्च, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (8क) के खंड (iii) में "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, " 1 अप्रैल, 2007" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ का 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 80ठ का लोप ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 88 का संशोधन।

"(9) इस धारा के अधीन आय-कर की रकम से कोई कटौती ऐसे किसी निर्धारिती को, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 88ख का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88ख का लोप।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 88ग का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88ग का लोप।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 88घ का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 88घ का लोप ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (घ) के नीचे आने वाले परंतुक में "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट हैं" शब्दों के पश्चात्, "या जीरो कूपन बंधपत्र" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 112 का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2006 से, — धारा 115क का संशोधन।

(i) उपखंड (अ) में, "31 मई, 1997 के पश्चात् किए गए किसी करार" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मई, 1997 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 से पूर्व किए गए किसी करार" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (अ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(अअ) कुल आय में सम्मिलित स्वामिस्व के रूप में, यदि कोई हो, आय पर दस प्रतिशत की दर से, यदि ऐसा स्वामिस्व 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होता है, परिकलित आय-कर की रकम;";

(iii) उपखंड (आ) में, "31 मई, 1997 के पश्चात् किए गए किसी करार; और " अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 मई, 1997 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 से पूर्व किए गए किसी करार" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) उपखंड (आ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(आआ) कुल आय में सम्मिलित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में, यदि कोई हो, आय पर, दस प्रतिशत की दर से, यदि तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त होती है, परिकलित आय-कर की रकम ;" ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 115ञकक का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी निर्धारिती द्वारा जो कोई कंपनी है, धारा 115ञख की उपधारा (1) के अधीन कर की किसी रकम का, 1 अप्रैल, 2006 को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए संदाय किया जाता है, वहां इस प्रकार संदाय किए गए कर के मुजरा को इस धारा के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 115ञक की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठक के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 115ञक की उपधारा (1) के अधीन या धारा 115ञख की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ में, 1 अप्रैल, 2006 से खंड (vii) का लोप किया जाएगा । धारा 115फघ का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12छ के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नए अध्याय 12ज का अंतःस्थापन ।

'अध्याय 12ज

सीमांत फायदों पर आय-कर

अ—कतिपय पदों का अर्थ

115ब. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "नियोजक" से अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब जो ऐसे कारबार या वृत्ति में लगा हुआ है, जिसके लाभ और अभिलाभ, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से निर्धारणीय हैं ;

(ii) कोई कंपनी ;

(iii) कोई फर्म ;

(iv) व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं ;

(v) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; और

(vi) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो किसी पूर्ववर्ती उपखंडों के अंतर्गत नहीं आता है ;

(ख) "सीमांत फायदा कर" या "कर" से धारा 115बक के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है ।

आ—प्रभार का आधार

सीमांत फायदा कर का प्रभारण ।

115बक. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित आय-कर के अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए किसी नियोजक द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे गए सीमांत फायदों के संबंध में ऐसे सीमांत फायदों के कुल मूल्य पर तीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे इस अधिनियम में सीमांत फायदा कर कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा ।

(2) इस बात के होते हुए भी कि किसी नियोजक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर कोई आय-कर संदेय नहीं है, सीमांत फायदों पर कर ऐसे नियोजक द्वारा संदेय होगा ।

सीमांत फायदों का अर्थ ।

115बख. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "सीमांत फायदों" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई विशेषाधिकार, सेवा, सुविधा या सुख-सुविधा, जो किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को (जिसके अंतर्गत भूतपूर्व कर्मचारी भी है या हैं) उनके नियोजन के कारण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई हो ; या

(ख) नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को किसी भी प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से की गई कोई प्रतिपूर्ति;

(ग) कर्मचारियों और उनके कुटुंब के सदस्यों को अपनी निजी यात्राओं के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई निःशुल्क या रियायती टिकट; और

(घ) किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में नियोजक द्वारा कोई अभिदाय ।

(2) सीमांत फायदे उपलब्ध कराए गए समझे जाएंगे, यदि नियोजक ने अपने कारबार या वृत्ति, जिसके अन्तर्गत कोई क्रियाकलाप भी है, चाहे ऐसा क्रियाकलाप आय, लाभ या अभिलाभ व्युत्पन्न के उद्देश्य से किया जाता हो अथवा नहीं, के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रयोजनों पर कोई व्यय उपगत किया है या उसके लिए कोई संदाय किया है, अर्थात् :—

(क) मनोरंजन ;

(ख) उत्सव समारोह ;

(ग) दान ;

(घ) क्लब सुविधाओं का उपयोग ;

(ङ) नियोजक द्वारा किसी व्यक्ति के लिए हर प्रकार के आतिथ्य का उपबंध, चाहे खाद्य और सुपेयों की व्यवस्था के रूप में या किसी भी प्रकार की किसी अन्य रीति में हो और चाहे ऐसी व्यवस्था किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा या रूढ़ि या प्रथा के कारण की गई हो या नहीं, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्यालय या कारखाने में उपलब्ध कराए गए खाद्य या सुपेयों से संबंधित व्यय या उसके लिए संदाय नहीं है ;

(च) अतिथि गृह के प्रकार की किसी वास-सुविधा का अनुरक्षण ;

(छ) सम्मेलन ;

(ज) कर्मचारी कल्याण ;

(झ) स्वास्थ्य क्लब, खेलकूद और वैसी ही सुविधाओं का उपयोग ;

(ञ) विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है ;

(ट) वाहन, पर्यटन और यात्रा, जिसके अंतर्गत विदेश यात्रा भी है ;

(ठ) होटल, बोर्डिंग और वास ;

(ड) मोटर कारों की मरम्मत, चालू रखना और अनुरक्षण ;

(ढ) वायुयान मरम्मत, चालू रखना और अनुरक्षण ;

(ण) औद्योगिक ईंधन से भिन्न ईंधन की खपत ;

(त) टेलीफोन का उपयोग ;

(थ) कर्मचारियों के बालकों के लिए छात्रवृत्ति ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विशेषाधिकार, सेवा, प्रसुविधा या सुख-सुविधा के अंतर्गत ऐसी परिलब्धियां, जिनके संबंध में अध्याय 4 के अधीन नियोजक द्वारा कर का संदाय किया जाता है या संदेय है या निःशुल्क अथवा सहायता प्राप्त परिवहन की प्रकृति की कोई प्रसुविधा या सुख-सुविधा या ऐसा कोई भत्ता नहीं है, जो नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को कर्मचारियों द्वारा अपने निवास से कार्य के स्थान या ऐसे कार्य के स्थान से निवास स्थान की यात्रा के लिए दिया जाता है, धारा 10 के खंड (14) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट परिवहन भत्ते की प्रकृति का कोई भत्ता नहीं है ।

सीमांत फायदों का मूल्य ।

115बग. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, सीमांत फायदों का मूल्य निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :—

(क) कर्मचारी या कर्मचारियों से संदत्त या वसूल की गई रकम को, यदि कोई हो, घटाकर आया वह खर्च, जिस पर धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट फायदे नियोजक द्वारा अपने जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाते हैं :

परंतु उस दशा में जहां धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय उक्त धारा की उपधारा (2) के किसी अन्य खंड में सम्मिलित किए जाते हैं, वहां उस अन्य खंड के अधीन सम्मिलित किए गए कुल व्यय को सीमांत फायदे के मूल्य की संगणना करने के लिए उक्त खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यय की रकम में से घटा दिया जाएगा ;

(ख) धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट अभिदाय की वास्तविक रकम ; और

(ग) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यय का पचास प्रतिशत ;

(घ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यय का पचास प्रतिशत :

परंतु किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो होटल के कारबार में लगा है इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "पचास प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए थे ;

(ङ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (च) से खंड (ञ) में निर्दिष्ट व्ययों का पचास प्रतिशत ;

(च) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत ;

(छ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (ढ) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत :

परंतु, यथास्थिति, मोटर कार या वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगे हुए किसी नियोजक की दशा में, इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ड) और खंड (ढ) में निर्दिष्ट व्ययों के बीस प्रतिशत की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपखंडों में निर्दिष्ट मोटर कारों और वायुयानों पर अवक्षयण को सीमांत फायदे में सम्मिलित किया जाएगा ;

(ज) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (ण) में निर्दिष्ट व्ययों का बीस प्रतिशत :

परंतु किसी यात्रियों या माल के वहन के कारबार में लगा हुआ किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो इस खंड के उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए थे ;

(झ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (त) में निर्दिष्ट व्ययों का दस प्रतिशत ;

(ञ) धारा 115बख की उपधारा (2) के खंड (थ) में निर्दिष्ट छात्रवृत्ति प्रदान कराने में उपगत वास्तविक रकम।

इ—सीमांत फायदों के संबंध में विवरणी देने के लिए प्रक्रिया और उसके संबंध में कर का निर्धारण तथा संदाय

सीमांत फायदों की विवरणी ।

115बघ. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक ऐसा नियोजक, जिसने किसी पूर्ववर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को ऐसे सीमांत फायदों का संदाय किया है या संदाय के लिए उपबंध किया है, नियत तारीख को या उससे पूर्व, निर्धारण अधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं पूर्ववर्ष के संबंध में सीमांत फायदों की एक विवरणी प्रस्तुत करेगा या कराएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "नियत तारीख" से अभिप्रेत है,—

(क) जहां नियोजक,—

(i) कोई कंपनी है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) है, जिसके लेखा इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं,

निर्धारण वर्ष का 31 अक्तूबर ;

(ख) किसी अन्य नियोजक की दशा में, निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई ।

(2) किसी ऐसे नियोजक की दशा में, जो निर्धारण अधिकारी की राय में, इस अधिनियम के अधीन सीमांत फायदा कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है और जिसने उपधारा (1) के अधीन विवरणी नहीं दी है, निर्धारण अधिकारी, नियत तारीख के पश्चात्, उसे एक सूचना जारी कर सकेगा और उसकी उस पर तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणी दे ।

(3) सीमांत फायदा कर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी ऐसा कोई नियोजक, जिसने उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, किसी पूर्ववर्ष के लिए विवरणी दे सकेगा ।

(4) यदि किसी नियोजक को, उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के अनुसरण में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने पर, उसमें किसी लोप या किसी गलत कथन का पता चलता है तो वह सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व या निर्धारण पूरा होने से पूर्व, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित विवरणी दे सकेगा ।

निर्धारण ।

115बङ. (1) जहां, कोई विवरणी धारा 115बघ के अधीन तैयार की गई है,—

(i) यदि स्वतः निर्धारण पर संदत्त किसी अग्रिम कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम के समायोजन के पश्चात् ऐसी विवरणी के आधार पर कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है तो उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारिती को इस प्रकार संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी और ऐसी सूचना धारा 156 के अधीन जारी की गई मांग की सूचना समझी जाएगी और इस अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे ; और

(ii) यदि ऐसी विवरणी के आधार पर कोई प्रतिदाय देय है तो उसे निर्धारिती को दिया जाएगा और इस आशय की एक सूचना निर्धारिती को भेजी जाएगी :

परंतु इस उपधारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जहां निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे कोई प्रतिदाय देय नहीं है वहां विवरणी की अभिस्वीकृति इस उपधारा के अधीन सूचना समझी जाएगी :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

(2) जहां, कोई विवरणी धारा 115बघ के अधीन दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने सीमांत फायदे के मूल्य का कम कथन नहीं किया है या किसी भी रीति में कर का कम संदाय नहीं किया है तो वह निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके कार्यालय में उपस्थित हो या वहां ऐसे किसी साक्ष्य को पेश करे या पेश कराए, जिस पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है :

परंतु इस उपधारा के अधीन किसी सूचना की निर्धारिती पर, उस मास के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से बारह मास की समाप्ति के पश्चात् तामील नहीं की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को या यथाशीघ्र पश्चात्, ऐसे साक्ष्य की जो निर्धारिती प्रस्तुत करे, और ऐसे अन्य साक्ष्य की, जिसकी निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अपेक्षा करे, सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर, जो उसने एकत्रित की हैं, विचार करने के पश्चात् निर्धारण अधिकारी लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती द्वारा संदत्त या संदेय सीमांत फायदों के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि का या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय का निर्धारण करेगा ।

(4) जहां, धारा 115बच की उपधारा (3) के अधीन कोई नियमित निर्धारण किया जाता है वहां,—

(क) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई कर या ब्याज ऐसे नियमित निर्धारण के संबंध में संदत्त किया गया समझा जाएगा ;

(ख) यदि नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है या उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक हो जाती है, तो इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम को निर्धारिती द्वारा संदेय कर समझा जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण।

115बच. यदि कोई व्यक्ति, जो नियोजक है—

(क) धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरणी तैयार करने में असफल रहता है और उसने उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई विवरणी या उपधारा (4) के अधीन कोई पुनरीक्षित विवरणी तैयार नहीं की है, या

(ख) धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किसी निदेश का पालन करने में असफल रहता है, या

(ग) विवरणी तैयार करने पर धारा 115बङ की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है,

तो निर्धारण अधिकारी, सभी सुसंगत सामग्री पर, जो निर्धारण अधिकारी ने एकत्रित की हैं, विचार करने के पश्चात्, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारिती से यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करके उसे एक अवसर दिया जाएगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने वाली किसी तारीख और समय पर यह हेतुक दर्शित करे कि निर्धारण को उसकी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए :

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना इस धारा के अधीन निर्धारण करने से पूर्व जारी की गई है, ऐसा अवसर देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

निर्धारण से छूट गए सीमांत फायदे ।

115बछ. यदि निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कर से प्रभार्य कोई सीमांत फायदा किसी निर्धारण वर्ष के निर्धारण से छूट गया है तो वह धारा 115बज, धारा 150 और धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) ऐसे सीमांत फायदों का औरकर से प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमांत फायदों का, जो निर्धारण से छूट गए हैं और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में बाद में उसकी जानकारी में आते हैं, निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित भी ऐसे मामले समझे जाएंगे जहां कर से प्रभार्य सीमांत फायदे निर्धारण से छूट गए हैं, अर्थात् :—

(क) जहां निर्धारिती द्वारा सीमांत फायदों की कोई विवरणी नहीं दी गई है ;

(ख) जहां निर्धारिती द्वारा सीमांत फायदे की विवरणी दी गई है किंतु कोई निर्धारण नहीं किया गया है और निर्धारण अधिकारी द्वारा यह देखा गया है कि निर्धारिती ने विवरणी में सीमांत फायदे के मूल्य का कम कथन किया है ;

(ग) जहां कोई निर्धारण किया गया है, किंतु कर से प्रभार्य सीमांत फायदा कम निर्धारित किया गया है ।

जहां सीमांत फायदा निर्धारण से छूट गया है वहां सूचना का जारी किया जाना ।

115बज. (1) धारा 115बच के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने से पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सीमांत फायदों की, जिनके संबंध में सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान इस अध्याय के अधीन वह निर्धारणीय है, विहित प्ररूप

में और विहित रीति में सत्यापित करे तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी प्रस्तुत करे और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार, जहां तक हो सके इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 115बघ के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो ।

(2) निर्धारण अधिकारी, इस धारा के अधीन कोई सूचना जारी करने से पूर्व, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से छह मास की समाप्ति के पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए जारी नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—ऐसे कर से, जो इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से छूट गया है, प्रभार्य ऐसे सीमांत फायदों का अवधारण करने में धारा 115बछ के स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

(4) उस दशा में, जहां धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बछ के अधीन सुसंगत वर्ष के लिए कोई निर्धारण किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त का निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए सही मामला है ।

सीमांत फायदा कर का संदाय ।

115बझ. इस बात के होते हुए भी कि किसी सीमांत फायदे के संबंध में नियमित निर्धारण किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में किया जाना है, ऐसे सीमांत फायदे पर कर, धारा 115बच के उपबंधों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम में संदेय होगा, ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में, जो उस वित्तीय वर्ष से ठीक आगामी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य है, ऐसे सीमांत फायदों को इस अध्याय में इसके पश्चात्, "चालू सीमांत फायदे" कहा गया है ।

सीमांत फायदों के संबंध में अग्रिम कर ।

115बञ. (1) प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 115बझ के अधीन अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी है, स्वप्रेरणा से, उपधारा (2) में अधिकथित रीति में संगणित अपने चालू सीमांत फायदों पर अग्रिम कर का संदाय करेगा ।

(2) वित्तीय वर्ष में किसी निर्धारिती द्वारा संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय धारा 115बग में निर्दिष्ट सीमांत फायदे के मूल्य का तीस प्रतिशत होगी और ऐसी तिमाही के आगामी मास की पंद्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगी:

परंतु यह कि वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए संदेय अग्रिम कर उक्त वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पूर्व संदेय होगा ।

(3) जहां कोई निर्धारिती, किसी तिमाही के लिए अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहा है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर, उस तिमाही में संदत्त या संदेय सीमांत फायदों के मूल्य के तीस प्रतिशत से कम है वहां वह उस रकम पर, जिससे संदत्त अग्रिम कर कम होता है तिमाही या प्रत्येक मास या उस मास के भाग के लिए जिसके लिए कमी जारी रहती है, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

सीमांत फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ।

115बट. जहां सीमांत फायदों के लिए विवरणी धारा 115बघ की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है या नहीं दी जाती है वहां नियोजक नियत तारीख से ठीक अगली तारीख को प्रारंभ होने वाली और,—

(क) जहां विवरणी नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है, वहां विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली ; या

(ख) जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 115बच के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को समाप्त होने वाली,

अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए, जो धारा 115बङ की उपधारा (1) के या नियमित निर्धारण के अधीन यथाअवधारित हो, सीमांत फायदों के मूल्य पर कर की उस रकम पर, जिसमें से धारा 115बञ के अधीन संदत्त अग्रिम कर घटा दिया गया हो, एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में, 'नियत तारीख' से धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है जो नियोजक के मामले में लागू होती है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई निर्धारण धारा 115बछ के अधीन प्रथम बार किया जाता है वहां इस प्रकार किए गए निर्धारण को इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियमित निर्धारण समझा जाएगा ।

(2) धारा 234क की उपधारा (2) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंध यथासाध्य इस धारा को लागू होंगे ।

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना।

115बठ. इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, यथाशक्य, सीमांत फायदों के संबंध में भी लागू होंगे ।'।

धारा 119 का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) "धारा 115त, धारा 115ध", शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 115त, धारा 115ध, धारा 115बघ, धारा 115बङ, धारा 115बच, धारा 115बछ, धारा 115बज, धारा 115बञ, धारा 115बट" शब्द अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "आय के किसी वर्ग" शब्दों के स्थान पर, "आय या सीमांत फायदों के किसी वर्ग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 124 का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (3) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) खंड (क) में,—

(अ) "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) "धारा 143 की उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (2) या धारा 143 की उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "उसने विवरणी देने के लिए धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन सूचना द्वारा या धारा 144 के पहले परन्तुक के अधीन यह हेतुक दर्शित करने की सूचना द्वारा" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उसने विवरणी देने के लिए धारा 115बघ की उपधारा (2) या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 115बज की उपधारा (1) के अधीन या धारा 148 के अधीन सूचना द्वारा या धारा 115बच के पहले परन्तुक के अधीन या धारा 144 के पहले परन्तुक के अधीन हेतुक दर्शित करने की सूचना द्वारा" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 139 का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, —

(क) उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(i) खंड (क) में "कंपनी" शब्द के स्थान पर, "कंपनी या फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में "जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है" शब्दों के स्थान पर, "जो कंपनी या फर्म से भिन्न कोई व्यक्ति है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पहले परंतुक में,—

(अ) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (vi) के अंत में, "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(इ) खंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) उसने अपने विद्युत के उपभोग के संबंध में पचास हजार रुपए या अधिक का व्यय उपगत किया है,";

(iv) तीसरे परंतुक में, "कंपनी" शब्द के स्थान पर, "कंपनी या फर्म" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक या अध्याय 6क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो जाती है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की एक विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा ।";

(ख) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2005 के पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 139क का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 139क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (iii) में, "धारा 139 की उपधारा (4क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"धारा 139 की उपधारा (4क) ; या

(iv) जो नियोजक है, जिससे धारा 115बघ के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है ;";

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति से,जिसे उपधारा (1) के खंड (iv) से भिन्न किसी खंड के अधीन कोई स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है, कोई दूसरा स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और उसे पहले से आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक को सीमांत फायदा कर के संबंध में स्थायी लेखा संख्यांक समझा जाएगा ।"।

धारा 140 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में, आरंभिक भाग में, "धारा 139 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2006 से, रखे जाएंगे ।

धारा 140क का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 140क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) उपधारा (1) में "धारा 139" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) धारा 243क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा;

(ii) धारा 115बट के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित सीमांत फायदों के कुल मूल्य पर कर की रकम पर की जाएगी जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा ;";

(ग) उपधारा (2) में "धारा 143" शब्द और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ या धारा 115बच या धारा 143" शब्द, अंक, और अक्षर रखे जाएंगे ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) में, "धारा 139 के अधीन विवरणी दी है या जिसके मामले में उस धारा की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन विवरणी दी है या जिसके मामले में धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 142 का संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 अप्रैल, 2006, से,— धारा 153 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1अ) निर्धारण का कोई आदेश, धारा 115बङ या धारा 115बच के अधीन, उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें सीमान्त फायदे प्रथमतः निर्धारणीय थे, अंत से दो वर्ष के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा।

(1आ) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, धारा 115बछ के अधीन उस वित्तीय वर्ष के , जिसमें धारा 115बज के अधीन सूचना की तामील की गई थी, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2क) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2) में," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ) और उपधारा (2) में," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2) में," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ) और उपधारा (2)," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

46. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 153ख का संशोधन।

"परंतु धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए परिसीमा अवधि, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से एक वर्ष, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।"।

47. आय-कर अधिनियम में, 1 जून, 2003 से,— धारा 153ग का संशोधन।

(क) धारा 153ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, धारा 153क के दूसरे परंतुक में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश है ।";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त की जाती है या की गई है और उस निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां प्राप्त करने की तारीख से पूर्व,—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की कोई विवरणी नहीं दी गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसको कोई सूचना जारी नहीं की गई है ; या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी दी गई है किंतु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की गई है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील करने की परिसीमा समाप्त हो गई है ; या

(ग) निर्धारण या पुनः निर्धारण, यदि कोई हो, किया गया है,

वहां ऐसा निर्धारण अधिकारी धारा 153क में उपबंधित रीति में सूचना जारी करेगा और उस निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा ।"।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में 1 जून, 2005 से,— धारा 194क का संशोधन।

(i) खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(x) ऐसी आय को, जिसका किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किसी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में ऐसी निधि या कंपनी द्वारा संदाय किया जाता है या संदेय है ;";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 1**—खंड (i), खंड (vii) और खंड (viiक) के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप (जिसके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप नहीं है) अभिप्रेत हैं ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (x) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना पूंजी कंपनी" और " अवसंरचना पूंजी निधि" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो उनका धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में हैं ।'।

धारा 194ग का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 जून, 2005 से,—

(क) परन्तुक में "दायित्वाधीन होगा ; या" शब्दों के स्थान पर "दायित्वाधीन होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

"परन्तु यह और कि धारा 2 के अधीन कोई कटौती, माल वाहनों के चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान उप-ठेकेदार के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान निक्षेप की गई है या संदाय की गई है अथवा निक्षेप किए जाने या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से, संबद्ध व्यक्ति को, जो ऐसी रकम का संदाय कर रहा है या निक्षेप कर रहा है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, कोई घोषणा प्रस्तुत करने पर, नहीं की जाएगी, यदि ऐसा उप-ठेकेदार कोई व्यष्टि है, जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय दो से अधिक माल वाहन नहीं थे :

परन्तु यह भी कि वह व्यक्ति जो दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उप-ठेकेदार को यथापूर्वोक्त किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, आय-कर प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए प्रस्तुत करेगा ; या"

(ग) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "माल वाहन" का वही अर्थ है जो उसका धारा 44कङ की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण में है ।'।

धारा 199 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 199 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 203 का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

नई धारा 206क का अंतःस्थापन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 206 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी का दिया जाना ।

"206क. (1) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरणियां तैयार करेगी और यथापूर्वोक्त तिमाही विवरणियों को ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 12 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह विहित प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर तिमाही विवरणियां तैयार करे और उसे विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करे या परिदत्त कराए ।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(क) उपधारा (4) के परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 238 का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 238 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां एक नियोजक द्वारा सीमांत फायदों का मूल्य अध्याय 12ज के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी अन्य नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे गए सीमांत फायदों के कुल मूल्य में सम्मिलित किया जाता है, वहां केवल पश्चात्वर्ती व्यक्ति ही ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय का हकदार होगा ।"।

धारा 239 का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) जहां दावा ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में है, जो अप्रैल, 2006 के पहले दिन को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है, वहां ऐसे निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष ।"।

धारा 244क का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 244क में 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(i) "धारा 206ग" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 115बङ के अधीन संदत्त या धारा 206ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में "धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में "धारा 143 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच या धारा 115बछ या धारा 143 की उपधारा (3)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमांत फायदों के निर्धारण के संबंध में इस उपधारा के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, मानो "1989" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे गए थे ।"।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 246क का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती कोई नियोजक होते हुए, निर्धारित सीमांत फायदों की रकम के प्रति आक्षेप करता है ;

(कख) धारा 115बछ के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश ;";

(ii) खंड (ञ) के उपखंड (आ) में "धारा 271च" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 271च, धारा 271चख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 271 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ख) में, "धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) में, अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा,

(इ) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) उसने सीमान्त फायदों की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसे सीमान्त फायदों की गलत विशिष्टियां दी हैं,";

(ई) उपखंड (iii) में,—

(i) "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ग) या खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "आय" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "आय या सीमान्त फायदों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में आय के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, आय या सीमान्त फायदों के प्रति निर्देश है और इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, सीमान्त फायदों से संबंधित किसी निर्धारण के संबंध में भी लागू होंगे ।"।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271चख का अंतःस्थापन ।

"271चख. यदि कोई नियोजक, जिससे धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में सीमांत फायदे की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।" सीमांत फायदों की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) के खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 272क का संशोधन।

"(ठ) धारा 206क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तिमाही विवरणी परिदत्त करने या कराने में ;"।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, "धारा 271चक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 271चक, धारा 271चख" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 273ख का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 276गग का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, "जिसके देने के लिए वह" शब्दों के स्थान पर, "जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सम्यक् समय के भीतर आय की विवरणी" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 278 में, "कर से प्रभार्य किसी आय" शब्दों के स्थान पर, "कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 278 का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ङ) का 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 295 का संशोधन।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28ङ का संशोधन।

65. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28ङ में,— 1962 का 52

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है,—

(i) (क) कोई ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

यथास्थिति, जिसने या जो भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप को करने का प्रस्ताव किया है या करता है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

और, यथास्थिति, जो या जिसने धारा 28ज की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है या किया है;';

(ख) खंड (ङ) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 28च का संशोधन।

66. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च की उपधारा (1) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 28ज का संशोधन।

67. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (2) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) माल के उद्गम के नियमों और उससे संबंधित अन्य विषयों का अवधारण ।"।

धारा 127डक का संशोधन।

68. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127डक में,—

(क) उपधारा (6) में, "धारा 127ग" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 127ग की उपधारा (1) और धारा 127झ" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(8) समझौता आयोग, यदि उसकी यह राय है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने उपधारा (5) के अधीन आवेदन किया है, उसके समक्ष कार्यवाहियों में उसके साथ सहयोग नहीं किया है तो वह मामले को अपील अधिकरण में वापस भेज सकेगा और तदनुसार धारा 129क, धारा 129ख और धारा 129ग में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।" ।

धारा 128क का संशोधन।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (5) में, "सीमाशुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129क का संशोधन।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क में,—

(क) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन कर सकेगा, जो दो मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी । ";

(ख) उपधारा (2) में—

(i) "यदि सीमाशुल्क आयुक्त की यह राय है" शब्दों के स्थान पर " यदि मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति की यह राय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसकी ओर से" शब्दों के स्थान पर "इसकी ओर से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 129घ का संशोधन।

71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में "बोर्ड" शब्द के स्थान पर जहां कहीं भी वह आता है, "मुख्य सीमाशुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

72. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1975 का 51

उत्पाद-शुल्क, विक्रय-कर, स्थानीय करों और अन्य प्रभारों के बराबर अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण।

'3. (1) किसी वस्तु पर, जिसका भारत में आयात किया जाता है, ऐसा अतिरिक्त शुल्क (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अतिरिक्त शुल्क कहा गया है) उद्गृहीत किया जाएगा जो वैसी ही वस्तु पर, जिसका यदि भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है तो, तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के बराबर होगा और यदि वैसी ही वस्तु पर ऐसा उत्पाद-शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है तो उस अतिरिक्त शुल्क की संगणना, जिसके लिए आयातित वस्तु इस प्रकार दायी होगी, उस आयातित वस्तु के मूल्य की उसी प्रतिशतता पर, की जाएगी :

परन्तु मानव उपभोग के लिए भारत में आयातित किसी मद्यसारिक लिकर की दशा में, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विभिन्न राज्यों में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए या यदि किसी राज्य में उसी प्रकार के मद्यसारिक लिकर का उत्पादन या विनिर्माण नहीं होता है तो, उस उत्पाद-शुल्क को ध्यान में रखते हुए, उस वर्ग या वर्णन के मद्यसारिक लिकर पर, जिससे ऐसी आयातित लिकर संबंधित है, विभिन्न राज्यों में तत्समय उद्ग्रहणीय होगा, अतिरिक्त शुल्क की दर विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "वैसी ही वस्तु पर, जिसका यदि भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है तो, तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त वह उत्पाद-शुल्क जो वैसी ही वस्तु पर, यदि उसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया जाता है, तो उद्ग्रहणीय होता, अथवा यदि वैसी ही वस्तु का इस प्रकार उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है तो, तत्समय प्रवृत्त वह उत्पाद-शुल्क जो उस वर्ग या वर्णन की वस्तुओं पर, जिस वर्ग या वर्णन की यह आयातित वस्तु है, उद्ग्रहणीय होता और जहां ऐसा शुल्क भिन्न-भिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय है वहां अधिकतम शुल्क ।

(2) उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन किसी आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क संगणित करने के प्रयोजन के लिए, उस दशा में जब ऐसा शुल्क उसके मूल्य के किसी प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय है, उस आयातित वस्तु का मूल्य, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :— 1962 का 52

(i) यथास्थिति, आयातित वस्तु का धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य अथवा ऐसी वस्तु का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य ; और

(ii) उस वस्तु पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से प्रभार्य, कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,— 1962 का 52

(क) उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क;

(ख) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क :

परंतु भारत में आयातित किसी वस्तु की दशा में,—

(क) जिसके संबंध में बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसी वस्तु के पैकेज पर उस वस्तु की फुटकर विक्रय कीमत घोषित करने की अपेक्षा की जाती है; और 1976 का 60

(ख) जहां भारत में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की वस्तु या उस दशा में, जहां उसी प्रकार की ऐसी वस्तु का उत्पादन या विनिर्माण नहीं किया जाता है वहां उन वस्तुओं का, जिनसे आयातित वस्तु संबंधित है, वर्ग या वर्णन वह माल है, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, 1944 का 1

आयातित वस्तु का मूल्य, ऐसी फुटकर विक्रय कीमत में से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन उसी प्रकार की वस्तु की बाबत अनुज्ञात करे, मंदी की ऐसी रकम को, यदि कोई हो, घटाकर, आयातित वस्तु के संबंध में घोषित फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा । 1944 का 1

स्पष्टीकरण—जहां किसी आयातित वस्तु पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस धारा के प्रयोजन के लिए फुटकर विक्रय कीमत है ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी आयातित वस्तु पर [चाहे उस पर उपधारा (1) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय है या नहीं] ऐसा अतिरिक्त शुल्क उद्गृहीत करना लोकहित में आवश्यक है जो ऐसी कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों पर जो ऐसी वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों की प्रकृति के हैं या उनके समान है, उद्ग्रहणीय शुल्क को प्रतिसंतुलित कर देगा तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी आयातित वस्तु पर ऐसी कच्ची सामग्री, घटकों और संघटकों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग के बराबर अतिरिक्त शुल्क भी उद्गृहीत होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा, किसी दशा में, अवधारित किया जाए ।

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए कोई नियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार वैसी ही वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री, घटकों या संघटकों पर संदेय उत्पाद-शुल्क की औसत मात्रा का ध्यान रखेगी ।

(5) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी आयातित वस्तु पर उद्ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक है चाहे ऐसी वस्तु पर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन शुल्क उद्ग्रहणीय है या नहीं, ऐसा अतिरिक्त शुल्क, जो तत्समय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या किसी अन्य प्रभार का जो भारत में इसके विक्रय, क्रय या परिवहन पर वैसी ही वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय है, प्रतिसंतुलन करेगा तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी आयातित वस्तु इसके अतिरिक्त उस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट आयातित वस्तु के मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक की दर से किसी अतिरिक्त शुल्क की दायी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "भारत में वैसी ही किसी वस्तु के विक्रय, क्रय या परिवहन पर तत्समय, उद्ग्रहणीय विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या अन्य कोई प्रभार" पद से अभिप्रेत है वह विक्रय कर, मूल्य वर्धित कर, स्थानीय कर या अन्य प्रभार जो वैसी ही वस्तु पर, यदि उसका भारत में विक्रय या क्रय किया जाता है, तत्समय उद्ग्रहणीय होता, अथवा यदि वैसी ही वस्तु का इस प्रकार विक्रय या क्रय नहीं किया जाता है तो, वह शुल्क जो उस वर्ग या वर्णन की वस्तुओं पर, जिस वर्ग या वर्णन की वे आयातित वस्तुएं हैं और जहां, यथास्थिति, ऐसे उच्चतम कर या प्रभार विभिन्न दरों पर उद्ग्रहणीय हैं वहां, यथास्थिति, ऐसा उच्चतम कर या ऐसा प्रभार ।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी आयातित वस्तु पर अतिरिक्त शुल्क संगणित करने के प्रयोजन के लिए, उस आयातित वस्तु का मूल्य, उपधारा (2) या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित का योग होगा, अर्थात् :— 1962 का 52

(i) यथास्थिति, आयातित वस्तु का सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित मूल्य अथवा ऐसी वस्तु का उस धारा की उपधारा (2) के अधीन नियत टैरिफ मूल्य; और 1962 का 52

(ii) उस वस्तु पर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन प्रभार्य कोई सीमाशुल्क और उस वस्तु पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, सीमाशुल्क के अतिरिक्त और उसी रीति से प्रभार्य, कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है— 1962 का 52

(क) उपधारा (5) में निर्दिष्ट शुल्क ;

(ख) धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट सुरक्षा शुल्क ;

(ग) धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिरोधी शुल्क ;

(घ) धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ।

(7) इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत वापसियों, प्रतिदायों और शुल्कों से छूट संबंधी उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों को लागू होते हैं ।'। 1962 का 52

धारा 3क का लोप।

73. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3क का लोप किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन।

74. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में, पहली अनुसूची का, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

उत्पाद-शुल्क

धारा 5क का संशोधन। **75.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1944 का 1

"(1क) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि जहां उपधारा (1) के अधीन कोई छूट, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के संबंध में उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, आत्यंतिक रूप से मंजूर कर दी गई है, वहां ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल का विनिर्माता, ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्क का संदाय नहीं करेगा ।"।

धारा 23क का संशोधन। **76.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क में,—

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "आवेदक" से अभिप्रेत है,—

(i) (क) कोई ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ख) कोई ऐसा निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

यथास्थिति, जो या जिसने भारत में कोई कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करता है या किया है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

यथास्थिति, जिसने या जो धारा 23ग की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन या किया है या करता है ;';

(ख) खंड (ग) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 32तक का संशोधन। **77.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32तक में,—

(क) उपधारा (6) में, "धारा 32च" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 32च और धारा 32ठ की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) समझौता आयोग, यदि उसकी यह राय है कि किसी व्यक्ति ने, जिसने इस धारा के अधीन आवेदन किया है, उसके समक्ष कार्यवाहियों में उसके साथ सहयोग नहीं किया है तो वह मामले को अपील अधिकरण में वापस भेज सकेगा और तदनुसार धारा 35ख, धारा 35ग तथा धारा 35घ में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।" ।

धारा 35क का संशोधन। **78.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35क की उपधारा (5) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35ख का संशोधन। **79.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख में,—

(क) उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन कर सकेगा जो दो मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों से मिलकर बनेगी । "; 1963 का 54

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की यह राय है" शब्दों के स्थान पर "यदि मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति की यह राय है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "उसकी ओर से" शब्दों के स्थान पर "इसकी ओर से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35ङ का संशोधन। **80.** केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में उपधारा (1) और उपधारा (3) में आने वाले "बोर्ड" शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्तों की समिति" शब्द रखे जाएंगे ।

तीसरी अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

81. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची के स्थान पर तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन।

82. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में,—

(क) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया नियम 57गग ;

(ख) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 1997 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57गग ; और

(ग) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया नियम 57घ, जैसा वह वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 298(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा नियम 57कघ के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है,

संशोधित हो जाएगा और चौथी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नियम के सामने उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 अगस्त, 1996 से ही आरंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई और सदैव इस प्रकार की गई समझी जाएगी, मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में था और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन रकम की वसूली के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएंगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और उक्त रकम की अवसूली के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश का प्रवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा मानो उस उपधारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे थे ;

(ख) उस दिन से, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर उस रकम की वसूली की जाएगी, जो संदत्त नहीं की गई है किन्तु जो तब संदत्त की गई होती यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा होता ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अतिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 का संशोधन।

83. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. सं. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 6, पांचवी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित नियम के अधीन 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था, और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां उपधारा (1) द्वारा यथा संशोधित नियम के अधीन रकम की वसूली के लिए केंद्रीय सरकार या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के विरुद्ध, यथास्थिति, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और उक्त रकम की वसूली न करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या आदेश को प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा मानो उस उपधारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे थे ;

(ख) उस दिन से जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर, उस रकम की वसूली की जाएगी, जो संदत्त नहीं की गई है किंतु जो तब संदत्त की गई होती यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा होता ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अतिक्रमण के होते हुए भी केंद्रीय सरकार को उस धारा के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन केंद्रीय सरकार को भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचना का संशोधन।

84. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 277(अ), तारीख 1 मार्च, 1988 और 21 फरवरी, 2000 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2003 तक (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) की अवधि के लिए छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में, संशोधित हो जाएंगी और भूतलक्षी रूप से, संशोधित की गई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको इसी प्रकार यह शक्ति है मानो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी।

(3) ऐसे शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की सभी ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिनके लिए उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क के अधीन मांग सूचनाएं जारी की गई हैं या धारा 11 के अधीन वसूली की कार्यवाही आरंभ की गई है, कोई वसूली नहीं की जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित था ।

(4) ऐसे सभी शुल्कों को, जो संगृहीत किए गए हैं किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) में निर्दिष्ट संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होता ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक मास के भीतर किया जाएगा ।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (पान मसाला और कतिपय तम्बाकू उत्पाद) ।

85. (1) सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में जो भारत में उत्पादित या विनिर्मित माल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उपबंध करने और उसका वित्तपोषण करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए संघ के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से स्वास्थ्य के नाम से एक अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिभार उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) अनुसूची में केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनमें वे उपबंध सम्मिलित हैं जो शुल्कों के प्रतिदाय और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित हैं, सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण को इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होंगे ।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची का संशोधन।

86. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की,— 1986 का 5

(क) पहली अनुसूची का आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ;

(ख) दूसरी अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

पहली अनुसूची के अध्याय 15 का संशोधन।

87. (1) अध्याय 15 में, टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 मार्च, 1986 से ही आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) के लिए अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— 1986 का 5

'5. शीर्ष सं0 15.02 या शीर्ष 15.03 के अंतर्गत आने वाले परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के संबंध में, परिष्करण की प्रक्रिया अर्थात् ऐसी प्रक्रिया में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं अर्थात् किसी क्षार, विरंजन और गंधारण के साथ अपरिष्कृत तेल का उपचार, "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी ।' ।

(2) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम के अधीन 1 मार्च, 1986 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस खंड में उक्त अवधि कहा गया है), किसी समय की गई कोई कार्रवाई या कोई बात या की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपखंड (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था, और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उक्त अवधि के दौरान किन्हीं उत्पाद-शुल्क्य माल पर उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत सभी उत्पाद-शुल्क सदैव विधिमान्य रूप से उद्गृहीत, निर्धारित या संगृहीत किए गए समझे जाएंगे मानो उपखंड (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था ;

(ख) ऐसे उत्पाद-शुल्क के जो संगृहीत किया गया है और जो विधिमान्य रूप से संगृहीत किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों में प्रवृत्त रहा होता, प्रतिदाय के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में संस्थित नहीं की जाएगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएगी और उक्त रकम की किसी न्यायालय द्वारा किसी डिक्री या प्रतिदाय का निदेश देते हुए आदेश को प्रवर्तन में नहीं लाया जाएगा ।

(3) अध्याय (1) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार को उक्त धारा में निर्दिष्ट अध्याय को भूतलक्षी रूप से इस प्रकार संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे इस प्रकार की शक्ति है मानो सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को उक्त अध्याय को भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति थी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती ।

अध्याय 5
सेवा-कर

88. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(क) धारा 65 में, उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(i) खंड (9) में, "सर्विस या मरम्मत" शब्दों के स्थान पर, "सर्विस, मरम्मत, पुनरुनुकूलन या पुनरुद्धार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (15) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को, जिसके अंतर्गत बहु प्रणाली आपरेटर या कोई अन्य व्यक्ति भी है, किसी प्रकार की सूचना जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छायांकन और अंतरिक्ष के माध्यम से या केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पारेषण द्वारा सभी प्रकार की ध्वनि डायरेक्ट टू होम सिग्नल या किन्हीं अन्य साधनों से प्राप्त करने के अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (16) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को, जिसके अंतर्गत बहु प्रणाली आपरेटर या कोई अन्य व्यक्ति भी है, किसी प्रकार की सूचना जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छायांकन और अंतरिक्ष के माध्यम से या केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पारेषण द्वारा सभी प्रकार की ध्वनि डायरेक्ट टू होम सिग्नल या किन्हीं अन्य साधनों से प्राप्त करने के अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (17) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(17) "सौन्दर्य उपचार" के अंतर्गत केशकर्तन, केश रंगाई, केश सज्जा, चेहरा और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, हस्त श्रृंगार, पाद श्रृंगार या सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल या बनाव श्रृंगार के संबंध में सलाहकार सेवाएं या ऐसी ही अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं ;';

(v) खंड (19) में,—

(i) उपखंड (iv) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवेश" से ग्राहक द्वारा उपयोग के लिए आशयित सभी माल या सेवाएं अभिप्रेत हैं ;';

(ii) उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) ग्राहक के लिए या उसकी ओर से माल का उत्पादन या प्रसंस्करण ;";

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कमीशन अभिकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है और प्रतिफल के लिए माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय या उनकी व्यवस्था करता है या उन्हें प्राप्त करता है या करवाता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करते समय,—

(i) माल या सेवाओं या ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में उनके हक के दस्तावेजों को संभालता है ; या

(ii) ऐसे माल या सेवाओं की विक्रय कीमत के संदाय का संग्रहण करता है ; या

(iii) ऐसे माल या सेवाओं के संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूति देता है ; या

(iv) ऐसे माल या सेवाओं के ऐसे विक्रय या क्रय के संबंध में कोई क्रियाकलाप करता है ;

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का डिजाइन करने, उसका विकास या अनुरक्षण करने या कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या सिस्टम नेटवर्किंग से संबंधित कोई सेवा या मुख्यतः कम्प्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में कोई अन्य सेवा अभिप्रेत है ; ';

(vi) खंड (24क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(24ख) "स्वच्छता क्रियाकलाप" से सफाई करना अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत विशेषीकृत सफाई सेवाएं जैसे,—

(i) वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन और उनके परिसर ;

(ii) कारखाने, संयंत्र या मशीनरी, वाणिज्यिक या औद्योगिक भवन और उनके परिसरों के टैंकों या जलाशयों,

की वस्तुओं या परिसरों को विसंक्रमित करना, परिसमाप्त करना या निर्जीवाणुकरण करना है, किंतु इसके अंतर्गत कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन या डेयरी के संबंध में ऐसी सेवाएं सम्मिलित नहीं है ;';

(vii) खंड (25) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(25क) "क्लब या संगम" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय अभिप्रेत है जो अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या अन्य रकम के लिए सेवाएं, प्रसुविधाएं या फायदे प्रदान करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय ; या

(ii) व्यापार संघों के क्रियाकलापों, कृषि, बागवानी और पशु-पालन के संवर्धन में लगा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय; या

(iii) कोई व्यक्ति या व्यष्टि निकाय, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगे हैं जिसके उद्देश्य ऐसे हैं, जो लोक सेवा और पूर्त, धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के हैं ; या

(iv) प्रेस और मीडिया से सहबद्ध कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय ;

(25ख) "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" से अभिप्रेत है,—

(क) नए भवन या सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) पाइपलाइन या नाली का सन्निर्माण ; या

(ग) भवन या सिविल संरचना के संबंध में पूर्ण करने और सुसज्जित करने संबंधी सेवाएं जैसे कांचित करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग, फर्श और दीवार पर टाइल लगाना, दीवार आच्छादित करना, दीवार पर कागज लगाना, काष्ठ और धातु जुड़ाई और बढ़ईगिरी और रैलिंग लगाना, तरणतालों, ध्वनि संबंधी युक्तियों या फिटिंगों को संस्थापित करना तथा अन्य वैसी ही सेवाएं ; या

(घ) भवन या सिविल संरचना, पाइपलाइन या नाली के संबंध में मरम्मत, परिवर्तन या उसका पुनरुद्धार अथवा वैसी ही सेवाएं ;

जिनका वाणिज्य या उद्योग, या वाणिज्य या उद्योग के लिए आशयित कार्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं नहीं हैं जो सड़कों, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों के संबंध में उपलब्ध कराई जाती हैं,—

(i) मुख्य रूप से उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाना है ; या

(ii) मुख्य रूप से अधिभोग में हैं या अधिभोग में लिया जाना है ; या

(iii) मुख्य रूप से काम में लगी हुई हैं या लगाई जानी हैं ;';

(viii) खंड (30क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(30क) "काम्प्लैक्स का सन्निर्माण" से अभिप्रेत है,—

(क) नए आवासिक काम्प्लैक्स या उसके भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) आवासिक काम्प्लैक्स के संबंध में पूर्ण करने और सुसज्जित करने संबंधी सेवाएं जैसे कांचित करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग, फर्श और दीवार पर टाइल लगाना, दीवार आच्छादित करना और दीवार पर कागज लगाना, काष्ठ और धातु जुड़ाई और बढ़ईगिरी, बाड़ लगाना और रैलिंग लगाना, तरणताल, ध्वनि संबंधी युक्तियों या फिटिंगों को संस्थापित करना तथा अन्य वैसी ही सेवाएं ; या

(ग) आवासिक काम्प्लैक्स की मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या पुनःरुद्धार या उसके संबंध में वैसी ही सेवाएं ;';

(ix) खंड (36) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(36क) "झमाई" में, सामग्री का, जिसके अंतर्गत किन्हीं नदियों, पत्तनों, बंदरगाहों, अप्रवाही जल और मुहानों का, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, कोई उत्खनन, सफाई करने, उन्हें गहरा, चौड़ा या लंबा करने में प्राप्त तलछट,गाद, चट्टानें, बालू, अवशिष्ट, कूड़ा-करकट, पेड़-पौधों या पशुओं की गंदगी है, हटाया जाना सम्मिलित है ;';

(x) खंड (39क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(39क) "परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन" से निम्नलिखित के संबंध में किसी संस्थापन या प्रतिष्ठापन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है,—

(i) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन ; या

(ii) निम्नलिखित का प्रतिष्ठापन,—

(क) विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्तियां, जिनमें उनके तार बिछाना और फिटिंगें सम्मिलित हैं ; या

(ख) द्रव्यों के परिवहन के लिए नलसाजी, नाली बिछाना या अन्य प्रतिष्ठापन ; या

(ग) तापन, संवातन और वातानुकूलन, जिसमें संबंधित पाइपकार्य, नलिका कार्य और चादर धातु कार्य सम्मिलित हैं; या

(घ) तापीय रोधन, ध्वनि रोधन और अग्निरोधी या जल रोधी करना ; या

(ङ) लिफ्ट और एस्केलेटर, अग्नि बचाव सीढियां, ट्रेवलेटर ; या

(च) वैसी ही अन्य सेवाएं ;';

(xi) खंड (47) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(47) "कारबार विशेषाधिकार" से कोई ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा कारबार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को ऐसे माल का विक्रय या विनिर्माण करने या सेवा का उपबंध करने या कोई प्रक्रिया हाथ में लेने, जिसकी विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति के साथ पहचान की गई है जिसमें चाहे, यथास्थिति, कोई व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापार नाम या लोगो या ऐसा प्रतीक अंतर्वलित है या नहीं, प्रतिनिधि संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है ;';

(xii) खंड (55ख) के उपखंड (क) में, "चाहे स्थायी रूप से या अन्यथा" शब्दों के स्थान पर, "अस्थायी रूप से" शब्द रखे जाएंगे;

(xiii) खंड (63) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(63क) "डाकसूची संकलन और डाक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किन्हीं स्रोतों से नामों, पतों की सूचियों और किसी अन्य सूचना का संकलन करना और उसे उपलब्ध कराना; या

(ii) दस्तावेजों, सूचना, माल या किसी अन्य सामग्री को, उस पर पता लिखकर, उसमें सामग्री रख कर, उसे मुद्राबंद करके, मीटर करके या ग्राहक के लिए या उसकी ओर से डाक से भेजना ;';

(xiv) खंड (64) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(64) "अनुरक्षण या मरम्मत" से निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है,—

(i) किसी संविदा या करार के अधीन कोई व्यक्ति ;

(ii) निम्नलिखित के संबंध में कोई विनिर्माणकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,—

(क) किसी माल या उपस्कर का, जिसमें मोटर यान नहीं है, अनुरक्षण या मरम्मत जिसके अंतर्गत पुनर्नुकूलन या पुनरुद्धार या सर्विसिंग है ;

(ख) स्थावर संपत्तियों का अनुरक्षण या प्रबंधन ;';

(xv) खंड (68) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(68) "जनशक्ति भर्ती या पूर्ति अभिकरण" से किसी ग्राहक को स्थायी रूप से या अन्यथा जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के लिए किसी रीति में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है ;';

(xvi) खंड (76क) में, "किसी स्थान पर" शब्दों के पश्चात् "किंतु जिसमें ऐसी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किराएदारी के रूप में या अन्यथा उपलब्ध कराया गया कोई स्थान या परिसर सम्मिलित है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(xvii) खंड (76क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(76ख) "पैकेजिंग क्रियाकलाप" से माल की पैकेजिंग अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत पाउच भरण, बोतल भरण, लेबल लगाना या पैकेज अंकित करना है किंतु जिसमें ऐसे पैकेजिंग क्रियाकलाप नहीं हैं जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत "विनिर्माण" की कोटि में आते हैं ;';

1944 का 1

(xviii) खंड (91) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(91क) "आवासिक काम्प्लेक्स" से निम्नलिखित कोई काम्प्लेक्स अभिप्रेत हैं, जिनमें —

(i) ऐसा भवन या ऐसे भवन, जिनमें बारह से अधिक आवासिक इकाइयां हैं ;

(ii) एक सामान्य क्षेत्र है ; और

(iii) एक या एक से अधिक प्रसुविधाएं या सेवाएं जैसे पार्क, लिफ्ट, पार्किंग स्थल, सामुदायिक भवन, सामान्य जलपूर्ति या बहिस्राव उपचार प्रणाली है,

जो परिसरों के भीतर अवस्थित हैं और ऐसे परिसरों का अभिन्यास तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, किंतु जिसके अंतर्गत ऐसे काम्प्लेक्स नहीं हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे काम्प्लेक्स के अभिन्यास की डिजाइन या योजना बनाने के लिए या सन्निर्माण के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सीधे नियोजित करके सन्निर्मित किए गए हैं और ऐसे व्यक्ति द्वारा निवास के रूप में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आशयित है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "व्यक्तिगत उपयोग" पद में अन्य व्यक्ति द्वारा निवास के रूप में उपयोग के लिए ऐसी आवासिक इकाई को अनुज्ञात करना या किराए पर देना या प्रतिफल के बिना देना सम्मिलित है ;

(ख) "आवासिक इकाई" से ऐसा एकल गृह या कोई एकल अपार्टमेंट अभिप्रेत है, जो निवास स्थान के रूप में उपयोग के लिए आशयित है ;';

(xix) खंड (97) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(97क) "स्थल बनाना और निकासी, उत्खनन और मिट्टी हटाना और ढहाना" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) सन्निर्माण, भूभौतिक, भू-वैज्ञानिक या वैसे ही प्रयोजनों के लिए ड्रिलिंग, वेधन और गुल्ली निष्कर्षण सेवाएं, या

(ii) मृदा स्थिरीकरण ;या

(iii) केबलों या नाली के पाइपों के मार्ग के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग ; या

(iv) भूमि उद्धार संबंधी कार्य ; या

(v) संदूषित अपरि मृदा कर्तन कार्य ; या

(vi) भवनों, निर्मितियों, गलियों या राजमार्गों को ढहाना और ध्वंस करना,

किंतु इसके अंतर्गत कृषि, सिंचाई, जल विभाजक विकास और जल स्रोतों या जल निकायों की ड्रिलिंग, खुदाई, मरम्मत, नवीकरण या पुनरुद्धार के संबंध में उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं ;';

(xx) खंड (98) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(98) "ध्वन्यंकन" से किसी माध्यम या युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत चुंबकीय भंडारण युक्ति है और जिसके अंतर्गत किसी रीति में जैसे ध्वनि सूचीकरण, ध्वनि का भंडारण और ध्वनि का मिश्रण या पुनः मिश्रण या कोई श्रवण उत्पादन पश्चात् क्रियाकलाप, ध्वन्यंकन से संबंधित सेवाएं हैं, ;' ;

(xxi) खंड (104क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(104ख) "सर्वेक्षण और नक्शा बनाना" से भूवैज्ञानिक या भूभौतिकी या कोई अन्य पूर्वेक्षण, सतह या उपसतह या हवाई सर्वेक्षण या किसी प्रकार का नक्शा बनाना अभिप्रेत है ;';

(xxii) खंड 105 में,—

(क) "उपलब्ध कराई गई" शब्दों के स्थान पर, "उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जानी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) किसी ग्राहक को अस्थायी रूप में या अन्यथा किसी रीति में जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती या पूर्ति अभिकरण द्वारा ;";

(ग) उपखंड (ड) में, "ऐसे उपयोग के संबंध में या खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं" शब्दों के स्थान पर "ऐसे उपयोग के संबंध में उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली अथवा खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं भी हैं;" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपखंड (यट) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को किसी प्रकार की संसूचना को, जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छाया और अंतरिक्ष के माध्यम से, केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण द्वारा सभी किस्म की ध्वनि को प्राप्त करने के लिए अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपखंड (यण) में, "मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत" शब्दों के स्थान पर, " मोटर कार, हल्के मोटर यान या दुपहिया मोटर यानों की मरम्मत या पुनरुनुकूलन या पुनरुद्धार" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपखंड (ययञ) का लोप किया जाएगा ;

(छ) उपखंड (ययट) में, "उपखंड (यड) और उपखंड (यत)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "उपखंड (यड)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ज) उपखंड (ययथ) में, "सन्निर्माण सेवा" के स्थान पर, "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) उपखंड (ययब) में "दी गई सेवाएं" शब्दों के स्थान पर "प्रदान की गईं या प्रदान की जाने वाली सेवाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ञ) उपखंड (ययम) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययय) किसी व्यक्ति को, पाइप लाइन या अन्य नलिका के माध्यम से जल से भिन्न माल के परिवहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययक) किसी व्यक्ति को, स्थल बनाने और निकासी, उत्खनन और मिट्टी हटाने तथा ढहाने तथा अन्य वैसे ही समान क्रियाकलापों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययख) किसी व्यक्ति को, झमाई के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययग) किसी व्यक्ति को सर्वेक्षण करने और नक्शा तैयार करने के संबंध में, सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययघ) किसी व्यक्ति को, सफाई कार्य के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययङ) किसी क्लब या संगम द्वारा अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या किसी अन्य रकम के लिए सेवाओं, सुविधाओं या फायदों का उपबंध करने के संबंध में ;

(ययच) किसी व्यक्ति को, पैकेजिंग क्रियाकलाप के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययछ) किसी व्यक्ति को, डाक सूची संकलन और डाक के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययज) किसी व्यक्ति को, आवासिक परिसरों के सन्निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; " ;

(ट) अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि प्रदाय की गई या प्रदाय की जाने वाली सेवा जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने कोई ऐसा कारबार स्थापित किया है या जिसका नियत स्थापन है जिससे सेवा प्रदाय की गई है या प्रदाय की जानी है अथवा जिसका स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान भारत से भिन्न किसी देश में है, और ऐसी सेवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका अपना, यथास्थिति, कारबार का स्थान, नियत स्थापन, स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान भारत में है, प्राप्त की जाती है या प्राप्त की जानी है भारत में ऐसी सेवा इस खंड के प्रयोजनों के लिए कराधेय सेवा समझी जाएगी ;";

(xxiii) खंड (120) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(120) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर या किसी अन्य माध्यम पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उससे संबंधित सेवाएं जैसे संपादन, कर्तन, रंग साजी, डब करना, शीर्षक मुद्रण, विशेष प्रभाव देना, प्रसंस्करण, परिवर्धन, उपांतरण या ध्वनि हटाने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर अंतरण करने या किसी रीति में कोई वीडियो निर्माण पश्चात् क्रियाकलाप हैं ;' ;

(ख) धारा 66 में, उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(i) "(ययञ), (ययट)" कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "(ययट)" कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "और (ययम)" शब्दों के स्थान पर "(ययम), (ययय), (ययक), (ययख), (ययग), (ययघ), (ययङ), (ययच), (ययछ) और (ययज)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 67 में, —

(i) "दी गई ऐसी सेवा" शब्दों के स्थान पर "प्रदान की गई या प्रदान कराई गई सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कराधेय सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम में ऐसी सेवा के उपबंध से पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् कराधेय सेवा के संबंध में प्राप्त कोई रकम सम्मिलित होगी ।";

(घ) धारा 69 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे, जो विहित किया जाए ।" ;

(ङ) धारा 70 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करेंगे ।" ;

(च) धारा 73 में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 74 में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 78 में, पहले परंतुक में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 83 में, "15, 35च" अंकों और अक्षर के स्थान पर " 15, 33क, 35च" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 83 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'83क. जहां इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है, वहां ऐसी शास्ति का न्यायनिर्णयन ऐसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा, किया जा सकेगा जिसे ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।'; न्यायनिर्णयन की शक्ति।

1963 का 54

(ट) धारा 84 में, —

(क) उपधारा (1) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, "उसके अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर "ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 85 में, —

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर "ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड) धारा 86 में, —

(क) उपधारा (1) में, "धारा 84" शब्द और अंकों के स्थान पर " धारा 73, या धारा 83क या धारा 84" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 84" शब्द और अंकों के स्थान पर " धारा 73, धारा 83क या धारा 84" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2क) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर "उससे अधीनस्थ कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ) धारा 94 की उपधारा (2) में, —

(i) खंड (ख) में, "धारा 69 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 69 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "धारा 70 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 70 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 96क में, —

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो —

(i) (क) ऐसा अनिवासी होते हुए किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ख) कोई निवासी होते हुए किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी ऐसी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

जो भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करता है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

और, यथास्थिति, जिसने या जो धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन किया है या करता है ;';

(ii) खंड (घ) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।'।

अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

धारा 2 का संशोधन।

89. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1956 का 74

(क) खंड (ज) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कार्य संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में की संपत्ति के अंतरण की दशा में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) ऐसे माल की विक्रय कीमत कार्य संविदा के लिए कुल प्रतिफल से ऐसी कटौती करके, जो विहित की जाए, विहित रीति में अवधारित की जाएगी और ऐसी कीमत इस खंड के प्रयोजनों के लिए विक्रय कीमत समझी जाएगी ।";

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(झ) "विक्रय कर विधि" से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है, जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर या उस निमित्त अभिव्यक्त रूप से वर्णित किसी विनिर्दिष्ट माल पर करों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित कर विधि भी है, और "साधारण विक्रय कर विधि" से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है, जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और इसके अंतर्गत मूल्यवर्धित कर विधि भी है ;';

(ग) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ञक) "कार्य संविदा" से कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसके अंतर्गत किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का समंजन, सन्निर्माण, निर्माण, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण करना, उसे गढ़ना, परिनिर्माण, स्थापित, सज्जित, सुधार, मरम्मत करना या अधिकार सौंपना भी है, कोई संविदा अभिप्रेत है ;'।

धारा 5 का संशोधन।

90. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'(4) उपधारा (3) के उपबंध माल के किसी विक्रय या क्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी विहित प्राधिकारी को, विहित रूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और उस निर्यातकर्ता द्वारा, जिसको, माल का विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त किए गए किसी विहित प्ररूप में विक्रय किया गया है, हस्ताक्षरित कोई घोषणा नहीं देता है ।

(5) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अभिहित भारतीय वाहक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रयोजनों के लिए उड़ान टर्बाइन ईंधन का क्रय करता है तो ऐसा क्रय भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में किया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अभिहित भारतीय वाहक" से कोई ऐसा वाहक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे । '।

धारा 6 का संशोधन।

91. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई कर किसी व्यौहारी द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे व्यौहारी द्वारा —

(i) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास ; या

(ii) संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य वैसे ही अंतरराष्ट्रीय निकाय,

के किसी ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता को किए गए किसी माल के विक्रय के संबंध में, जो किसी ऐसे कन्वेंशन या करार के अधीन, जिसका भारत एक पक्षकार है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विशेषाधिकारों का हकदार है, यदि, यथास्थिति, ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता ने ऐसे माल का स्वयं के लिए या ऐसे मिशन, वाणिज्यिक दूतावास, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के प्रयोजनों के लिए क्रय किया है, संदेय नहीं होगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किए गए माल के विक्रय को, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में विहित प्ररूप पर कोई प्रमाणपत्र, जो यथास्थिति, ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से भरा न गया हो और हस्ताक्षरित न किया गया हो, प्रस्तुत नहीं करता है ।"।

धारा 13 का संशोधन।

92. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, खंड (कक) को उसके खंड (कख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और खंड (कख) को इस प्रकार पुनःअक्षरांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) विक्रय कीमत के अवधारण की रीति और धारा 2 के खंड (ज) के परंतुक के अधीन किसी कार्य संविदा के लिए कुल प्रतिफल से कटौतियां ;"।

अध्याय 7

बैंककारी नकद संव्यवहार कर

विस्तार, प्रारंभ और लागू होना ।

93. (1) इस अध्याय का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(2) यह 1 जून, 2005 को प्रवृत्त होगा ।

(3) यह ऐसे प्रत्येक कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों को लागू होगा जो इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए हैं।

परिभाषाएं।

94. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "अपील अधिकरण" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1961 का 43

(2) "निर्धारण अधिकारी" से वह आय-कर अधिकारी या आय-कर सहायक आयुक्त या आय-कर उपायुक्त या आय-कर संयुक्त आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त अभिप्रेत है जिसे बोर्ड द्वारा, इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या उसे समनुदेशित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;

(3) "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" से इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

1963 का 54 (4) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

1961 का 43 (5) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (31) में है और इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का कोई कार्यालय या स्थापन सम्मिलित है ;

(6) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1955 का 23 (7) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक; बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अथवा कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक है, अभिप्रेत है ;

1959 का 38
1970 का 5
1980 का 40
1934 का 2

(8) "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" से अभिप्रेत है,—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक के नकद के निकाले जाने का (किसी भी रीति से) संव्यवहार करना ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अनधिक नकद के संदाय पर किसी बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या किसी अन्य वित्तीय लिखत के क्रय का संव्यवहार करना ; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार से अधिक नकद की, उस बैंक से आवधिक निक्षेप के, परिपक्वता पर या अन्यथा नकदीकरण के संबंध में प्राप्ति का संव्यवहार करना ;

1881 का 26
1934 का 2
1949 का 10
1961 का 43

(9) उन शब्दों और पदों के जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, यावत्शक्य बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर का प्रभार।

95. (1) इस अध्याय के प्रारंभ से ही, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, ऐसे प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, जो दस हजार रुपए से अधिक का हो और 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया हो, प्रत्येक ऐसे कराधेय बैंककारी संव्यवहार के मूल्य के 0.1 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बैंककारी नकद संव्यवहार कर—

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा जो किसी अनुसूचित बैंक से नकद निकालता है ;

(ii) धारा 94 की के खंड (8) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा जो किसी अनुसूचित बैंक से किसी बैंक ड्राफ्ट या बैंककारी चैक या किसी अन्य वित्तीय लिखत का क्रय करता है ;

(iii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा, जो कालिक निक्षेप के नकदीकरण पर नकद प्राप्त करता है ;

(iv) प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में जो वाहक चैक या ऐसी अन्य लिखत के रूप में दस हजार रुपए से अधिक नकद का निकाला जाना है, ऐसे चैक या लिखत के धारक द्वारा जिसको ऐसा संदाय अनुसूचित बैंक द्वारा नकद में किया जाता है,

संदेय होगा :

परंतु यदि बैंक में किसी खाते में आवधिक निक्षेप की रकम जमा कर दी गई है तो कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर संदेय नहीं होगा।

कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों के मूल्य ।

96. कराधेय बैंककारी संव्यवहार मूल्य निम्नलिखित होगा,—

(i) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में निकाली गई नकद रकम ;

(ii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, जमा की गई नकद रकम ;

(iii) धारा 94 के खंड (8) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट कराधेय बैंककारी संव्यवहार के संबंध में, आवधिक जमा के भुनाने पर प्राप्त नकद रकम ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण और उसकी वसूली ।

97. (1) प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो धारा 95 की उपधारा (2) के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति है, जो उस बैंक में कराधेय बैंककारी संव्यवहार करता है, धारा 95 में विनिर्दिष्ट दर पर बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैण्डर मास के दौरान संगृहीत बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा उक्त कलैण्डर मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास के पन्द्रहवें दिन तक केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा ।

(3) कोई अनुसूचित बैंक, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

अनुसूचित बैंक द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना ।

98. (1) प्रत्येक ऐसा अनुसूचित बैंक (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, उस अनुसूचित बैंक में किए गए कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या करवाएगा ।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे ।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करते हुए उसमें किसी लोप या कथन का पता लगाता है तो वह निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा ।

निर्धारण ।

99. (1) इस अध्याय के अधीन कोई निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जिसने धारा 98 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर धारा 98 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है (चाहे कोई विवरणी दी गई हो या नहीं), किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिनकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने की अपेक्षा की जाएगी और समय-समय पर और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिससे उससे ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री को ध्यान में रखने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की है, लिखित में आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहारों का मूल्य और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय या प्रतिदेय बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम अवधारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक ऐसा निर्धारिती जिसे उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे रकम का प्रतिदाय किया जाता है तो, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उस संबंधित व्यक्ति को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा ।

भूल की परिशुद्धि ।

100. (1) निर्धारण अधिकारी, अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आदेश में संशोधन किया जाना चाहा गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी,—

(क) स्वप्रेरणा से उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में कोई भूल लाई जाती है तो ऐसा संशोधन कर सकेगा ।

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित निर्धारण अधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की सूचना नहीं दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया हो ।

(5) जहां इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश लिखित में पारित किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो ।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज ।

101. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 97 के अधीन यथा अपेक्षित बैंककारी नकद संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति ।

102. कोई निर्धारिती, जो,—

(क) संपूर्ण बैंककारी नकद संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का धारा 97 के अधीन यथा अपेक्षित संग्रहण करने में असफल रहता है ; या

(ख) बैंककारी नकद संव्यवहार कर संगृहीत करने पर धारा 97 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है तो वह,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट दशा में, धारा 97 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर या धारा 101 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने की अतिरिक्त शास्ति के रूप में बैंककारी नकद संव्यवहार कर की उस रकम के, जिसका संग्रहण करने में वह असफल हुआ था, बराबर राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, धारा 97 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 101 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने की अतिरिक्त शास्ति के रूप में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा, तथापि, इस प्रकार इस खंड के अधीन शास्ति उस बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था ।

विहित विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

103. यदि कोई निर्धारिती नियत समय में ऐसी विवरणी, जिसकी धारा 98 की उपधारा (1) के अधीन या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना द्वारा दिए जाने की उससे अपेक्षा की गई है, देने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति ।

104. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा संदेय किसी बैंककारी नकद निकासी संव्यवहार कर और ब्याज के अतिरिक्त, यदि कोई हो, शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक असफलता के लिए दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

कतिपय मामलो में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना ।

105. धारा 102 या धारा 103 या धारा 104 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उक्त उपबंधों में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था :

परंतु इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

1961 के अधिनियम 43 के कतिपय उपबंधों को लागू होना।

106. आय-कर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध, जो समय-समय पर प्रवृत्त हों, जहां तक हो सके, बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे आय-कर के संबंध में लागू होते हैं :—

धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232, धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 ।

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

107. (1) धारा 99 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण आदेश से या धारा 100 के अधीन किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने के अपने दायित्व से इन्कार करने वाले या इस अध्याय के अधीन ब्याज या शास्ति के उद्ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

1961 का 43

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 तक के उपबंध, यावत्शक्य लागू होंगे ।

अपील अधिकरण को अपील ।

108. (1) आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा धारा 107 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 107 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और विहित रीति से सत्यापित की जाएगी और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील की दशा में उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी ।

(5) जहां कोई अपील उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है वहां आय-कर अधिनियम,

1961 का 43

1961 की धारा 252 से धारा 255 तक के उपबंध यावत्शक्य लागू होंगे ।

सत्यापन में मिथ्या कथन, आदि ।

109. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा कथन करेगा या ऐसा लेखा या विवरण परिदत्त करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है कि वह मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करता है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा ।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थान्तर्गत असंज्ञेय समझा जाएगा ।

कार्यवाहियों का संस्थित किया जाना।

110. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 109 के अधीन किसी अपराध के लिए, मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

111. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय जिसके भीतर विवरणी निर्धारण अधिकारी को या किसी अन्य अभिकरण को परिदत्त की जाएगी या कराई जाएगी और वह प्ररूप तथा रीति जिसमें ऐसी विवरणी धारा 98 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की जाएगी ;

(ख) वह समय जिसके भीतर विवरणी, धारा 98 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर प्रस्तुत की जाएगी ;

(ग) वह समय जिसके भीतर धारा 99 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा ;

(घ) वह प्ररूप जिसमें धारा 107 या धारा 108 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति जिसमें वे सत्यापित की जा सकेंगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जो इस अध्याय द्वारा विहित किया जाना है, या विहित किया जा सकेगा ।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि, पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि, ऐसे उपांतरण या शून्यकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

112. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

1873 के अधिनियम 5 का संशोधन ।

113. सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 3 में, "जमाकर्ता" की परिभाषा में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परन्तु उस तारीख को और उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, इस खंड के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो "किसी व्यक्ति" शब्द के स्थान पर "कोई व्यष्टि" शब्द रखा गया था ।'।

1899 के अधिनियम 2 में नई धारा 8ख का अंतःस्थापन ।

114. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कोई निगमीकरण और गैर पारस्परीकरण स्कीमें और संबंधित लिखतों का शुल्क के लिए दायी न होना ।

'8ख. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, —

(क) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परीकरण या दोनों की कोई स्कीम ;

(ख) किसी स्कीम के अनुसरण में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण या गैर पारस्परीकरण या दोनों के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति के अंतरण, कारबार, आस्ति चाहे जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता का या उसके संबंध में कोई लिखत भी है,

जिसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4ख की उपधारा (2) के अधीन भारतीय प्रतिभूति और संविदा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी । 1956 का 42

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निगमीकरण", "गैर-पारस्परीकरण" और "स्कीम" पदों के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक), खंड (कख) और खंड (छक) में हैं ; 1956 का 42

(ख) "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है ।' । 1992 का 15

1950 के अधिनियम 49 की धारा 2 का संशोधन ।

115. भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 2 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उपधारा (1) के इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उस तारीख से ही, जिसको वित्त विधेयक, 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उस राशि में, जो उपधारा (1) के अधीन भारत की संचित निधि में से भारत की आकस्मिकता निधि में संदत्त की जाएगी, पांच अरब रुपए तक की वृद्धि हो जाएगी।"।

1957 के अधिनियम 58 की पहली अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

116. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के स्थान पर दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

1959 के अधिनियम 46 का संशोधन ।

117. सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(क) "धारक" से बचत पत्र के संबंध में अभिप्रेत है,—

(i) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया बचत पत्र किसी समय उस तारीख से पूर्व, जिसको वित्त विधेयक, 2005 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है ; और

(ii) कोई व्यष्टि, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार जारी किया गया बचत पत्र किसी समय उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2005 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, धारण करता है ;

(कक) "अवयस्क" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में यह नहीं समझा गया है कि उसने वयस्कता अधिनियम, 1875 के अधीन अपनी वयस्कता प्राप्त कर ली है ;' । 1875 का 9

1978 के अधिनियम 40 की अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

118. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की अनुसूची के स्थान पर ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

1998 के अधिनियम 21 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

119. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की दूसरी अनुसूची में, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

1999 के अधिनियम 27 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

120. वित्त अधिनियम, 1999 की दूसरी अनुसूची में, स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2000 के अधिनियम 54 की धारा 10 का संशोधन ।

121. केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 10 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के खंड (viii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की, यथास्थिति, धारा 103 की उपधारा (1) और धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत पैट्रोल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 1999 की, यथास्थिति, धारा 116 की उपधारा (1) और धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर के समतुल्य रकम को, जैसी वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 119 और धारा 120 द्वारा अनन्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए बढ़ाई गई हो, आबंटित करेगी।"। 1998 का 21 1999 का 27

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

122. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर बारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची रखी जाएगी ।

2003 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

123. वित्त अधिनियम, 2003 में,—

(क) धारा 128 का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा 134 में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 157 का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा 169 में, "और इस प्रकार किए गए संशोधन" शब्दों से आरंभ होने वाले, और "किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग का 31 मार्च, 2005 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) चौथी अनुसूची का लोप किया जाएगा ।

124. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की,— 2004 के अधिनियम 23 का संशोधन ।

(क) धारा 88 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के ऐसे केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (जिसे इस उपधारा में अतिरिक्त शुल्क का सेनवेट प्रत्यय कहा गया है) की जिसका उपभोग किया गया है, किन्तु जिसका उपभोग तब न किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा होता, वसूली के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात् :— 1957 का 58

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, 25 मई, 2005 को या उससे पूर्व ऐसे व्यक्ति पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है) जिससे वसूली की जानी है, ऐसी सूचना की तामील करेगा जिसमें निर्धारिती से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेनवेट शुल्क कहा गया है), के संदाय के लिए जो उसके द्वारा विभिन्न तारीखों को अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की रकम के रूप मे उपयोग की गई है, की घोषणा करे ; 1986 का 5

(ii) निर्धारिती खंड (i) में यथा अपेक्षित घोषणा 31 मई, 2005 को या उससे पूर्व करेगा ;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, निर्धारिती द्वारा खंड (ii) के अधीन की गई घोषणा पर विचार करने के पश्चात् सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए विभिन्न तारीखों को उपयोग की गई अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यय की रकम कहा गया है) अवधारित करेगा ;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, खंड (v) के उपबंधों के अनुसार सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए उपयोग की गई अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय पर ब्याज की रकम (जिसे इसमें इसके पश्चात् ब्याज की रकम कहा गया है) का पृथक् रूप से अवधारण करेगा ;

(v) सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए उपयोग की गई प्रत्यय की रकम पर ब्याज की रकम उस दिन से ही आरंभ होकर जब प्रत्येक बार प्रत्यय की रकम का उपयोग किया गया था, और 10 सितंबर, 2004 की समाप्ति पर 13% प्रति वर्ष की दर पर होगी;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, 15 जून, 2005 को या उससे पूर्व निर्धारिती को लिखित में खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन इस प्रकार अवधारित ब्याज की रकम की सूचना देगा ;

(vii) निर्धारिती खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन अवधारित प्रत्येक रकम के एक सौ छत्तीसवें भाग के बराबर रकम का संदाय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा रकम के अवधारण की सूचना की प्राप्ति के आगामी मास से आरंभ होने वाले प्रत्येक मास की पांच तारीख तक करेगा ;

(viii) निर्धारिती स्वप्रेरणा से किसी विशिष्ट मास तक संदत्त की जाने वाली रकम से अधिक का, यथास्थिति, प्रत्यय की रकम या ब्याज की रकम के मद्दे संदाय कर सकेगा ;

(ix) जहां निर्धारिती क्रमशः खंड (iii) और खंड (iv) के अधीन यथा अवधारित प्रत्यय की कुल रकम और ब्याज की रकम का संदाय करता है वहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी प्रत्यय और ब्याज की रकम के संदाय की पुष्टि करते हुए और निर्धारिती को अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय की किसी वसूली से उन्मोचित करते हुए, कोई आदेश जारी करेगा ;

(x) इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट प्रत्यय का, सेनवेट शुल्क के संदाय मद्दे पहले ही उस अतिरिक्त शुल्क का जिसका 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् सेनवेट शुल्क के संदाय के लिए संदत्त किया जा चुका है, सेनवेट प्रत्यय का इस प्रकार उपयोग किए जाने के पूर्व, पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

(6) जहां निर्धारिती खंड (i) के अधीन यथा अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसकी घोषणा प्रस्तुत कर दी है किन्तु उपधारा (5) के खंड (vii) में यथा विनिर्दिष्ट तारीख तक रकम का संदाय करने में असफल रहा है, वहां उपधारा (4) के उपबंध इस उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे कि निर्धारिती से यह अपेक्षा करते हुए उस पर एक सूचना की, कि वह यह कारण बताए कि उसको सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए, उसके असफल रहने की तारीख से तीन मास के भीतर तामील की जाएगी ।" ;

(ख) धारा 94 में, उपधारा (1) के खंड (क) को उसके खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ;"; 1975 का 51

(ग) धारा 98 की सारणी में, 1 जून, 2005 से,—

(i) क्रम सं0 1 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.075 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) क्रम सं0 2 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.075 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.1 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) क्रम सं0 3 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.015 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.02 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) क्रम सं0 4 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.01 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.0133 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(v) क्रम सं0 5 के सामने, दर से संबंधित स्तंभ (3) के नीचे "0.15 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.2 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 72, खंड 74, खंड 85, खंड 86, खंड 119, खंड 120 और खंड 123(घ) के उपबंध, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

भाग 1

आय-कर

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है	19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, आठ लाख पचास हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दर

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए प्राप्त फीसें,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्त्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगीः—

	आय-कर की दरें
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर —	10 प्रतिशत ;
(अ) केंद्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(ई) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ए) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं]	20 प्रतिशत ;
(उ) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।

	आय-कर की दर
2. कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है--	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशतः
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर —	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशतः
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किंतु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और 38 में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] आय पर	20 प्रतिशत ;
(viii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) प्रत्येक फर्म और आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (viii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

(आ) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य सीमांत फायदों की बाबत ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) नीचे इस पैरा की मद (ii) और मद (iii) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	5,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	25,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,25,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,25,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,25,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	2,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	22,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	20,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दर

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा की मद के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ढाई प्रतिशत की दर से;

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाली को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाली को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय जो ऐसी आय है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाली को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाली को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से कोई आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट लाक रबड़ के सेंटिट्यूज लेटेक्स या सेनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित काफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाली निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाली व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाली व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 1997 (1997 का 26) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध हैं) आवश्यक उपांतरों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 74 देखिए)

भाग 1

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 6 में, शीर्ष 0603 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 25 में,—

(i) शीर्ष (शीर्ष 2504 और 2510 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2504 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(3) अध्याय 26 में, टैरिफ मद 2620 11 00, 2620 19 00, 2620 30 10 और 2620 30 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 27 में,—

(i) शीर्ष 2701 (टैरिफ मद 2701 12 00, 2701 20 10 और 2701 20 90 के सिवाय) की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2705 00 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 2706, 2707 और 2708, की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 2710 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 2712 और 2713 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) शीर्ष 2715 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 28 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2801 20 00, 2812 10 10, 2812 10 21, 2812 10 22, 2812 10 41, 2812 10 42, 2812 10 43, 2812 10 47, 2812 10 60, 2814 10 00, 2814 20 00, 2845 10 00 और 2851 00 91 और 2851 00 99 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 29 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 2901 10 00, 2901 21 00, 2901 22 00, 2901 23 00, 2901 24 00, 2901 29 10, 2901 29 20, 2901 29 90, 2902 11 00, 2902 19 00, 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00, 2902 50 00, 2902 60 00, 2902 70 00, 2902 90 10, 2902 90 20, 2902 90 30, 2902 90 40, 2902 90 50, 2902 90 90, 2903 15 00, 2903 21 00, 2903 30 11, 2903 30 19, 2904 90 80, 2905 19 10, 2905 19 90, 2905 43 00, 2905 44 00, 2918 19 10, 2918 19 90, 2920 10 10, 2920 10 20, 2920 90 41, 2920 90 42, 2920 90 43, 2920 90 44, 2920 90 45, 2920 90 47, 2920 90 48, 2920 90 51, 2920 90 52, 2920 90 53, 2920 90 54, 2920 90 55, 2920 90 56, 2920 90 57, 2920 90 58, 2920 90 61, 2920 90 62, 2920 90 63, 2920 90 64, 2920 90 65, 2920 90 66, 2920 90 99, 2921 19 11, 2921 19 14, 2921 19 90, 2922 11 11, 2922 11 12, 2922 11 13, 2922 11 14, 2922 11 15, 2922 11 16, 2922 11 90, 2922 12 11, 2922 12 12, 2922 12 90, 2922 19 10, 2922 19 20, 2922 19 30, 2922 19 90, 2926 10 00, 2930 90 91, 2930 90 99, 2933 39 30, 2936 10 00, 2936 21 00, 2936 22 10, 2936 22 90, 2936 23 10, 2936 23 90, 2936 24 00, 2936 25 00, 2936 26 10, 2936 26 90, 2936 27 00, 2936 28 00, 2936 29 10, 2936 29 20, 2936 29 30, 2936 29 40, 2936 29 50, 2936 29 90, 2936 90 00, 2937 11 00, 2937 12 00, 2937 19 00, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 23 00, 2937 29 00, 2937 31 00, 2937 39 00, 2937 40 00, 2937 50 00, 2937 90 00, 2939 29 10, 2939 29 90, 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00, 2939 59 00, 2941 10 10, 2941 10 20, 2941 10 30, 2941 10 40, 2941 10 50, 2941 10 90, 2941 20 10, 2941 20 90, 2941 30 10, 2941 30 20, 2941 30 90, 2941 40 00, 2941 50 00, 2941 90 11, 2941 90 12, 2941 90 13, 2941 90 14, 2941 90 19, 2941 90 20, 2941 90 30, 2941 90 40, 2941 90 50, 2941 90 60 और 2941 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 2936 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) टैरिफ मद 2937 11 00, 2937 12 00, 2937 19 00, 2937 21 00, 2937 22 00, 2937 23 00, 2937 29 00, 2937 31 00, 2937 39 00, 2937 40 00, 2937 50 00, 2937 90 00, 2939 41 10, 2939 41 20, 2939 41 90, 2939 42 00, 2939 43 00, 2939 49 00, 2939 51 00 और 2939 59 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) शीर्ष 2941 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(7) अध्याय 30 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 3005 और 3006 की टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) टैरिफ मद 3005 10 10, 3005 10 20, 3005 10 90, 3005 90 10, 3005 90 20, 3005 90 30, 3005 90 40, 3005 90 50, 3005 90 60, 3005 90 70, 3005 90 90, 3006 10 10, 3006 10 20, 3006 20 00, 3006 30 00, 3006 40 00, 3006 50 00, 3006 70 00 और 3006 80 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 31 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3102 21 00, 3102 50 00, 3104 30 00, 3105 20 00, 3105 30 00, 3105 40 00, 3105 51 00, 3105 59 00, 3105 60 00, 3105 90 10 और 3105 90 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 32 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 3201 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 33 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3301 11 00, 3301 12 00, 3301 13 00, 3301 14 00, 3301 19 10, 3301 19 90, 3301 21 00, 3301 22 10, 3301 22 90, 3301 23 00, 3301 24 00, 3301 25 10, 3301 25 20, 3301 25 30, 3301 25 40, 3301 25 90, 3301 26 00, 3301 29 11, 3301 29 12, 3301 29 13, 3301 29 14, 3301 29 15, 3301 29 16, 3301 29 17, 3301 29 18, 3301 29 21, 3301 29 22, 3301 29 23, 3301 29 24, 3301 29 25, 3301 29 26, 3301 29 27, 3301 29 28, 3301 29 31, 3301 29 32, 3301 29 33, 3301 29 34, 3301 29 35, 3301 29 36, 3301 29 37, 3301 29 38, 3301 29 41, 3301 29 42, 3301 29 43, 3301 29 44, 3301 29 45, 3301 29 46, 3301 29 47, 3301 29 48, 3301 29 49, 3301 29 50, 3301 29 90, 3301 30 10, 3301 30 91, 3301 30 99, 3301 90 11, 3301 90 12, 3301 90 13, 3301 90 14, 3301 90 15, 3301 90 16, 3301 90 17, 3301 90 21, 3301 90 22, 3301 90 23, 3301 90 24, 3301 90 25, 3301 90 29, 3301 90 31, 3301 90 32, 3301 90 33, 3301 90 41, 3301 90 49, 3301 90 51, 3301 90 59, 3301 90 60, 3301 90 71, 3301 90 79, 3301 90 90, 3302 10 10 और 3302 10 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 3302 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 34 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3402 11 10, 3402 11 90, 3402 12 00, 3402 13 00 और 3402 19 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(12) अध्याय 35 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3501 10 00, 3501 90 00, 3502 11 00, 3502 19 00, 3502 20 00, 3502 90 00, 3503 00 10, 3503 00 20, 3503 00 30, 3503 00 90, 3504 00 10, 3504 00 91, 3504 00 99, 3505 10 10, 3505 10 90 और 3505 20 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 36 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 37 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3701 20 00 और 3702 20 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 38 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3809 10 00, 3812 10 00, 3818 00 10, 3818 00 90, 3823 11 11, 3823 11 12, 382311 19, 3823 11 90, 3823 12 00, 3823 13 00, 3823 19 00, 3823 70 10, 3823 70 20, 3823 70 30, 3823 70 40, 3823 70 90, 3824 60 10 और 3824 60 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 3801 10 00, 3802 10 00, 3812 10 00, में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तम्भ (4) और स्तम्भ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "15%" और "15%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(16) अध्याय 39 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 40 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4001 10 10, 4001 10 20, 4001 21 00, 4001 22 00, 4001 29 10, 4001 29 20, 4001 29 30, 4001 29 40, 4001 29 90 और 4011 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 41 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4101, 4102 और 4103 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 42 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 43 में, शीर्ष 4303 और 4304 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 44 में, सभी टैरिफ मदों (शीर्ष 4401, 4402 और 4403 की सभी टैरिफ मदों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 45 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 46 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 48 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4801 00 10 और 4801 00 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 49 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 4902 10 10, 4902 10 20, 4902 90 10, 4902 90 20, 4904 00 00, 4905 10 00, 4905 91 00, 4905 99 10 और 4905 99 90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 50 में, शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 51 में,—

(i) टैरिफ मद 5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 90, 5105 31 00, 5105 39 00 और 5105 40 00 में, उनमें से सभी के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) शीर्ष टैरिफ मद 5106, 5107, 5108, 5109 और 5110 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5111 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5111 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5111 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 80 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5111 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 75 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5111 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 90 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5112 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 125 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5112 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 155 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5112 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 85 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5112 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5112 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) शीर्ष 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 52 में,—

(i) शीर्ष 5204, 5205, 5206 और 5207 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5208 11, 5208 12, 5208 13, 5208 19, 5208 21, 5208 22, 5208 23, 5208 29, 5208 31, 5208 32 और 5208 33 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5208 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5208 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 9 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5208 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 37 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5208 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5208 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 200 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5208 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 27 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5208 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 23 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5208 53 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 35 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5208 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 50 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5209 11 और 5209 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 5209 19 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5209 21, 5209 22 और 5209 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5209 31, 5209 32 और 5209 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5209 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 32 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5209 42 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5209 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 5209 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5209 51 और 5209 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5209 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 38 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 5210 11 और 5210 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 5210 19 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5210 21, 5210 22, 5210 29, 5210 31 और 5210 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 5210 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष 5210 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 15 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 5210 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 5210 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 185 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष 5210 51, 5210 52 और 5210 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 15 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 5211 11 और 5211 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5211 19 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5211 21, 5211 22 और 5211 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 5211 31, 5211 32 और 5211 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 5211 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 44 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 5211 42 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 18 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5211 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 40 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 5211 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष 5211 51, 5211 52 और 5211 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 18 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 5212 11 00, 5212 12 00, 5212 13 00 और 5212 14 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) टैरिफ मद 5212 15 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 165 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 5212 21 00, 5212 22 00 और 5212 23 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) टैरिफ मद 5212 24 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 20 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) टैरिफ मद 5212 25 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 165 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(29) अध्याय 53 में, सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 00, 5302 10 00 और 5302 90 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 54 में,—

(i) शीर्ष 5401, 5402, 5403 और 5404 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5405 00 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 5406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5407 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 115 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5407 20 और 5407 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5407 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5407 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5407 43 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 67 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5407 44 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 58 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5407 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 11 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5407 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 38 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5407 53 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 50 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5407 54 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 20 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5407 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5407 69 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5407 71 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 10 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5407 72 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 24 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5407 73 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5407 74 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 38 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5407 81 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 10 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5407 82 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 42 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5407 83 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 67 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 5407 84 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 38 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5407 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 15 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5407 92 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 67 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 5407 93 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 45 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5407 94 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 67 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5408 10 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष 5408 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 5408 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 45 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5408 23 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 47 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 5408 24 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 87 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष 5408 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 5408 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 44 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 5408 33 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 10 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5408 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 11 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(31) अध्याय 55 में,—

(i) शीर्ष 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509 और 5510 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5511 10 00 और 5511 20 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 31 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5511 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5512 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5512 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 42 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5512 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5512 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 47 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5512 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5512 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 65 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5513 11, 5513 12, 5513 13 और 5513 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 5513 21 00 और 5513 22 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5513 23 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 125 रु0 प्रति कि.ग्रा. या 25 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 5513 29 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 185 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 5513 31 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 21 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5513 32 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 170 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 5513 33 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 22 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5513 39 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 125 रु0 प्रति कि.ग्रा. या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5513 41 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 5513 42 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 12 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 5513 43 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 20 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 5513 49 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 185 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 5514 11, 5514 12, 5514 13 और 5514 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 5514 21 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 100 रु0 प्रति कि.ग्रा. या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) टैरिफ मद 5514 22 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 140 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5514 23 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 160 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 5514 29 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 170 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 5514 31 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 64 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 5514 32 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 43 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 5514 33 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 180 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 5514 39 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 31 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 5514 41 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 26 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 5514 42 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 140 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 5514 43 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 31 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) टैरिफ मद 5514 49 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 160 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष 5515 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 40 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 5515 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 95 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 5515 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 75 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष 5515 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 45 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष 5515 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 79 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 5515 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 140 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) उपशीर्ष 5515 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 5515 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 57 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष 5515 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 55 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष 5515 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 35 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 5516 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 5516 12 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 35 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 5516 13 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 40 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष 5516 14 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 12 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 5516 21 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) टैरिफ मद 5516 22 00 और 5516 23 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) टैरिफ मद 5516 24 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 12 रु0 प्रति वर्ग मीटर, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) उपशीर्ष 5516 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) टैरिफ मद 5516 32 00, 5516 33 00 और 5516 34 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) उपशीर्ष 5516 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) टैरिफ मद 5516 42 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) टैरिफ मद 5516 43 00 और 5516 44 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 12 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) उपशीर्ष 5516 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) टैरिफ मद 5516 92 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) टैरिफ मद 5516 93 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 21 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) टैरिफ मद 5516 94 00 में स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 40 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 56 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(33) अध्याय 57 में,—

(i) शीर्ष 5701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5702 10 00 में, स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5702 20 और 5702 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5702 32 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 105 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5702 39 और 5702 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5702 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 80 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5702 49 और 5702 51 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5702 52 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 105 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5702 59 और 5702 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5702 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5702 99 और 5703 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5703 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 70 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5703 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 55 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5703 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5704 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5704 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 35 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(34) अध्याय 58 में,—

(i) टैरिफ मद 5801 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 210 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 5801 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 80 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5801 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 75 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 5801 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 80 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 5801 24 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 5801 25 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 120 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 5801 26 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 180 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 5801 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 75 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 5801 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 180 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 5801 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5801 34 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 140 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 5801 35 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 68 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5801 36 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 130 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5801 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 35 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 5802 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5802 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति व.मी., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 5802 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 5802 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 150 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) शीर्ष 5803 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) शीर्ष 5804 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 200 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) शीर्ष 5805, 5806, 5807, 5808 और 5809 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 5810 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 200 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 5810 91 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 5810 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 5810 99 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) शीर्ष 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(35) अध्याय 59 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(36) अध्याय 60 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 6001 92 00 को छोड़कर) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6001 92 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 100 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 61 में,—

(i) उपशीर्ष 6101 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 700 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6101 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 540 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 6101 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 530 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 6101 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6102 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 595 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 6102 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 425 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 6102 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 475 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 6102 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 6103 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 6104 11 00, 6104 12 00 और 6104 13 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 6104 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 460 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 6104 21 00, 6104 22 00 और 6104 23 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 6104 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 6104 31 00, 6104 32 00 और 6104 33 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 6104 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 6104 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 255 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6104 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 6104 43 00 और 6104 44 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 255 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 6104 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 6104 51 00, 6104 52 00 और 6104 53 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 6104 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 6104 61 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 6104 62 00 और 6104 63 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 98 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 6104.69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष 6105 10 और 6105 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 83 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष 6105 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 90 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 6106 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 90 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 6106 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष 6106 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 6107 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 24 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 6107 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 6107 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 6107 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 6107 22, 6107 29, 6107 91, 6107 92 और 6107 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष 6108 11 और 6108 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) टैरिफ मद 6108 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 6108 22 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 25 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष 6108 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 6108 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 6108 32 और 6108 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 6108 91 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 6108 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष 6108 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) टैरिफ मद 6109 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 45 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 6109 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 50 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) उपशीर्ष 6110 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 6110 12 00 और 6110 19 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) टैरिफ मद 6110 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 85 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 6110 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) टैरिफ मद 6110 90 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 105 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) शीर्ष 6111 और 6112 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) टैरिफ मद 6113 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) शीर्ष 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(38) अध्याय 62 में,—

(i) टैरिफ मद 6201 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 6201 12 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 6201 13 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 320 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 6201 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 6201 91 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 6201 92 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 210 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 6201 93 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 180 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 6201 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 6202 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 6202 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 210 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 6202 13 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 385 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 6202 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 6202 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 6202 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 160 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 6202 93 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 220 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 6202 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 6203 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 1,100 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 6203 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 720 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 6203 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 1,110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 6203 21 00, 6203 22 00, 6203 23 00 और 6203 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) टैरिफ मद 6203 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 815 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 6203 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 440 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) टैरिफ मद 6203 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 320 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 6203 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 755 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 6203 41 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 285 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 6203 42 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 6203 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 6203 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 110 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 6204 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 550 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 6204 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 6204 13 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 550 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष 6204 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 500 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 6204 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) टैरिफ मद 6204 22 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 6204 23 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष 6204 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) टैरिफ मद 6204 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 370 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 6204 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 650 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) टैरिफ मद 6204 33 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 390 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष 6204 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 350 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) उपशीर्ष 6204 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 6204 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 116 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष 6204 43 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) टैरिफ मद 6204 44 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष 6204 49 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 145 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) टैरिफ मद 6204 51 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 485 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) टैरिफ मद 6204 52 00 और 6204 53 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष 6204 59 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष 6204 61 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 285 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) टैरिफ मद 6204 62 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) टैरिफ मद 6204 63 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) उपशीर्ष 6204 69 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) टैरिफ मद 6205 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 200 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) टैरिफ मद 6205 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 85 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) टैरिफ मद 6205 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 120 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) उपशीर्ष 6205 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) उपशीर्ष 6206 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) टैरिफ मद 6206 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) टैरिफ मद 6206 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) टैरिफ मद 6206 40 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 120 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) टैरिफ मद 6206 90 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxii) टैरिफ मद 6207 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 28 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiii) उपशीर्ष 6207 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiv) टैरिफ मद 6207 21 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxv) टैरिफ मद 6207 22 00 और 6207 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvi) उपशीर्ष 6207 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvii) टैरिफ मद 6207 92 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxviii) उपशीर्ष 6207 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 70 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxix) टैरिफ मद 6208 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 80 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हों" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxx) उपशीर्ष 6208 19 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 60 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxi) टैरिफ मद 6208 21 00 और 6208 22 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxii) उपशीर्ष 6208 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiii) उपशीर्ष 6208 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 95 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiv) उपशीर्ष 6208 92 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxv) उपशीर्ष 6208 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvi) शीर्ष 6209 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvii) टैरिफ मद 6210 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxviii) उपशीर्ष 6210 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 365 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxix) उपशीर्ष 6210 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 305 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxx) उपशीर्ष 6210 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxi) टैरिफ मद 6210 50 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 65 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxii) टैरिफ मद 6211 11 00, 6211 12 00, 6211 20 00 और 6211 31 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxiii) टैरिफ मद 6211 32 00 और 6211 33 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxiv) टैरिफ मद 6211 39 00 और 6211 41 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxv) उपशीर्ष 6211 42 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxvi) टैरिफ मद 6211 43 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 135 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxvii) टैरिफ मद 6211 49 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxviii) शीर्ष 6212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 30 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxxix) शीर्ष 6213 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xc) उपशीर्ष 6214 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 390 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xci) उपशीर्ष 6214 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 180 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xcii) टैरिफ मद 6214 30 00 और 6214 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xciii) उपशीर्ष 6214 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 75 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xciv) शीर्ष 6215 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 55 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xcv) शीर्ष 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(39) अध्याय 63 में,—

(i) सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 6301 20 00, 6302 21 00, 6302 31 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 6301 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 275 रु0 प्रति नग, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 6302 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 108 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 6302 31 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15% या 96 रु0 प्रति कि.ग्रा., इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 64 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(41) अध्याय 65 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 66 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 67 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 68 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 69 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 70 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 71 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 72 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 73 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 74 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(51) अध्याय 76 में, शीर्ष 7615 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(52) अध्याय 78 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 79 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 81 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(55) अध्याय 82 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(56) अध्याय 83 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(57) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8401, 8402, 8403, 8404, 8405 और 8406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8407 10 00 और 8407 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 8407 31, 8407 32, 8407 33, 8407 34, और 8407 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424, 8425, 8426, 8427, 8428, 8429, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 8441, 8442, 8443, 8444, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454 और 8455 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8456 10 00, 8456 20 00 और 8456 30 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 8456 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467 और 8468 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 8469 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 8469 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 8469 20 और 8469 30 की सभी टैरिफ मदों में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) शीर्ष 8470 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 8471 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 8471 30 और 8471 41 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 8471 49 00 और 8471 50 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 8471 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 8471 80 00 और 8471 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 8472 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 8473 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 8473 21 00 और 8473 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 8473 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 8473 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 8473 50 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8479, 8480, 8481, 8482, 8483, 8484 और 8485 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(58) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515 और 8516 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8517 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8518 और 8519 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8520 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8520 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8520 32 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 8520 33, 8520 39 और 8520 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 8521 और 8522 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 8523 11, 8523 12, 8523 13 और 8523 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 8523 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 8523 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 8524 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 8524 31 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 8524 32 और 8524 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 8524 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 8524 51, 8524 52 और 8524 53 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) टैरिफ मद 8524 60 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 8524 91 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 8524 99 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 8525 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 8525 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 8525 30 00 और 8525 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) शीर्ष 8526, 8527, 8528, 8529 और 8530 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 8531 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) टैरिफ मद 8531 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 8531 80 00 और 8531 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) टैरिफ मद 8532 10 00, 8532 22 00, 8532 23 00 और 8532 25 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष 8532 29 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 8532 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) टैरिफ मद 8533 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष 8533 21, 8533 29, 8533 31, 8533 39 और 8533 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) टैरिफ मद 8534 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) शीर्ष 8535, 8536, 8537, 8538 और 8539 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष 8540 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) टैरिफ मद 8540 12 00 , 8540 20 00, 8540 50 00, 8540 60 00, 8540 71 00, 8540 72 00, 8540 79 00, 8540 81 00, 8540 89 00, 8540 91 00 और 8540 99 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) टैरिफ मद 8541 10 00, 8541 21 00 और 8541 29 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष 8541 30 और 8541 40 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) टैरिफ मद 8541 50 00 और 8541 60 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष 8543 19 और 8543 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) टैरिफ मद 8543 30 00 और 8543 40 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) टैरिफ मद 8543 81 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष 8543 89 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) टैरिफ मद 8543 90 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष 8544 11, 8544 19 और 8544 20 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) टैरिफ मद 8544 30 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) उपशीर्ष 8544 41, 8544 49, 8544 51, 8544 59 और 8544 60 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) उपशीर्ष 8544 70 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) शीर्ष 8545, 8546, 8547 और 8548 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(59) अध्याय 86 में, सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 87 में,—

(i) शीर्ष 8701 और 8702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 8703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8704, 8705, 8706, 8707, 8708 और 8709 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 8711 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) शीर्ष 8712, 8713, 8714, 8715 और 8716 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(61) अध्याय 88 में सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00, 8802 40 00, 8803 10 00, 8803 20 00 और 8803 30 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(62) अध्याय 89 में सभी टैरिफ मदों (टैरिफ मद 8908 00 00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 90 में,—

(i) शीर्ष 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007 और 9008 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9009 11 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9009 12 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 9009 21 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 9009 22 00 और 9009 30 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 9009 91 00, 9009 92 00, 9009 93 00 और 9009 99 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 9010 10 00, 9010 50 00, 9010 60 00 और 9010 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 9011 और 9012 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) शीर्ष 9013 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 9013 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 9013 80 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 9013 80 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) टैरिफ मद 9013 90 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 9013 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) शीर्ष 9014, 9015, 9016, 9017, 9018 और 9019 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 9020 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) शीर्ष 9021, 9022, 9023, 9024 और 9025 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) शीर्ष 9026 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 9027 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) टैरिफ मद 9027 20 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 9027 30 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) टैरिफ मद 9027 40 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष 9027 50 और 9027 80 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष 9027 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) शीर्ष 9028 और 9029 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) टैरिफ मद 9030 10 00, 9030 20 00 और 9030 31 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष 9030 39 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) टैरिफ मद 9030 40 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "निःशुल्क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) टैरिफ मद 9030 83 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष 9030 89 और 9030 90 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) टैरिफ मद 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 30 00, 9031 49 00, 9031 80 00 और 9031 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) शीर्ष 9032 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) टैरिफ मद 9033 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(64) अध्याय 91 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(65) अध्याय 92 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 93 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 94 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 95 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 96 में सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(70) अध्याय 97 में,—

(i) शीर्ष 9701 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9702 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9703 और 9705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 9706 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(71) अध्याय 98 में,—

(i) शीर्ष 9801 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9802 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 9803 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) शीर्ष 9804 और 9805 की सभी टैरिफ मदों में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

भाग 2

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

1. अध्याय 22 में शीर्ष 2208 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उपशीर्ष, टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2208		**अविकृतिकृत एथिल एल्कोहाल जिसकी एल्कोहाली प्रबलता की मात्रा 80 प्रतिशत की मात्रा से कम है; स्पिरिट, लिकर और अन्य स्पिरिटयुक्त सुपेय**			
2208 20	-	द्राक्षा वाइन या द्राक्षा मेवर के आसवन से प्राप्त स्पिरिट :			
	---	ऐसे आधानों में जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं			
2280 20 11	----	ब्रांडी	लि.	182%	-
2280 20 12	----	लिकर	लि.	182%	
2280 20 19	----	अन्य	लि.	182%	
	---	अन्य :			
2280 20 91	----	ब्रांडी	लि.	182%	-
2280 20 92	----	लिकर	लि.	182%	-
2280 20 99	----	अन्य	लि.	182%	-
2208 30	-	ह्विस्की	लि.	182%	-
	---	ऐसे आधानों में जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं :			
2208 30 11	----	बार्बोन ह्विस्की	लि.	182%	-
2208 30 12	----	स्कॉच	लि.	182%	-
2208 30 13	----	सम्मिश्र	लि.	182%	-
2208 30 19	----	अन्य	लि.	182%	-
	---	अन्य :			
2208 30 91	----	बार्बोन ह्विस्की	लि.	182%	-
2208 30 92	----	स्कॉच	लि.	182%	-
2208 30 93	----	समिश्र	लि.	182%	-
2208 30 99	----	अन्य	लि.	182%	-
2208 40	-	रम और टाफिआ :			
	---	ऐसे आधानों में जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं :			
2208 40 11	----	रम	लि.	182%	-
2208 40 12	----	टाफिआ	लि.	182%	-
	---	अन्य :			
2208 40 91	----	रम	लि.	182%	-
2208 40 92	----	टाफिआ	लि.	182%	-

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2208 50	-	जिन और जिनेवा :			
	---	ऐसे आधानों में जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं :			
2208 50 11	----	जिन	लि.	182%	-
2208 50 12	----	जिनेवा	लि.	182%	-
2208 50 13	----	वोदका	लि.	182%	-
	---	अन्य :			
2208 50 91	----	जिन	लि.	182%	-
2208 50 92	----	जिनेवा	लि.	182%	-
2208 50 93	----	वोदका	लि.	182%	-
2208 70	-	लिकर और कार्डियल :			
	---	ऐसे आधानों में जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं :			
2208 70 11	----	लिकर	लि.	182%	-
2208 70 12	----	कार्डियल	लि.	182%	-
	---	अन्य :			
2208 70 91	----	लिकर	लि.	182%	-
2208 70 92	----	कार्डियल	लि.	182%	-
2208 90	-	अन्य :			
	---	ऐसे आधानों मे जिनमें 2 लि. या कम रखे हुए हैं :			
2208 90 11	----	टेकिला	लि.	182%	-
2208 90 12	----	इन्डेन प्रकृति की इथाइल एल्कोहल	लि.	182%	-
2208 90 19	----	अन्य	लि.	182%	-
	---	अन्य :			
2208 90 91	----	टेकिला	लि.	182%	
2208 90 92	----	इन्डेन प्रकृति की इथाइल अल्कोहल	लि.	182%	
2208 90 99	----	अन्य	लि.	182%	

2. अध्याय 28 में,—

(i) शीर्ष 2812 में,—

(क) टैरिफ मद 2812 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2812 10 10	---	फोसजीन (कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बन आक्सी-क्लोराइड, क्लारोफार्मिल क्लोराइड)";	कि.ग्रा.	15%	-";

(ख) टैरिफ मद 2812 10 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	---	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस पेन्टाक्लोराइड :			
2812 10 21	----	फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2812 10 22	----	फॉस्फोरस पेन्टाक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-";

(ग) टैरिफ मद 2812 10 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	सल्फर आक्सीक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर डाईक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड :			
2812 10 41	----	सल्फर आक्सीक्लोराइड,	कि.ग्रा.	15%	-
2812 10 42	----	सल्फर मोनोक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2812 10 43	----	सल्फर डाईक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2812 10 47	----	थायोनिल क्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-";

(घ) टैरिफ मद 2812 10 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"2812 10 60	---	अर्सनस ट्राइक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-";

(ii) शीर्ष 2851 में, टैरिफ मद 2851 00 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	अन्य :			
2851 00 91	----	सायनोजन क्लोराइड [(सीएन) सीएल]	कि.ग्रा.	15%	-
2851 00 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";

3. अध्याय 29 में,—

(i) शीर्ष 2903 में, टैरिफ मंद 2903 30 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	"---	फ्लोरिनेटिड व्युत्पन्न :			
2903 30 11	----	1-प्रोपेन, 1, 1, 3,3,3,-पेंटाफ्लूरो-2-(ट्राइफ्लूरोमिथाइल) (पी.एफ.आई.बी.)	कि.ग्रा.	15%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2903 30 19	---- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(ii) शीर्ष 2904 में, टैरिफ मद 2904 90 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—				
"2904 90 80	--- क्लौरोपिक्रिन (ट्राइक्लोरोनिट्रो-मेथेन)	कि.ग्रा.	15%	-";
(iii) शीर्ष 2905 में, टैरिफ मद 2905 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"2905 19	--- अन्य :			
2905 19 10	--- 2. ब्यूटानोल, 3, 3-डायमेथिल	कि.ग्रा.	15%	-
2905 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(iv) शीर्ष 2918 में, टैरिफ मद 2918 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"2918 19	-- अन्य :			
"2918 19 10	--- बेंजीनेस्टिक अम्ल, अल्फा-हाईड्रोक्सी-अल्फा-फिनाइल	कि.ग्रा.	15%	-
2918 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(v) शीर्ष 2920 में,—				
(क) टैरिफ मद 2920 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
	"- फास्फोरोथायोइक अम्ल, एस, [2-(डाइथाइलेमिनो) एथिल] ओ, ओ- डाइथाइल एस्टर, और थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; हैलोजनिकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रोटीकृत या नाइट्रोसेटीकृत व्युत्पन्न :			
2920 10 10	--- फास्फोरोथायोइक अम्ल, एस, [2-(डाइथाइलेमिनो) एथिल] ओ, ओ- डाइथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 10 20	--- थायोफास्फोरिक एस्टर (फास्फोरोथायोएट्स) और उनके लवण ; हैलोजनिकृत, सल्फोनिकृत, नाइट्रोटीकृत या नाइट्रोसेटीकृत व्युत्पन्न	कि.ग्रा.	15%	-";
(ख) टैरिफ मद 2920 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
	"--- अन्य :			
2920 90 41	---- ट्राईमिथायलीन फास्फाइट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 42	---- ट्राइएथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 43	---- डाइमिथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 44	---- डाइएथाइल फास्फाइट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 45	---- ओ, ओ, डाइमेथाइल मेथाइल फास्फोनेट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 47	---- फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल- के साथ सम्मिश्रित (एमिनोइमिनो मेथाइल) यूरिया (1 : 1)	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 48	---- 1-प्रोपेनेमिनियम एन,एन,एन-ट्राइमेथाइल-3-[1-ओ एक्स ओ-9-आक्टाडेसेनाइल) एमिनो] -, (जेड)-मेथाइल मेथाइलफास्फोनेट	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 51	---- फास्फोनिक अम्ल, [मेथाइल-बिस (5-इथाइल-2-मेथाइल-2-आक्सिडो-1, 3, 2-डाइओक्साफोस्फोरियन-5-वाइ एल) मेथाइल] एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 52	---- फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-(5-एथाइल—मेथाइल 2-आक्सोडो- 1, 3, 2-डाइओक्साफोस्फोरियन-5-वाई एल) मेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 53	---- फास्फोनिक अम्ल, प्रोपाइल-डाइमेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 54	---- फास्फोनस अम्ल, मेथाइल-डाइएथिल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 55	---- फास्फोनिक अम्ल, एथाइल-	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 56	---- फास्फोनिक अम्ल, प्रोपाइल-	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 57	---- फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 58	---- फास्फोनोक्लोराइडिक अम्ल, मेथाइल-, मेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 61	---- फास्फोनोथाइओइक डाइक्लोराइड, एथिल-	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 62	---- फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-	कि.ग्रा.	15%	-

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2920 90 63	---- फास्फोनिक अम्ल, मेथाइल-, डाइमेथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 64	---- फास्फोनिक डाइक्लोराइड मेथाइल	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 65	---- फास्फोनस डाइक्लोराइड, मेथाइल-	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 66	---- फास्फोनिक अम्ल, एथाइल-, डाइएथाइल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2920 90 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(vi) शीर्ष 2921 में, टैरिफ मद 2921 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"2921 19	--- अन्य :			
	--- 2-क्लोरो एन,एन-डाइ-आइसोप्रोपिल एथाइलेमाइन और एथेनामाइन, 2-क्लोरो-एन, एन-डाइमेथाइल :			
2921 19 11	---- 2-क्लोरो एन,एन-डाइ-आइसोप्रोपिल एथाइलेमाइन	कि.ग्रा.	15%	-
2921 19 14	---- एथेनामाइन, 2-क्लोरो-एन, एन-डाइमेथाइल	कि.ग्रा.	15%	-
2921 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(vii) शीर्ष 2922 में,—				
(क) टैरिफ मद 2922 11 00 और 2922 12 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखे जाएंगे अर्थात् :—				
"2922 11	--- मोनोएथनोलअमीन और उसके लवण :			
	--- 2-हाइड्रोक्सी एन, एन-डाइआइसोप्रोपाइल एथाइलेमाइन, एन, एन-डाइएथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, डाई-एथिल एमिनो एथेनोथाइओल हाइड्रोक्लोराइड, डाइ-मेथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, डाइ-मेथाइल एमिनो एथोनोथाइओल, डाइ-मेथाइल एमिनो एथेनेथाइओल हाइड्रोक्लोराइड :			
2922 11 11	---- 2-डाइड्रोक्सी एन,एन-डाइआइसोप्रोपाइल एथाइलेमाइन	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 12	---- एन, एन-डाइएथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 13	---- डाई-एथिल एमिनो एथेनोथाइओल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 14	---- डाइ-मेथाइल एमिनो एथिल क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 15	---- डाइ-मेथाइल एमिनो एथोनोथाइओल	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 16	---- डाइ-मेथाइल एमिनो एथेनेथाइओल हाइड्रोक्लोराइड	कि.ग्रा.	15%	-
2922 11 90	---- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-
2922 12	--- डाइथेनोलेमीन और उसके लवण :			
	--- एथिलडाइथेनोलेमीन और मेथाइलडाइथेनोलेमीन :			
2922 12 11	---- एथिलडाइथेनोलेमीन	कि.ग्रा.	15%	-
2922 12 12	---- मेथाइलडाइथेनोलेमीन	कि.ग्रा.	15%	-
2922 12 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(ख) टैरिफ मद 2922 19 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"2922 19	--- अन्य :			
2922 19 10	--- डाइएथिल एमिनो एथेनेथाइओल	कि.ग्रा.	15%	-
2922 19 20	--- एथेनोल, 2- [बिस(1-मिथाइलएथिल) एमिनो] -	कि.ग्रा.	15%	-
2922 19 30	--- एथेनोथाइओल, 2-(डाइएथिलएमिनो)-	कि.ग्रा.	15%	-
2922 19 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(viii) शीर्ष 2930 में, टैरिफ मद 2930 90 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
	"--- अन्य :			
2930 90 91	---- एथेनोल, 2,2'-थाइओबिस-	कि.ग्रा.	15%	-
2930 90 99	---- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-";
(ix) शीर्ष 2933 में, टैरिफ मद 2933 39 20 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—				
"2933 39 30	--- 1-एजेबाइसाइक्लो (2.2.2.) आक्टेन-3-ओ एल	कि.ग्रा.	15%	-";
(x) शीर्ष 2939 में, टैरिफ मद 2939 29 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—				
"2939 29	--- अन्य :			
2939 29 10	--- बेन्जीनेसिटिक अम्ल, अल्फा-हाइड्रोक्सी-अल्फा-फेनाइल, 1-एडेबाइसाइक्लो [2.2.2.] - 3-वाई एल एस्टर	कि.ग्रा.	15%	-
2939 29 90	--- अन्य	कि.ग्रा.	15%	-"।

तीसरी अनुसूची

(धारा 81 देखिए)

‘तीसरी अनुसूची

[धारा 2(च)(iii) देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, “शीर्ष”, “उपशीर्ष” और “टैरिफ मद” से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष और टैरिफ मद अभिप्रेत है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची, उक्त पहली अनुसूची की धारा और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण के निर्वचन नियम, यावतशक्य इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	0402 91 10 या 0402 99 20	सांद्रित (संघनित) दूध, चाहे मधुरित है या नहीं, जो यूनिट आधानों में रखा गया है और जो सामान्यतया विक्रय के लिए आशयित है
2.	1702	अन्य चीनी की निर्मितियां
3.	1702	चीनी का शर्बत, जिसमें मिलाए गए सुरूचिकारी या रंगकारी द्रव्य नहीं हैं ; कृत्रिम मधु, चाहे उसमें प्राकृतिक मधु मिश्रित है या नहीं ; कैरेमल
4.	1704	गम, चाहे वे चीनी लेपित हों या नहीं (जिनके अंतर्गत चबाने वाले गम, बबलगम और वैसी ही वस्तुएं हैं)
5.	1704 90	सभी माल
6.	1805 00 00 या 1806 10 00	कोको चूर्ण, चाहे उसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य है या नहीं
7.	1806	अन्य खाद्य निर्मितियां जिसमें कोको है
8.	1806 90 10	किसी भी रूप में चाकलेट, चाहे उसमें दृढ फल, फल की गिरी या फल है या नहीं और जिसके अंतर्गत पेय चाकलेट है
9.	1901 20 00 या 1901 90	सभी माल
10.	1902	सेवियों (वरमिसिली) से भिन्न सभी माल
11.	1904	सभी माल
12.	1905 31 00 या 1905 90 20	बिस्कुट, जिसके विनिर्माण में या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति की सहायता से की गई है
13.	1905 32 11 या 1905 32 90	वैफल और वैफर, चौकलेट से लेपित या जिनमें चाकलेट हो
14.	1905 32 19 या 1905 32 90	सभी माल
15.	2101 11 00 या 2101 12 00	काफी के निष्कर्ष, सत और सांद्रों तथा इन निष्कर्षों, सतों और सांद्रों के आधार वाली या काफी की आधार वाली निर्मितियां
16.	2102	सभी माल
17.	2105 00 00	आईसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, जिसमें कोको है या नहीं
18.	2106 90 20	पान मसाला, केवल दस ग्राम या अधिक के प्रति पैक वाले फुटकर पैकों में, उस माल से भिन्न जिसमें भार में पंद्रह प्रतिशत से अधिक बीटल नट नहीं है और किसी अनुपात में तंबाकू नहीं है
19.	2106 90 30	“सुपारी” के रूप में ज्ञात बीटल नट चूर्ण
20.	2106 90 11	शर्बत
21.	2106 10 00, 2106 90 19, 2106 90 40, 2106 90 50, 2106 90 60, 2106 90 70, 2106 90 80,	खाद्य निर्मितियां, जो कहीं भी विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, जिनका ब्रांड नाम है

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
	2106 90 91,	
	2106 90 99,	
22.	2201	जल, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल है (वातित जल को छोड़कर), जिसका कोई ब्रांड नाम है
23.	2202 10 10	वातित जल
24.	2201 20	वातित जल
25.	2202 10 90	जल, जिसमें खनिज जल है, जिसका कोई ब्रांड नाम है
26.	2209	एसिटीक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका और सिरके के अनुकल्प
27.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू और चबाने वाले तंबाकू की निर्मितियां
	2403 99 20	
	2403 99 30	
28.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू है
29.	2523 21 00	सफेद सीमेंट, चाहे कृत्रिम रूप से रंगा गया हो या नहीं और चाहे उसमें शीघ्र दृढ होने वाले गुण हों या नहीं
30.	2710	स्नेहक तेल और स्नेहक निर्मितियां
31.	3204 20 या 3204 90 00	संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद, जिनका उपयोग प्रतिदीप्तिशील प्रभासनक्रमक संदीपकों के रूप में किया जाता है
32.	3206	रंजक और अकार्बनिक पदार्थों से भिन्न सभी माल, जो संदीपक के रूप में उपयोग किए जाते हैं
33.	3208 या 3209 या 3210	सभी माल
34.	3212 90	रंजक और अन्य रंगकारी द्रव्य जो ऐसे प्ररूपों में या ऐसी छोटी पैकिंगों में हैं जिनका उपयोग घरेलू या प्रयोगशाला के प्रयोजनों के लिए किया जाता है
35.	(i) 3213	सभी माल
	(ii) 3214	प्राइमर के सिवाय सभी माल (शीर्ष 3208), वार्निशें (शीर्ष 3209)
36.	(i) 3303 या 3304	सभी माल
	(ii) या 3305	सुगंध सामग्री और प्रसाधन जल जो, इस अध्याय टिप्पण 1(घ) में विनिर्दिष्ट हैं,
37.	3306	टूथपेस्ट
38.	3307	सभी माल जिनमें, इस अध्याय के टिप्पण 1(घ) में विनिर्दिष्ट पदार्थ नहीं हैं
39.	3401	निम्नलिखित से भिन्न किसी रूप में साबुन : (i) प्रसाधन के लिए उपयोग से भिन्न साबुन, चाहे उनमें औषधि या विसंक्रामक हैं या नहीं ; (ii) साबुन, जिसमें या जिसके विनिर्माण के संबंध में शक्ति या भाप की सहायता से कोई प्रक्रिया नहीं की गई है ; और (iii) खादी और ग्रामीण ग्रामोद्योग आयोग या किसी ऐसे संगठन के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा उत्पादित लांड्री साबुन, जिसे ऐसे साबुन के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए उक्त आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
40.	(i) 3401	कार्बनिक-पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो बार, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में प्रयोग के लिए हैं
	(ii) 3402	सल्फोनेटिड अरंड तेल, मछली का तेल या सपर्म तेल से भिन्न सभी माल
41.	3403	स्नेहक निर्मितियां
42.	3405	जूतादि, फर्नीचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पॉलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्ण और वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे ऐसे कागज, वैडिंग, नमदा, अव्यूतित सामग्री, सेलूलर प्लास्टिक या सेलूलर रबर के रूप में हैं या नहीं जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या आच्छादित हैं) जिनके अंतर्गत शीर्ष 3404 का मोम नहीं है
43.	3506	निर्मित सरेस और अन्य निर्मित आसंजक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है
44.	3702	एक्सरे और चलचित्र फिल्मों से भिन्न सभी माल, अनावृत्त
45.	3808	कीटनाशी, कृतंकनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी और अंकुरणरोधी
46.	3808	विसंक्रामक और उसी प्रकार के उत्पाद
47.	3814 00 10	अपसारक

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
48.	3819	द्रव चालित संचारण के लिए द्रव चालित ब्रेक तरल और अन्य निर्मित तरल, जिनमें पेट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से प्राप्त पेट्रोलियम तेल नहीं है या भार के आधार पर 70% से कम है ।
49.	3820 20 00	हिमीकरण रोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल
50.	3824 या 3825	फुटकर विक्रय के लिए स्टेंसिल शुद्धक और अन्य शुद्धिकारक तरल, पैकेटों में रखे गए इंक रिमूवर
51.	3919	स्वतः आसंजक प्रकार के प्लास्टिक
52.	3923 या 3924	उष्मारोधी बर्तन
53.	4816	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपि कागज, कागज के अनुलिपित्र स्टेंसिल
54.	4818	कागज की लुग्दी, कागज, सेलूलोस वेडिंग या सेलूलोस फाइबर के स्वच्छ करने वाले या चेहरा टिशू, रूमाल और तौलिए
55.	6401	जूतादि
56.	6506 10	सुरक्षात्मक सिर के पहनावे
57.	6907	कांचाकनित टाइलें, चाहे पॉलिश की गई हैं या नहीं
58.	6908	कांचित टाइलें
59.	7321	खाना बनाने के उपकरण और गर्म प्लेटें
60.	7323	प्रेशर कुकर
61.	7324	लोहे या इस्पात के स्वच्छता सामान
62.	7418	तांबे के स्वच्छता सामान
63.	7615 19 10	प्रेशर कुकर
64.	8212	रेजर और रेजर ब्लेड (जिसके अंतर्गत रेजर ब्लेड ब्लैंक, पट्टियों में है)
65.	8305	आधार धातु, के पट्टियों में स्टेपल, कागज क्लिपें
66.	8414	विद्युत पंखे
67.	8415	तीन टन तक की क्षमता की विंडो वातानुकूलन मशीनें और पृथक्नीय वातानुकूलन मशीन्नें
68.	8418	प्रशीतित्र
69.	8421	घरेलू प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले किस्म के जल फिलटर और जल शोधक
70.	8422	व्यजंन पात्र धावन मशीनें
71.	8450	घरेलू या लांड्री किस्म की धावन मशीनें, जिनके अंतर्गत ऐसी मशीनें भी हैं जो धावन और शुष्कन, दोनों कार्य करती हैं
72.	8469	टाइपराईटर
73.	8470	परिकलन मशीनें और जेबी आकार डाटा अभिलेखन, प्रतिकृति तथा परिकलन कार्यों सहित प्रदर्श मशीनें
74.	8472	स्टेपल मशीनें
75.	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
76.	8509	विद्युत यांत्रिक घरेलू साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित
77.	8510	शेवर, केशप्रकर्तित्र और बाल सफाई करने वाले साधित्र, स्वतः पूर्ण विद्युत मोटर सहित
78.	8513	सुबाह्य विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जास्रोत (उदाहरणार्थ, शुष्क बैटरियों, संचायकों, मैगनेट) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित है, शीर्ष सं0 8512 के प्रकाश उपस्करों से भिन्न
79.	8516	विद्युत तात्क्षणिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र; विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण; विद्युत-तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ, केश शुष्कित्र, केश वलयित्र, वलीयन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र; विद्युत मस्रण इस्त्री; इस प्रकार के अन्य विद्युत तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है
80.	8517	बिना तार के हैंडसेट वाले टेलीफोन सहित टेलीफोन सेट ; वीडियो फोन ; प्रतिकृति मशीनें
81.	8519 या 8520	सभी माल
82.	8521	सभी माल
83.	8523	अनअभिलिखित आडियो कैसेट
84.	8523	वीडियो कैसेट

क्रम सं0	शीर्ष, उपशीर्ष, या टैरिफ मद	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
85.	8523	चुंबकीय डिस्क
86.	8524	वीडियो कैसेट
87.	8524	चुंबकीय डिस्क
88.	8525	पेजर, सेलूलर या मोबाइल फोन
89.	8527	रेडियो सेट जिनके अंतर्गत ट्रांजिस्टर सेट हैं, जिनमें रेडियो सिग्नल अभिग्रहण करने की और उन्हें श्रव्य उत्पत्ति में संपरिवर्तन करने की सुविधा है किन्तु उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन अथवा एक ही कक्षिका में या उससे संलग्न में घड़ी जैसी कोई अन्य अतिरिक्त सुविधा नहीं है
90.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण साधित्र, चाहे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या कोई घड़ी संयुक्त है या नहीं
91.	8528	टेलीविजन ग्राही (जिसके अंतर्गत वीडियो मानिटर और वीडियो प्रक्षेपित्र है), मोनोक्रोम से भिन्न, चाहे उनमें रेडियो प्रसारण ग्राही या ध्वनि अथवा वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण लगे हों या नहीं
92.	8536	सभी माल
93.	8539	विद्युत फिलामेंट या विसर्जन लैंप, जिनके अंतर्गत मुहरबंद किरण पुंज लैंप यूनिट और पराबैंगनी या अवरक्त लैंप हैं ; आर्क लैंप
94.	9006	फोटोचित्र कैमरे (चलचित्र कैमरे से भिन्न)
95.	9101 या 9102	ब्रेल घड़ियों से भिन्न घड़ियां
96.	9103 या 9105	घड़ियां
97.	9612	सभी माल
98.	9617	निर्वात-फ्लास्क ।'।

चौथी अनुसूची

(धारा 82 देखिए)

क्र.सं.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 324(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 [14/96 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 23 जुलाई, 1996] द्वारा यथा अंतःस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गग	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "**स्पष्टीकरण 2**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57झ में उपबंधित है ।" ।	1 अगस्त, 1996 से 28 फरवरी, 1997 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)
2.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122, तारीख 1 मार्च 1997 [6/ 97)-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 1997] द्वारा यथा प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57गग	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57गग में, उपनियम (9) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "**स्पष्टीकरण**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57झ में उपबंधित है ।" ।	1 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2000 (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)
3.	अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203(अ), तारीख 1 मार्च, 2000 [11/ 2000-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 मार्च, 2000] द्वारा यथा प्रतिस्थापित और अधिसूचना सं. 298(अ) तारीख 31 मार्च, 2000 [27/ 2000-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 31 मार्च, 2000] द्वारा नियम 57कघ द्वारा यथा प्रतिस्थापित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 57घ	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कघ में, उपनियम (2) के पश्चात् स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 को इस प्रकार संख्यांकित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :— "**स्पष्टीकरण 2**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलत ढंग से लिए गए सेनवेट प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 57कज में उपबंधित है ।" ।	1 अप्रैल, 2000 से 30 जून, 2001 (इसके अंतर्गत दोनों दिन सम्मिलित हैं)

website: http://indiabudget.nic.in

पांचवीं अनुसूची

(धारा 83 देखिए)

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 को संशोधित किए जाने वाला उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 का नियम 6 [31/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 21 जून, 2001]	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में नियम 6 के उपनियम (3) के पश्चात्, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— " **स्पष्टीकरण 2**—यदि विनिर्माता उक्त रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो इसकी ब्याज के साथ उसी रीति में वसूली की जाएगी जो गलती से लिए गए केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की वसूली के लिए नियम 12 में उपबंधित है ।" ।	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) ।

website: http://indiabudget.nic.in

छठी अनुसूची

(धारा 84 देखिए)

अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन का पाठ	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
सा.का.नि. 277(अ), तारीख 1 मार्च, 1988 [88/88, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1988]	उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— '(क) "ग्रामीण क्षेत्र" पद का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खंड (चच) में उसका है ।'।	21 फरवरी, 2000 से 28 फरवरी, 2003 तक (इसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

website: http://indiabudget.nic.in

सातवीं अनुसूची

(धारा 85 देखिए)

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, "शीर्ष", "उपशीर्ष", "टैरिफ मद" और "अध्याय" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष टैरिफ मद और अध्याय अभिप्रेत हैं ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, पहली अनुसूची का अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
2106 90 20	---	पान मसाला	कि.ग्रा.	10%
2401		**अविनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू उच्छिष्ट**		
2401 10	-	तम्बाकू, जो डंडी/शिरा सहित नहीं हैं :		
2401 10 10	---	धूमताल संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 20	---	धूप संसाधित देशी (नाटू) तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 30	---	धूप संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 40	---	बुर्ले तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 50	---	बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू जिसमें डंडिया न हों	कि.ग्रा.	10%
2401 10 60	---	चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 70	---	सिगरेट और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 80	---	हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
	-	तम्बाकू जो भागतः या संपूर्णतः डंडीयुक्त/झंगा हुआ :		
2401 20 10	---	धूमताल संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 20	---	धूप संसाधित देशी (नाटू) तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 30	---	धूप संसाधित वर्जीनिया तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 40	---	बुर्ले तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 50	---	बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तम्बाकू जिसमें डंडिया न हों	कि.ग्रा.	10%
2401 20 60	---	चबाने वाले तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 70	---	सिगार और चुरूट के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 80	---	हुक्का तम्बाकू के विनिर्माण के लिए तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2401 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
2401 30 00	-	तम्बाकू उच्छिष्ट	कि.ग्रा.	10%
2402		**तम्बाकू या तम्बाकू अनुकल्प के सिगार, चुरूट, सिगरीला और सिगरेट**		
2402 10	-	तम्बाकू युक्त सिगार, चुरूट और सिगरिला :		
2402 10 10	---	सिगार और चुरूट	संख्या हजार में	10%
2402 10 20	---	सिगरीला	संख्या हजार में	10%
2402 20	-	तम्बाकू युक्त सिगरेट :		
2402 20 10	---	60 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरटों से भिन्न	संख्या हजार में	15 रु0 प्रति हजार
2402 20 20	---	60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरटों से भिन्न	संख्या हजार में	45 रु0 प्रति हजार
2402 20 30	---	70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	70 रु0 प्रति हजार
2402 20 40	---	70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	110 रु0 प्रति हजार

website: http://indiabudget.nic.in

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
2402 20 50	---	75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	145 रु0 प्रति हजार
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	180 रु0 प्रति हजार
2402 90	-	अन्य :		
2403		**अन्य विनिर्मित तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प, "समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू, तम्बाकू निष्कर्ष और सत**		
2403 10	-	धूम्रपान तम्बाकू, चाहे उनमें किसी भी अनुपात में तम्बाकू अनुकल्प है या नहीं :		
2403 10 10	---	हुक्का या गुड़कु तंबाकू जिसका ब्रांड नाम हो	कि.ग्रा.	10%
2403 10 20	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि.ग्रा.	10%
2403 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
	-	अन्य :		
2403 91 00	---	"समांगीकृत" या " पुनर्रचित" तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 99	--	अन्य :		
2403 99 10	---	चबाने वाला तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 99 20	---	चबाने वाली तम्बाकू वाली विनिर्मितियां	कि.ग्रा.	10%
2403 99 30	---	जर्दा सुगंधित तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 99 40	---	नसवार	कि.ग्रा.	10%
2403 99 50	---	नसवार वाली विनिर्मितियां	कि.ग्रा.	10%
2403 99 60	---	तम्बाकू निष्कर्ष और सत	कि.ग्रा.	10%
2403 99 70	---	कटा हुआ तम्बाकू	कि.ग्रा.	5 रु0 प्रति कि.ग्रा.
2403 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%

आठवीं अनुसूची

[धारा 86क देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 15 में, टिप्पण 5 के पश्चात, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"6. शीर्ष 1507 से 1515 के अंतर्गत आने वाले परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के संबंध में परिष्करण की प्रक्रिया, अर्थात् एक या अधिक प्रक्रियाएं, जैसे कि अल्कली विरंजन और निर्गन्धीकरण से कच्चे तेल का उपचार "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी।';

(2) अध्याय 17 में, शीर्ष 1703 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1000 रुपए प्रतिटन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) अध्याय 22 में टैरिफ मद 2201 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "350 रुपए प्रतिटन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 27 में,--

(i) उपशीर्ष 2710 11 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 15 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2710 19 30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 5.00 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 2710 19 40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16% **धन** 5.00 रुपए प्रति लीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 57 में, टैरिफ मद 5701 10 00, 5701 90 10 और 5701 90 90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(7) अध्याय 71 में, टिप्पण 11 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'12. इस अध्याय में, "ब्रांड नाम" या "व्यापार नाम" से कोई ब्रांड नाम या व्यापार नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसा कि प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेखा अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी उत्पाद के संबंध में उत्पाद और उस नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच में, उस व्यक्ति की पहचान का कोई संकेत दिए बिना व्यापार के अनुक्रम में संबंध उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है या उपदर्शित किया जाता है।

13. शीर्ष 7113 के प्रयोजनों के लिए, आभूषण की वस्तुओं पर व्यापार नाम या ब्रांड नाम लगाने या छापने की प्रक्रियाए "विनिर्माण" की कोटि में आएंगी ।'।

website: http://indiabudget.nic.in

नवीं अनुसूची

[धारा 86(ख) देखिए]

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क की दूसरी अनुसूची में,—			
(क) टैरिफ मद 2401 30 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—			
‘2403 10 10	--- हुक्का और गुडकू तंबाकू	कि.ग्रा.	16%”
2403 91 00	--- “समांगीकृत” या “पुनर्रचित” तंबाकू	कि.ग्रा.	16%’;
(ख) टैरिफ मद 2403 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—			
“2403 99 30	--- जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि.ग्रा.	16%”;
(ग) टैरिफ मद 2403 99 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—			
“2403 99 60	--- तबांकू निष्कर्ष और सत	कि.ग्रा.	16%”।

website: http://indiabudget.nic.in

दसवीं अनुसूची

(धारा 116 देखिए)

'पहली अनुसूची

[धारा 3(1) देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में क्रमशः "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" अभिप्रेत है ।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के निर्वचन के नियम, उक्त अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, इस अनुसूची के निर्वचन को, यथासाध्य, लागू होंगे ।

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
1701		**गन्ना या चुंकदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध शुक्रोस, ठोस रूप में**		
	-	अपरिष्कृत चीनी जिसमें मिलाए गए सुरुचिकारी या रंगकारी पदार्थ नहीं हैं :		
1701 11	--	चीनी		
1701 11 10	---	खांडसारी	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
1701 11 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
1701 12 00	--	चुकंदर चीनी	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
	-	अन्य :		
1701 91 00	--	परिष्कृत चीनी जिसमें मिलाए गए सुरुचिकारी या रंगकारी पदार्थ नहीं हैं	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
1701 99	--	अन्य		
1701 99 10	---	चीनी क्यूब	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
1701 99 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	37 रु. प्रति क्विंटल
1702 90 10	---	पालमेरा चीनी	कि. ग्रा.	कुछ नहीं
2401		**अविनिर्मित तंबाकू ; तंबाकू उच्छिष्ट**		
2401 10	-	तंबाकू, जिसमें डंडियां या कतरनें नहीं हैं :		
2401 10 10	---	फ्लू उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 20	---	धूप उपचारित देशी (नाटू) तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 30	---	धूप उपचारिक वर्जीनिया तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 40	---	बुर्ले तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 50	---	बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तंबाकू जिसमें डंडियां नहीं हैं	कि. ग्रा.	10%
2401 10 60	---	चबाने वाली तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 70	---	सिगार और चुरुट के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 80	---	हुक्का तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 10 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	10%
2401 20	-	तंबाकू, भागतः या पूर्णतः डंडीयुक्त या छटी हुई :		
2401 20 10	---	फ्लू उपचारित वर्जीनिया तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 20	---	धूप उपचारित देशी (नाटू) तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 30	---	धूप उपचारिक वर्जीनिया तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 40	---	बुर्ले तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 50	---	बीड़ियों के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 60	---	चबाने वाली तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 70	---	सिगार और चुरुट के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 80	---	हुक्का तंबाकू के विनिर्माण के लिए तंबाकू	कि. ग्रा.	10%
2401 20 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	10%
2401 30 00	-	तंबाकू उच्छिष्ठ	कि. ग्रा.	10%
2402		**तंबाकू या तंबाकू अनुकल्प के सिगार, चुरुट, सिगरीला और सिगरेट**		
2402 10	-	तंबाकूयुक्त सिगार, चुरुट और सिगरीला		
2402 10 10	---	सिगार और चुरुट	संख्या हजार में	कुछ नहीं
2402 10 20	---	सिगरीला	संख्या हजार में	कुछ नहीं

website: http://indiabudget.nic.in

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर	
(1)		(2)	(3)	(4)	
2402 20	-	तंबाकू युक्त सिगरेट :			
2402 20 10	---	60 मि.मीटर से अनधिक की लंबाई की फिल्टर सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	37 रु. प्रति हजार	
2402 20 20	---	60 मि.मीटर से अधिक किंतु 70 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	125 रु. प्रति हजार	5
2402 20 30	---	70 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	185 रु. प्रति हजार	
2402 20 40	---	70 मि.मीटर से अधिक किंतु 75 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	300 रु. प्रति हजार	10
2402 20 50	---	75 मि.मीटर से अधिक किंतु 85 मि.मीटर से अनधिक लंबाई की फिल्टर सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मि.मीटर या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	400 रु. प्रति हजार	15
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	495 रु. प्रति हजार	
2402 90	-	अन्य :			
2402 90 90	---	अन्य	संख्या हजार में	कुछ नहीं	20
2403		**अन्य विनिर्मित तंबाकू**			
2403 10 10	---	हुक्का या गुड़ाकू तंबाकू	कि. ग्रा.	18%	
2403 10 20	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि. ग्रा.	75%	
	---	बीड़ी			
2403 10 31	----	मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित कागज बेल्लित बीड़ियों से भिन्न	संख्या हजार में	1.40 रु. प्रति हजार	25
2403 10 39	----	अन्य	संख्या हजार में	3.50 रु. प्रति हजार	
2403 10 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	18%	
2403 99	--	अन्य :			
2403 99 10	---	चबाने वाला तंबाकू	कि. ग्रा.	18%	30
2403 99 20	---	चबाने वाले तंबाकू से युक्त निर्मितियां	कि. ग्रा.	18%	
2403 99 30	---	जर्दा सुगंध युक्त तंबाकू	कि. ग्रा.	18%	
2403 99 40	---	नस्वार	कि. ग्रा.	18%	
2403 99 50	---	नस्वार युक्त निर्मितियां	कि. ग्रा.	18%	
2403 99 70	---	कर्तित तंबाकू	कि. ग्रा.	कुछ नहीं	35
2403 99 90	---	अन्य	कि. ग्रा.	18%	
5007		**रेशम सूत या अपशिष्ट रेशम से कता हुआ सूत**			
5007 10 00	-	नायल रेशम के फैब्रिक	व.मी.	कुछ नहीं	
5007 20	-	अन्य फैब्रिक, जिनमें रेशम या नायल रेशम से भिन्न अपशिष्ट रेशम का भार के अनुसार 85 प्रतिशत या उससे अधिक है :			40
5007 20 10	---	साड़ी	व.मी.	कुछ नहीं	
5007 20 90	---	अन्य	व.मी.	कुछ नहीं	
5007 90 00	-	अन्य फैब्रिक	व.मी.	कुछ नहीं	
5111		**धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक—**			
	-	जिसमें ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम, भार के आधार पर, 85 प्रतिशत या उससे अधिक है :			45
5111 11	--	300 ग्रा./मी.2 से अनधिक भार के :			
5111 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%	
5111 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%	
5111 11 30	---	रंजित	व.मी.	8%	50
5111 11 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%	
5111 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5111 19	--	अन्य :			
5111 19 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%	
5111 19 20	---	विरंजित	व.मी.	8%	55
5111 19 30	---	रंजित	व.मी.	8%	
5111 19 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%	

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5111 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5111 20	-	अन्य, जो मुख्यतया या एकमात्र रूप से कृत्रिम फिलामेंट के साथ मिश्रित हैं :		
5111 20 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5111 20 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5111 20 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5111 20 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5111 20 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5111 30	-	अन्य, जो मुख्यतया या एकमात्र रूप से कृत्रिम स्टेपिल फाइबर के साथ मिश्रित हैं :		
5111 30 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5111 30 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5111 30 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5111 30 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5111 30 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5111 90	-	अन्य :		
5111 90 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5111 90 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5111 90 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5111 90 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5111 90 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5112		**कंकतकृत ऊन के या कंकतकृत सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक**		
	-	जिसमें ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम, भार के आधार पर 85% या उससे अधिक है :		
5112.11	--	200 ग्रा./मी.2 से अनधिक भार के :		
5112.11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5112.11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5112.11 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5112.11 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5112.11 90	---	अन्य :	व.मी.	8%
5112 19	--	अन्य		
5112 19 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5112 19 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5112 19 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5112 19 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5112 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5112 20	-	अन्य, जो मुख्यतया या एकमात्र रूप से मानव-निर्मित फिलामेंट के साथ मिश्रित हैं :		
5112 20 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5112 20 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5112 20 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5112 20 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5112 20 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5112 30	-	अन्य, जो मुख्यतया या एकमात्र रूप से मानव-निर्मित स्टेपल फाइबर के साथ मिश्रित हैं :		
5112 30 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5112 30 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5112 30 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5112 30 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5112 30 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5112 90	--	अन्य :		
5112 90 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5112 90 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5112 90 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5112 90 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5112 90 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208		**कपास के व्यूतित फैब्रिक, जिनमें कपास, भार के आधार पर 85 प्रतिशत या उससे अधिक है, जिनका भार 200 ग्राम प्रति वर्गमीटर से अधिक है**		
	-	अविरंजित :		
5208 11	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :	व.मी.	8%
5208 11 10	---	धोती	व.मी.	8%
5208 11 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 11 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 11 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 12	--	सादा, व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है :		
5208 12 10	---	धोती	व.मी.	8%
5208 12 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 12 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 12 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 12 50	---	शीटिंग (फर्निशिंग फैब्रिक से भिन्न तकिया, लियोपार्ड फैब्रिक)	व.मी.	8%
5208 12 60	---	वायल	व.मी.	8%
5208 12 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 13	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
5208 13 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 13 20	---	डोबी फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 13 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 19	--	अन्य फैब्रिक :		
5208 19 10	---	डेढ़ सूती, दो सूती फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	विरंजित :		
5208 21	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :		
5208 21 10	---	धोती	व.मी.	8%
5208 21 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 21 30	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 21 40	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 21 50	---	केमब्रिक्स (जिनके अंतर्गत मेडोपोलम और जेकोनेट भी है)	व.मी.	8%
5208 21 60	---	मुल्स (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)	व.मी.	8%
5208 21 70	---	मुसलिन (लान, मलमल और आर्गेंडी सहित)	व.मी.	8%
5208 21 80	---	वायल्स (लेनो फैब्रिक अपवर्जित करके)	व.मी.	8%
5208 21 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 22	--	सादा व्यूतित जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है :		
5208 22 10	---	धोती	व.मी.	8%
5208 22 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 22 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 22 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 22 50	---	केम्ब्रिक्स (मेडापोल्लम और जेकोनेट सहित)	व.मी.	8%
5208 22 60	---	लंबा कपड़ा (केलिको सहित)	व.मी.	8%
5208 22 70	---	चादरें (तकिया और वैसी ही वस्तुएं)	व.मी.	8%
5208 22 80	---	वायल्स (लेनो फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
5208 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 23	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील हैं :		
5208 23 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 23 20	---	परमटा फैब्रिक (इलोसिया, पाकेटिंग, इटेलियन ट्वील सहित)	व.मी.	8%
5208 23 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 23 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 29	--	अन्य फैब्रिक :		
5208 29 10	---	धोती और साड़ी, जरी बोर्डर की	व.मी.	8%
5208 29 20	---	डेढ़ सूती, दो सूती फैब्रिक, सेरेटोन और ओसमवर्ग	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5208 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	रंजित :		
5	5208 31	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :		
	5208 31 10	---	लुंगी	व.मी.	8%
	5208 31 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5208 31 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5208 31 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
10	5208 31 50	---	केम्ब्रिक्स (जिसके अंतर्गत मेडापोल्लम और जेकोनेट हैं)	व.मी.	8%
	5208 31 60	---	मल (जिसके अंतर्गत लिम्ब्रिक और विलाया है)	व.मी.	8%
	5208 31 70	---	धूनित या कंकतकृत सूत के मुसलिन (लान मलमल और आर्गेंडी सहित)	व.मी.	8%
	5208 31 80	---	वायल्स (लेनो फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
15	5208 31 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5208 32	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} है :		
	5208 32 10	---	लुंगी	व.मी.	8%
	5208 32 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5208 32 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
20	5208 32 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
	5208 32 50	---	बेड टिकिंग, घरेलू	व.मी.	8%
	5208 32 60	---	केम्ब्रिक्स (मेडापोलम और जेकोनेट समेत) लंबा कपड़ा (केलिको समेत) और वायल्स (लोनो फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5208 32 70	---	कोटिंग (सूटिंग सहित)	व.मी.	8%
25	5208 32 80	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5208 32 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5208 33	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
	5208 33 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5208 33 20	---	कोटिंग (जिसके अंतर्गत सूटिंग है)	व.मी.	8%
30	5208 33 30	---	शर्टिंग (जिसके अंतर्गत माजरी है)	व.मी.	8%
	5208 33 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5208 39	--	अन्य फैब्रिक :		
	5208 39 10	---	जरी बार्डर की साड़ियां	व.मी.	8%
	5208 39 90	---	अन्य	व.मी.	8%
35		-	विभिन्न रंगों का सूत :		
	5208 41	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :		
	5208 41 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
	5208 41 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5208 41 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
40	5208 41 40	---	बेड टिकिंग, घरेलू	व.मी.	8%
	5208 41 50	---	फर्निशिंग फैब्रिक, पाइल और चेनाइल फैब्रिक से भिन्न	व.मी.	8%
	5208 41 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5208 42	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है :		
	5208 42 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
45	5208 42 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5208 42 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5208 42 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
	5208 42 50	---	बेड टिकिंग, घरेलू	व.मी.	8%
	5208 42 60	---	फर्निशिंग फैब्रिक, पाइल और चेनाइल फैब्रिक से भिन्न	व.मी.	8%
50	5208 42 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5208 43	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
	5208 43 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
	5208 43 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5208 43 30	---	बेड टिकिंग, दमस्क	व.मी.	8%
55	5208 43 40	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%
	5208 43 90	---	अन्य	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5208 49	--	अन्य फैब्रिक :		
5208 49 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
5208 49 20	---	असली मद्रास रुमाल	व.मी.	8%
5208 49 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	छपे हुए :		
5208 51	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :		
5208 51 10	---	लुंगी	व.मी.	8%
5208 51 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 51 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 51 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 51 50	---	केम्ब्रिक्स (जिसके अंतर्गत मेडापोलम और जेकोनेट हैं)	व.मी.	8%
5208 51 60	---	मल (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)	व.मी.	8%
5208 51 70	---	धूनित या कंकतकृत सूत का मुसलिन (लान मलमल और आरगंडी सहित)	व.मी.	8%
5208 51 80	---	वायल्स (लीनो फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
5208 51 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 52	--	सादा व्यूतित, जिसका भार 100 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है :		
5208 52 10	---	लुंगी	व.मी.	8%
5208 52 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5208 52 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 52 40	---	केसमेंट	व.मी.	8%
5208 52 50	---	कैम्ब्रिक्स (जिसके अंतर्गत मेडायालम और जेकोनेट हैं)	व.मी.	8%
5208 52 60	---	मल (लिम्ब्रिक और विलाया सहित)	व.मी.	8%
5208 52 70	---	धूनित या कंकतकृत सूत का मुसलिन (लान मलमल और आरगंडी सहित)	व.मी.	8%
5208 52 80	---	वायल्स (लीनो फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
5208 52 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 53	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
5208 53 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5208 53 20	---	बेड टिकिंग	व.मी.	8%
5208 53 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5208 59	--	अन्य फैब्रिक :		
5208 59 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
5208 59 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5209		**सूत के व्यूतित फैब्रिक, जिसमें कपास, भार के आधार पर 85 प्रतिशत या उससे अधिक है, जिनका भार 200 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है**		
	-	अविरंजित :		
5209 11	--	सादा व्यूतित :		
	---	हथकरघा :		
5209 11 11	----	धोती	व.मी.	8%
5209 11 12	----	साड़ी	व.मी.	8%
5209 11 13	----	केसमेंट	व.मी.	8%
5209 11 14	----	चादरें (तकिया, लियोपार्ड कपड़ा और फर्निशिंग से भिन्न)	व.मी.	8%
5209 11 19	----	अन्य	व.मी.	8%
5209 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5209 12	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है :		
5209 12 10	---	साड़ी	व.मी.	8%
5209 12 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5209 12 30	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल को छोडकर)	व.मी.	8%
5209 12 40	---	सीरसकर	व.मी.	8%
5209 12 50	---	केनवस, धूनित या कंकतकृत सूत सहित डक	व.मी.	8%
5209 12 60	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%
5209 12 70	---	चादरें (तकिया, लियोपार्ड कपड़ा)	व.मी.	8%
5209 12 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5209 19 00	--	अन्य फैब्रिक	व.मी.	8%
	-	विरंजित :		
5209 21	--	सादा व्यूतित	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5209 21 10	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5209 21 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5	5209 21 30	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5209 21 40	---	सीरसकर	व.मी.	8%
	5209 21 50	---	धूनित या कंकतकृत सूत का केनवास (डक सहित)	व.मी.	8%
	5209 21 60	---	धोती	व.मी.	8%
	5209 21 70	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%
10	5209 21 80	---	चादरें (तकिया, लियोपार्ड कपड़ा)	व.मी.	8%
	5209 21 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5209 22	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है :		
	5209 22 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5209 22 20	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
15	5209 22 30	---	ड्रिल	व.मी.	8%
	5209 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5209 29	--	अन्य फैब्रिक :		
	5209 29 10	---	धोती और साड़ी, जरी बार्डर की	व.मी.	8%
	5209 29 20	---	डेढ़ सूती, दो सूती फैब्रिक सेरिटोन्स और ओसमबर्ग	व.मी.	8%
20	5209 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	रंजित :		
	5209 31	--	सादा व्यूतित :		
	5209 31 10	---	लुंगी	व.मी.	8%
	5209 31 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
25	5209 31 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5209 31 40	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5209 31 50	---	सीरसकर	व.मी.	8%
	5209 31 60	---	बेडटिकिंग, घरेलू (हाथ से रंजित से भिन्न)	व.मी.	8%
	5209 31 70	---	धूनित या कंकतकृत सूत के केनवास (डक समेत)	व.मी.	8%
30	5209 31 80	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%
	5209 31 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5209 32	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
	5209 32 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5209 32 20	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
35	5209 32 30	---	ड्रिल	व.मी.	8%
	5209 32 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5209 39	--	अन्य फैब्रिक :		
	5209 39 10	---	जरी बोर्डर की साड़ियां	व.मी.	8%
	5209 39 90	---	अन्य	व.मी.	8%
40		-	विभिन्न रंगों के सूत के :		
	5209 41	--	सादा व्यूतित :		
	5209 41 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
	5209 41 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5209 41 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
45	5209 41 40	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5209 41 50	---	सीरसकर	व.मी.	8%
	5209 41 60	---	बेडटिकिंग, घरेलू (हाथ से रंजित से भिन्न)	व.मी.	8%
	5209 41 70	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%
	5209 41 90	---	अन्य	व.मी.	8%
50	5209 42 00	--	डेनिम	व.मी.	8%
	5209 43	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :	व.मी.	8%
	5209 43 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
	5209 43 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5209 43 30	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
55	5209 43 40	---	कोटिंग (सूटिंग समेत)	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर	
(1)		(2)	(3)	(4)	
5209 43 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5209 49	--	अन्य फैब्रिक :			
5209 49 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%	5
5209 49 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
	-	छपे हुए :			
5209 51	--	सादा व्यूतित :			
5209 51 10	---	लुंगी	व.मी.	8%	
5209 51 20	---	साड़ी	व.मी.	8%	10
5209 51 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5209 51 40	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%	
5209 51 50	---	सीरसकर	व.मी.	8%	
5209 51 60	---	बेडटिकिंग, घरेलू	व.मी.	8%	
5209 51 70	---	फ्लेनेलेट	व.मी.	8%	15
5209 51 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5209 52	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :			
5209 52 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5209 52 20	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%	
5209 52 90	---	अन्य	व.मी.	8%	20
5209 59	--	अन्य फैब्रिक :			
5209 59 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%	
5209 59 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5210		**सूत के व्यूतित फैब्रिक, जिनमें कपास, भार के आधार पर, 85 प्रतिशत से कम है, और जो मुख्यतः या एकमात्र मानव निर्मित फाइबर के साथ मिश्रित है तथा उनका भार 200 ग्रा./मी.² से अधिक नहीं है**			25
	-	अविरंजित :			
5210 11	--	सादा व्यूतित :			
5210 11 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5210 11 20	---	साड़ी	व.मी.	8%	30
5210 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5210 12	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :			
5210 12 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5210 12 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5210 19 00	--	अन्य फैब्रिक	व.मी.	8%	35
	-	विरंजित :			
5210 21	--	सादा व्यूतित :			
5210 21 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5210 21 20	---	पोपलिन और ब्रोड फैब्रिक	व.मी.	8%	
5210 21 30	---	साड़ी	व.मी.	8%	40
5210 21 40	---	शर्टिंग (मजरी सहित)	व.मी.	8%	
5210 21 50	---	वायल	व.मी.	8%	
5210 21 90	---	अन्य	व.मी.	8%	
5210 22	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :			
	---	हैंडलूम :			45
5210 22 11	----	क्रैप फैब्रिक, जिसके अंतर्गत क्रैप चैक है	व.मी.	8%	
5210 22 12	----	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	
5210 22 19	----	अन्य फैब्रिक	व.मी.	8%	
	----	अन्य :			
5210 22 21	----	शर्टिंग (मजरी सहित)	व.मी.	8%	50
5210 22 29	----	अन्य	व.मी.	8%	
5210 29	--	अन्य फैब्रिक :			
5210 29 10	---	धोती और साड़ी, जरी बार्डर की	व.मी.	8%	
5210 29 20	---	डेढ़ सूती, दो सूती, सेरेटेक्स और ओसमबर्ग	व.मी.	8%	
5210 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%	55
	-	रंजित :			
5210 31	--	सादा व्यूतित :			
5210 31 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%	

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5210 31 20	---	कोटिंग (सूटिंग समेत)	व.मी.	8%
	5210 31 30	---	फर्निशिंग फैब्रिक (पाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
5	5210 31 40	---	पोपलीन और ब्रोड फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 31 50	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5210 31 60	---	वायल	व.मी.	8%
	5210 31 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5210 32	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
10	5210 32 10	---	क्रैप फैब्रिक, जिसके अंतर्गत क्रैप चैक है	व.मी.	8%
	5210 32 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 32 30	---	बेडटिकिंग, डमस्क	व.मी.	8%
	5210 32 39	----	अन्य	व.मी.	8%
	5210 39	--	अन्य फैब्रिक :		
15	5210 39 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
	5210 39 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	विभिन्न रंगों के सूत के :		
	5210 41	--	सादा व्यूतित :		
	5210 41 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
20	5210 41 20	---	क्रैप फैब्रिक (क्रैप चैक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5210 41 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 41 40	---	सूटिंग	व.मी.	8%
	5210 41 50	---	पोपलीन और ब्रोड फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 41 60	---	साड़ी	व.मी.	8%
25	5210 41 70	---	वायल	व.मी.	8%
	5210 41 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5210 42	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
	5210 42 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
	5210 42 20	---	क्रैप फैब्रिक, क्रैप चैक समेत	व.मी.	8%
30	5210 42 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 42 40	---	सूटिंग	व.मी.	8%
	5210 42 50	---	बेडटिकिंग, डमस्क	व.मी.	8%
	5210 42 60	---	शर्टिंग (मजरी सहित)	व.मी.	8%
	5210 42 90	---	अन्य	व.मी.	8%
35	5210 49	--	अन्य फैब्रिक :		
	5210 49 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
	5210 49 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	छपे हुए :		
	5210 51	--	सादा व्यूतित :		
40	5210 51 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 51 20	---	केसमेंट	व.मी.	8%
	5210 51 30	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5210 51 40	---	पोपलीन और ब्रोड फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 51 50	---	वायल	व.मी.	8%
45	5210 51 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5210 52	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
	5210 52 10	---	क्रैप फैब्रिक, क्रैप चैक सहित	व.मी.	8%
	5210 52 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5210 52 90	---	अन्य	व.मी.	8%
50	5210 59	--	अन्य फैब्रिक :		
	5210 59 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
	5210 59 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5211		**सूत के व्यूतित फैब्रिक, जिनमें कपास, भार के आधार पर, 85 प्रतिशत से कम है, और जो मुख्यतः या एकमात्र मानव निर्मित फाइबर के साथ**		
55			**मिश्रित है तथा उनका भार 200 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है**		
		-	अविरंजित :		
	5211 11	--	सादा व्यूतित :		
	5211 11 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5211 11 20	---	साड़ी	व.मी.	8%
5211 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 12	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है :		
5211 12 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 12 20	---	ट्वील, जो कहीं अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है (गैबरडीन सहित)	व.मी.	8%
5211 12 30	---	डमस्क	व.मी.	8%
5211 12 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 19 00	--	अन्य फैब्रिक	व.मी.	8%
	-	विरंजित :		
5211 21	--	सादा व्यूतित :		
5211 21 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 21 20	---	धूनित या कंकतकृत सूत के कैनवस (डक सहित)	व.मी.	8%
5211 21 30	---	फ्लानेलेट	व.मी.	8%
5211 21 40	---	साड़ी	व.मी.	8%
5211 21 50	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 21 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 22	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
5211 22 10	---	क्रैप फैब्रिक, जिसके अंतर्गत क्रैप चैक भी है	व.मी.	8%
5211 22 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 22 30	---	ट्वील फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 29	--	अन्य फैब्रिक :		
5211 29 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
5211 29 20	---	डेढ़सूती, दोसूती, सेरेटोनस और ओसमबर्ग	व.मी.	8%
5211 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	रंजित :		
5211 31	--	सादा व्यूतित :		
5211 31 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 31 20	---	धूनित या कंकतकृत सूत के कैनवस (डक समेत)	व.मी.	8%
5211 31 30	---	कोटिंग (सूटिंग सहित)	व.मी.	8%
5211 31 40	---	फ्लानेलैट	व.मी.	8%
5211 31 50	---	साड़ी	व.मी.	8%
5211 31 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 32	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
5211 32 10	---	क्रैप फैब्रिक, जिसके अंतर्गत क्रैप चैक भी है	व.मी.	8%
5211 32 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 32 30	---	ट्वील, जो कहीं अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है (गैबरडीन सहित)	व.मी.	8%
5211 32 40	---	ट्राउजर या पैंट फैब्रिक्स (जीन्स और क्रैप को छोड़कर)	व.मी.	8%
5211 32 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 39	--	अन्य फैब्रिक :		
5211 39 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
5211 39 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	विभिन्न रंगों के सूत्र के :		
5211 41	--	सादा व्यूतित :		
5211 41 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%
5211 41 20	---	चैक शर्टिंग (क्रेप चैक को छोड़कर)	व.मी.	8%
5211 41 30	---	शर्टिंग	व.मी.	8%
5211 41 40	---	सूटिंग्स	व.मी.	8%
5211 41 50	---	फ्लानेलैट	व.मी.	8%
5211 41 60	---	साड़ी	व.मी.	8%
5211 41 70	---	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
5211 41 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5211 42 00	--	डेनिम	व.मी.	8%
5211 43	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील का अन्य फैब्रिक जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
5211 43 10	---	ब्लीडिंग मद्रास	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5211 43 20	---	क्रैप फैब्रिक	व.मी.	8%
	5211 43 30	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
5	5211 43 40	---	सूटिंग्स	व.मी.	8%
	5211 43 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5211 49	--	अन्य फैब्रिक :		
	5211 49 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
	5211 49 90	---	अन्य	व.मी.	8%
10		-	छपे हुए :		
	5211 51	--	सादा व्यूतित :		
	5211 51 10	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5211 51 20	---	फर्निशिंग फैब्रिक (वाइल और चेनाइल फैब्रिक को छोड़कर)	व.मी.	8%
	5211 51 30	---	फ्लानेलेट	व.मी.	8%
15	5211 51 40	---	लम्बा कपड़ा (छींट)	व.मी.	8%
	5211 51 50	---	साड़ी	व.मी.	8%
	5211 51 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5211 52	--	3-धागा या 4-धागा ट्वील का अन्य फैब्रिक जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील है :		
20	5211 52 10	---	क्रैप फैब्रिक, क्रैप चैक समेत	व.मी.	8%
	5211 52 20	---	शर्टिंग फैब्रिक	व.मी.	8%
	5211 52 30	---	ट्वील, जो कहीं अन्य विनिर्दिष्ट नहीं है (गैबरडीन समेत)	व.मी.	8%
	5211 52 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5211 59	--	अन्य फैब्रिक :		
25	5211 59 10	---	जरी बार्डर की साड़ी	व.मी.	8%
	5211 59 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5212		**सूत के अन्य व्यूतित**		
		-	फैब्रिक जिनका भार 200 ग्रा./मी.^{2} से अधिक नहीं है :		
	5212 11 00	--	अविरंजित	व.मी.	8%
30	5212 12 00	--	विरंजित	व.मी.	8%
	5212 13 00	--	रंजित	व.मी.	8%
	5212 14 00	--	विभिन्न रंगों के सूत	व.मी.	8%
	5212 15 00	--	छपे हुए	व.मी.	8%
		-	जिनका भार 200 ग्रा./मी.^{2} से अधिक है :		
35	5212 21 00	--	अविरंजित	व.मी.	8%
	5212 22 00	--	अविरंजित	व.मी.	8%
	5212 23 00	--	रंजित	व.मी.	8%
	5212 24 00	--	विभिन्न रंगों के सूत	व.मी.	8%
	5212 25 00	--	छपे हुए	व.मी.	8%
40	**5407**		**संश्लिष्ट फिलामेंट सूत के व्यूतित फैब्रिक, जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 5404 की सामग्रियों से प्राप्त व्यूतित फैब्रिक भी हैं**		
	5407 10	-	नायलान या अन्य पालीएमाइड के या पालिएस्टर के उच्च लगिष्णुता सूत से प्राप्त व्यूतित फैब्रिक :		
		---	अविरंजितः		
45	5407 10 11	----	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 12	----	टैन्ट फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 13	----	नायलान साजसज्जा फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 14	----	छाता कपड़ा	व.मी.	8%
	5407 10 15	----	अन्य नायलॉन और पॉलिएमाइड फैब्रिक (फिलामेंट)	व.मी.	8%
50	5407 10 16	----	पॉलिएस्टर सूटिंग	व.मी.	8%
	5407 10 19	----	अन्य पॉलिएस्टर फैब्रिक	व.मी.	8%
		---	विरंजित :		
	5407 10 21	----	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 22	----	टैन्ट फैब्रिक	व.मी.	8%
55	5407 10 23	----	नायलान साजसज्जा फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 24	----	छाता कपड़ा पैनल फैब्रिक	व.मी.	8%
	5407 10 25	----	अन्य नायलान और फिलामेंट सूत के पॉलिएमाइड फैब्रिक	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5407 10 26	----	पॉलिएस्टर सूटिंग	व.मी.	8%
5407 10 29	----	अन्य	व.मी.	8%
	---	रंजित :		
5407 10 31	----	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 32	----	टैन्ट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 33	----	नायलान साजसज्जा फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 34	----	छाता कपड़ा पैनल फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 35	----	अन्य नायलान और पॉलिएमाइड फैब्रिक्स फिलामैंट	व.मी.	8%
5407 10 36	----	पॉलिएस्टर सूटिंग	व.मी.	8%
5407 10 39	----	अन्य	व.मी.	8%
	---	छपे :		
5407 10 41	----	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 42	----	टैन्ट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 43	----	नायलान साजसज्जा फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 44	----	छाता कपड़ा पैनल फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 45	----	अन्य नायलान और पॉलिएमाइड फैब्रिक्स (फिलामैंट)	व.मी.	8%
5407 10 46	----	पॉलिएस्टर सूटिंग	व.मी.	8%
5407 10 49	----	अन्य	व.मी.	8%
	---	अन्य :		
5407 10 91	----	पैराशूट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 92	----	टैन्ट फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 93	----	नायलान साजसज्जा फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 94	----	छाता कपड़ा पैनल फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 95	----	अन्य नायलान और फिलामैंट सूत का पॉलिएमाइड फैब्रिक	व.मी.	8%
5407 10 96	----	पॉलिएस्टर सूटिंग	व.मी.	8%
5407 10 99	----	अन्य	व.मी.	8%
5407 20	-	पट्टी या वैसी ही वस्तुओं से प्राप्त व्यूतित फैब्रिक :		
5407 20 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5407 20 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5407 20 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5407 20 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5407 20 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5407 30	-	अनुभाग 11 के टिप्पण 9 में विनिर्दिष्ट फैब्रिक :		
5407 30 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5407 30 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5407 30 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5407 30 40	---	छपे	व.मी.	8%
5407 30 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिनमें नायलान या अन्य पालिएमाइड के फिलामेंट, भाप के आधार पर, 85 प्रतिशत या उससे अधिक हैं :		
5407 41	--	अविरंजित या विरंजित :		
	---	अविरंजित :		
5407 41 11	----	नायलान ब्रासो	व.मी.	8%
5407 41 12	----	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
5407 41 13	----	नायलान टाफ्टा	व.मी.	8%
5407 41 14	----	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 41 19	----	अन्य	व.मी.	8%
	---	विरंजित :		
5407 41 21	----	नायलान ब्रासो	व.मी.	8%
5407 41 22	----	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
5407 41 23	----	नायलान टाफ्टा	व.मी.	8%
5407 41 24	----	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 41 29	----	अन्य	व.मी.	8%
5407 42	--	रंजित :		
5407 42 10	---	नायलान ब्रासो	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5407 42 20	---	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
	5407 42 30	---	नायलान टाफ्टा	व.मी.	8%
5	5407 42 40	---	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
	5407 42 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5407 43 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
	5407 44	--	छपे हुए :		
	5407 44 10	---	नायलान ब्रासो	व.मी.	8%
10	5407 44 20	---	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
	5407 44 30	---	नायलान टाफ्टा	व.मी.	8%
	5407 44 40	---	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
	5407 44 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिनमें अन्य संव्यूतित पालिएस्टर फिलामेंट,		
15			भार के आधार पर 85 प्रतिशत या उससे अधिक है :		
	5407 51	--	अविरंजित या विरंजित :		
		---	अविरंजित :		
	5407 51 11	----	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
20	5407 51 19	----	अन्य	व.मी.	8%
		---	विरंजित :		
	5407 51 21	----	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5407 51 29	----	अन्य	व.मी.	8%
	5407 52	--	रंजित :		
25	5407 52 10	---	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5407 52 20	---	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
	5407 52 30	---	टेरीलीन और डेक्रोन साड़ियां	व.मी.	8%
	5407 52 40	---	पालिएस्टर साड़ियां	व.मी.	8%
	5407 52 90	---	अन्य	व.मी.	8%
30	5407 53 00	--	विभिन्न रंगों के सूत का	व.मी.	8%
	5407 54	--	छपेः		
	5407 54 10	---	टेरीलीन और डैक्रोन साड़ियां	व.मी.	8%
	5407 54 20	---	पालिएस्टर शर्टिंग	व.मी.	8%
	5407 54 30	---	पालिएस्टर साड़ियां	व.मी.	8%
35	5407 54 90	---	अन्य	व.मी.	8%
		-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिनमें पालिएस्टर फिलामेंट, भार के आधार		
			पर, 85% या उससे अधिक हो :		
	5407 61	--	जिसमें असंव्यूतित पालिएस्टर फिलामेंट, भार के आधार पर,		
			85% या उससे अधिक हो :		
40	5407 61 10	---	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5407 61 20	---	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
	5407 61 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5407 69 00	--	अन्य	व.मी.	8%
		-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिसमें संश्लिष्ट फिलामेंट भार के आधार		
45			पर 85 प्रतिशत या उससे अधिक है :		
	5407 71	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5407 71 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5407 71 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5407 72 00	--	रंजित	व.मी.	8%
50	5407 73 00	--	विभिन्न रंगों के सूत का	व.मी.	8%
	5407 74 00	--	छपे हुए	व.मी.	8%
		-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिसमें संश्लिष्ट फिलामेंट, जिसमें मुख्यतः		
			या पूर्णतः काटन मिला हो, भार के आधार पर, 85 प्रतिशत		
			या उससे कम है :		
55	5407 81	--	अविरंजित या विरंजित :		
		---	अविरंजित :		
	5407 81 11	----	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
	5407 81 12	----	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5407 81 13	----	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
5407 81 14	----	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
5407 81 15	----	टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ियां	व.मी.	8%
5407 81 16	----	पालिएस्टर धोती	व.मी.	8%
5407 81 19	----	अन्य	व.मी.	8%
	---	विरंजित :		
5407 81 21	----	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
5407 81 22	----	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 81 23	----	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
5407 81 24	----	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
5407 81 25	----	टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ियां	व.मी.	8%
5407 81 26	----	पालिएस्टर धोती	व.मी.	8%
5407 81 29	----	अन्य	व.मी.	8%
5407 82	--	रंजित :		
5407 82 10	---	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
5407 82 20	---	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 82 30	---	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
5407 82 40	---	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
5407 82 50	---	टेरीलीन और डैक्रॉन साड़ियां	व.मी.	8%
5407 82 60	---	लूंगी	व.मी.	8%
5407 82 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5407 83 00	--	विभिन्न रंगों के सूत का	व.मी.	8%
5407 84	--	छपे हुए :		
5407 84 10	---	नायलान जार्जेट	व.मी.	8%
5407 84 20	---	नायलान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 84 30	---	पालिएस्टर शर्टिंग्स	व.मी.	8%
5407 84 40	---	पालिएस्टर सूटिंग्स	व.मी.	8%
5407 84 50	---	टेरीलीन और डैक्रान साड़ियां	व.मी.	8%
5407 84 60	---	लूंगी	व.मी.	8%
5407 84 70	---	पालिएस्टर साड़ियां	व.मी.	8%
5407 84 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
5407 91	--	अविरंजित या विरंजित :		
5407 91 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5407 91 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5407 92 00	--	रंजित	व.मी.	8%
5407 93 00	--	विभिन्न रंगों के सूत का	व.मी.	8%
5407 94 00	--	छपे हुए	व.मी.	8%
5408		**कृत्रिम फिलामेंट सूत के व्यूतित फैब्रिक, जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 5405 की सामग्रियों से प्राप्त व्यूतित फैब्रिक हैं**		
5408 10 00	-	विस्कोस रेयान के, उच्च लगिष्णुता सूत से प्राप्त व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक, जिनमें कृत्रिम फिलामेंट पट्टी या वैसी ही वस्तुएं भार के आधार पर, 85 प्रतिशत या उससे अधिक हैं :		
5408 21	--	अविरंजित या विरंजित :		
5408 21 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5408 21 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5408 22	--	रंजित :		
	---	रेयॉन की फैब्रिक :		
5408 22 11	----	रेयॉन क्रेप फैब्रिक	व.मी.	8%
5408 22 12	----	रेयॉन जैकर्ड्स	व.मी.	8%
5408 22 13	----	रेयॉन ब्रोकेड्स	व.मी.	8%
5408 22 14	----	रेयॉन जार्जेट	व.मी.	8%
5408 22 15	----	रेयॉन टाफ्टा	व.मी.	8%
5408 22 16	----	रेयॉन सूटिंग्स	व.मी.	8%
5408 22 17	----	रेयॉन शर्टिंग्स	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5408 22 18	----	रेयॉन साड़ियां	व.मी.	8%
	5408 22 19	----	अन्य	व.मी.	8%
5	5408 22 20	---	अनवरत फिलामेंट के फैब्रिक्स, रेयॉन को छोड़कर	व.मी.	8%
	5408 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5408 23 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
	5408 24	--	छपे हुए :		
		---	रेयॉन के :		
10	5408 24 11	----	रेयॉन क्रेप फैब्रिक	व.मी.	8%
	5408 24 12	----	रेयॉन जैकड्र्स	व.मी.	8%
	5408 24 13	----	रेयॉन ब्रोकेड्स	व.मी.	8%
	5408 24 14	----	रेयॉन जार्जेट	व.मी.	8%
	5408 24 15	----	रेयॉन टाफ्टा	व.मी.	8%
15	5408 24 16	----	रेयॉन सूटिंग्स	व.मी.	8%
	5408 24 17	----	रेयॉन शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5408 24 18	----	रेयॉन साड़ियां	व.मी.	8%
	5408 24 19	----	अन्य	व.मी.	8%
	5408 24 90	---	अन्य	व.मी.	8%
20		-	अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
	5408 31	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5408 31 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5408 31 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5408 32	--	रंजित :		
25		---	रेयॉन के फ्रैब्रिक :		
	5408 32 11	----	रेयॉन ब्रोकेड्स	व.मी.	8%
	5408 32 12	----	रेयॉन जार्जेट	व.मी.	8%
	5408 32 13	----	रेयॉन टाफ्टा	व.मी.	8%
	5408 32 14	----	रेयॉन सूटिंग्स	व.मी.	8%
30	5408 32 15	----	रेयॉन शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5408 32 19	----	अन्य	व.मी.	8%
	5408 32 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5408 33 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
	5408 34	--	छपे हुए :		
35		---	रेयॉन के फैब्रिक :		
	5408 34 11	----	रेयॉन क्रेप फैब्रिक	व.मी.	8%
	5408 34 12	----	रेयॉन जैकड्र्स	व.मी.	8%
	5408 34 13	----	रेयॉन ब्रोकेड्स	व.मी.	8%
	5408 34 14	----	रेयॉन जार्जेट	व.मी.	8%
40	5408 34 15	----	रेयॉन टाफ्टा	व.मी.	8%
	5408 34 16	----	रेयॉन सूटिंग्स	व.मी.	8%
	5408 34 17	----	रेयॉन शर्टिंग्स	व.मी.	8%
	5408 34 18	----	रेयॉन साड़ियां	व.मी.	8%
	5408 34 19	----	अन्य	व.मी.	8%
45	5408 34 20	---	अनवरत फिलामेंट के फैब्रिक, रेयॉन को छोड़कर	व.मी.	8%
	5408 34 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5512		**संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर के व्यूतित फैब्रिक, जिनमें संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85% या उससे अधिक हैं**		
		-	जिसमें पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर,		
50			85% या उससे अधिक हैं :		
	5512 11	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5512 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5512 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5512 19	--	अन्य :		
55	5512 19 10	---	रंजित	व.मी.	8%
	5512 19 20	---	छपे हुए	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5512 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	जिसमें एक्रिलिक या मोडएक्रिलिक स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85% या उससे अधिक है :		
5512 21	--	अविरंजित या विरंजित :		
5512 21 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5512 21 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5512 29	--	अन्य :		
5512 29 10	---	रंजित	व.मी.	8%
5512 29 20	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5512 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	अन्य :		
5512 91	--	अविरंजित या विरंजित :		
5512 91 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5512 91 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5512 99	--	अन्य :		
5512 99 10	---	रंजित	व.मी.	8%
5512 99 20	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5512 99 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5513		**संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर के व्यूतित फैब्रिकस, जिनमें ऐसे फाइबर, भार के आधार पर, 85% से कम हैं, और जो 170 ग्रा./मी.^{2} मीटर से अनधिक भार के कपास के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित हैं**		
	-	अविरंजित या विरंजित :		
5513 11	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूतित के :		
5513 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5513 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5513 12	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है :		
5513 12 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5513 12 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5513 13	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
5513 13 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5513 13 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5513 19	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
5513 19 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5513 19 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	-	रंजित :		
5513 21 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूतित के	व.मी.	8%
5513 22 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
5513 23 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5513 29 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
	-	विभिन्न रंगों के सूत के :		
5513 31 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	व.मी.	8%
5513 32 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
5513 33 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5513 39 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
	-	रंजित :		
5513 41 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	व.मी.	8%
5513 42 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
5513 43 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5513 49 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
5514		**संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर के व्यूतित फैब्रिकस, जिनमें ऐसे फाइबर, भार के आधार पर, 85% से कम हैं, और जो 170 ग्रा./मी.^{2} से अधिक भार के कपास के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित हैं**		
	-	अविरंजित या विरंजित :		
5514 11	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के :		

टैरिफ मद			माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)			(2)	(3)	(4)
	5514 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5514 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5514 12	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है :		
	5514 12 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5514 12 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5514 13	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
	5514 13 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5514 13 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5514 19	--	अन्य :		
	5514 19 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5514 19 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
		-	रंजित :		
	5514 21 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	व.मी.	8%
	5514 22 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
	5514 23 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूति फैब्रिक	व.मी.	8%
	5514 29 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
		-	विभिन्न रंगों के सूत के :		
	5514 31 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति, के	व.मी.	8%
	5514 32 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
	5514 33 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूति फैब्रिक	व.मी.	8%
	5514 39 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
		-	रंजित :		
	5514 41 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर, सादा व्यूति के	व.मी.	8%
	5514 42 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का 3-धागा या 4-धागा ट्वील, जिसके अंतर्गत क्रास ट्वील भी है	व.मी.	8%
	5514 43 00	--	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के, अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
	5514 49 00	--	अन्य व्यूतित फैब्रिक	व.मी.	8%
	5515		**संश्लिष्ट स्टेपल फाइबर के अन्य व्यूतित फैब्रिक**		
		-	पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के :		
	5515 11	--	विस्कोस रेयॉन स्टेपल फाइबर के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
	5515 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5515 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5515 11 30	---	रंजित	व.मी.	8%
	5515 11 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
	5515 11 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5515 12	--	मानवनिर्मित फिलामेंट के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
	5515 12 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5515 12 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5515 12 30	---	रंजित	व.मी.	8%
	5515 12 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
	5515 12 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5515 13	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
	5515 13 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5515 13 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5515 13 30	---	रंजित	व.मी.	8%
	5515 13 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
	5515 13 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5515 19	--	अन्य :		
	5515 19 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5515 19 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5515 19 30	---	रंजित	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5515 19 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	एक्रिलिक या मोडएक्रिलिक स्टेपल फाइबर के :		
5515 21	--	मानवनिर्मित फिलामेंट के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
5515 21 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 21 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 21 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 21 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 21 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5515 22	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
5515 22 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 22 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 22 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 22 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5515 29	--	अन्य :		
5515 29 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 29 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 29 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 29 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 29 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
5515 91	--	मानवनिर्मित फिलामेंट के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
5515 91 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 91 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 91 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 91 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 91 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5515 92	--	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित :		
5515 92 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 92 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 92 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 92 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 92 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5515 99	--	अन्य :		
5515 99 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5515 99 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5515 99 30	---	रंजित	व.मी.	8%
5515 99 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5515 99 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5516		**कृत्रिम स्टेपल फाइबर के व्यूतित फैब्रिक**		
	-	जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85 प्रतिशत या उससे अधिक है :		
5516 11	--	अविरंजित या विरंजित :		
5516 11 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5516 11 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5516 12 00	--	रंजित	व.मी.	8%
5516 13 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
5516 14	--	छपे हुए :		
5516 14 10	---	कता रेयॉन छपे हुए शानतुंग	व.मी.	8%
5516 14 20	---	कता रेयॉन छपे हुए वस्त्र	व.मी.	8%
5516 14 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	-	जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85% से कम हैं, और जो मानवनिर्मित फिलामेंट के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित हैं :		
5516 21	--	अविरंजित या विरंजित :		
5516 21 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5516 21 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5516 22 00	--	रंजित	व.मी.	8%
5	5516 23 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
	5516 24 00	--	छपे हुए :		
		-	जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85% से कम हैं, और जो ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित हैं :		
10	5516 31	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5516 31 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5516 31 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5516 32 00	--	रंजित	व.मी.	8%
	5516 33 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
15	5516 34 00	--	छपे हुए	व.मी.	8%
		-	जिसमें कृत्रिम स्टेपल फाइबर, भार के आधार पर, 85% से कम हैं, और जो कपास के साथ मुख्यतः या एकमात्र रूप से मिश्रित हैं :		
	5516 41	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5516 41 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
20	5516 41 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5516 42 00	--	रंजित	व.मी.	8%
	5516 43 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
	5516 44 00	--	छपे हुए :		
		-	अन्य :		
25	5516 91	--	अविरंजित या विरंजित :		
	5516 91 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
	5516 91 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
	5516 92 00	--	रंजित	व.मी.	8%
	5516 93 00	--	विभिन्न रंगों के सूत के	व.मी.	8%
30	5516 94 00	--	छपे हुए :		
	5801		**व्यूतित रोंआ फैब्रिक और शनील फैब्रिक, शीर्ष सं0 5802 या 5806 के फैब्रिक से भिन्न**		
	5801 10 00	-	ऊन	व.मी.	5%
		-	कपास के :		
35	5801 21 00	--	अकर्तित बाना रोंआ फैब्रिक	व.मी.	8%
	5801 22	--	कर्तित मोटा सूती कपड़ा :		
	5801 22 10	---	एकमात्र कपास	व.मी.	8%
	5801 22 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5801 23 00	--	अन्य बाना रोंआ फैब्रिक	व.मी.	8%
40	5801 24 00	--	ताना रोंआ फैब्रिक 'इपिंगल' (अकर्तित)	व.मी.	8%
	5801 25 00	--	ताना रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व.मी.	8%
	5801 26 00	--	शनील फैब्रिक	व.मी.	8%
		-	मानवनिर्मित फाइबर के :		
	5801 31 00	--	अकर्तित बाना रोंआ फैब्रिक	व.मी.	8%
45	5801 32 00	--	कर्तित मोटा सूती कपड़ा	व.मी.	8%
	5801 33 00	--	अन्य बाना रोंआ फैब्रिक	व.मी.	8%
	5801 34	-	ताना रोंआ फैब्रिक 'इपिंगल' (अकर्तित) :		
	5801 34 10	---	वैलवेट	व.मी.	8%
	5801 34 90	---	अन्य	व.मी.	8%
50	5801 35 00	--	ताना रोंआ फैब्रिक, कर्तित	व.मी.	8%
	5801 36	--	शनील फैब्रिक :		
	5801 36 10	---	मोटा सूती कपड़ा	व.मी.	8%
	5801 36 90	---	अन्य	व.मी.	8%
	5802		**रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रोंआदार फैब्रिक**		
55			**शीर्ष सं0 5806 के संकीर्ण फैब्रिक से भिन्न; मूर्धित टेक्सटाइल शीर्ष सं0 5703 के उत्पादों से भिन्न**		
		-	रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रोंआदार फैब्रिक, कपास के :		
	5802 11 00	--	अविरंजित	व.मी.	8%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5802 19	--	अन्य :		
5802 19 10	---	विरंजित	व.मी.	8%
5802 19 20	---	रंजित थान	व.मी.	8%
5802 19 30	---	सूत रंजित	व.मी.	8%
5802 19 40	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5802 19 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5802 30 00	-	मूर्धित टेक्सटाइल फैब्रिक	व.मी.	8%
5803		**गाज ; शीर्ष सं0 5806 के संकीर्ण फैब्रिक से भिन्न**		
5803 10	-	सूत की :		
5803 10 10	---	अविरंजित	व.मी.	8%
5803 10 20	---	विरंजित	व.मी.	8%
5803 10 30	---	रंजित थान	व.मी.	8%
5803 10 40	---	सूत रंजित	व.मी.	8%
5803 10 50	---	छपे हुए	व.मी.	8%
5803 10 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5803 90	-	अन्य टेक्सटाइल सामग्री की :		
5803 90 10	---	रेशम या रेशम अपशिष्ट के	व.मी.	8%
5803 90 20	---	संश्लिष्ट फाइबर के	व.मी.	8%
5803 90 30	---	कृत्रिम फाइबर के	व.मी.	8%
5803 90 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5804		**शीर्ष सं0 6002 से शीर्ष सं0 6006 तक के फैब्रिक से भिन्न टूल और अन्य जाली फैब्रिक, जिसके अंतर्गत व्यूतित, बुने हुए या क्रोशियाकृत फैब्रिक नहीं हैं ; लेस नग में, पट्टियों में या मोटिफ में भी सम्मिलित हैं**		
	-	मशीन निर्मित लेस :		
5804 21 00	--	मानवनिर्मित फाइबर के	कि.ग्रा.	8%
5804 29	--	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :		
5804 29 10	---	कपास के	कि.ग्रा.	8%
5806		**संकीर्ण व्यूतित फैब्रिक, शीर्ष सं0 5807 के माल से भिन्न; संकीर्ण फैब्रिक जिसमें आसंजक के माध्यम से समुच्चयित बाना के बिना ताना (बोल्डक्स) है**		
5806 10 00	-	व्यूतित रोंआ फैब्रिक (जिसके अंतर्गत रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही रोंआदार फैब्रिक है) और शनील फैब्रिक	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 20 00	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक जिसमें प्रत्यास्थल की सूत या रबड़ का धागा भार के आधार पर 5 प्रतिशत या उससे अधिक है	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	-	अन्य व्यूतित फैब्रिक :		
5806 31	--	कपास के :		
5806 31 10	---	टाइपराइटर रिबन कपड़ा	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 31 20	---	निवाड़ कपास	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 31 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 32 00	--	मानवनिर्मित फाइबर के	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 39	--	अन्य टेक्सटाइल सामग्री के :		
5806 39 10	---	बकरी बाल पुटीज टेप	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 39 20	---	जूट का कपड़ा	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 39 30	---	जूट के अन्य संकीर्ण फैब्रिक	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5806 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5810		**कशीदाकारी, नग में, पट्टियों में या मोटिफों में (विद्युत से प्रचालित ऊर्ध्वतः प्रकार की आटोमेटिक शटल कशीदाकारी मशीनों की सहायता से विनिर्मित)**		
5810 10 00	-	दृश्य आधार के बिना कशीदाकारी	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
	-	अन्य कशीदाकारी :		
5810 91 00	--	कपास की	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5810 92	--	मानवनिर्मित फाइबर की :		
5810 92 10	---	कशीदाकारी बैज, मोटिफों और वैसे ही	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5810 92 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	कुछ नहीं
5810 99 00	--	अन्य टेक्सटाइल सामग्रियों की	कि.ग्रा.	कुछ नहीं

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
5901	--	**गोंद या वैसे ही मंडित पदार्थों से विलेपित इस प्रकार के टेक्सटाइल फैब्रिक जिनका उपयोग पुस्तकों या वैसी ही वस्तुओं के बाहरी आवरण के लिए किया जाता है; अनुरेखण कपड़ा ; तैयार चित्रण कैनवस; इस प्रकार के बुकरम और वैसे ही दृढ़ीकृत टेक्सटाइल फैब्रिक जिनका उपयोग हैट आधारों के रूप में किया जाता है**		
5901 10	-	गोंद या वैसे ही मंडित पदार्थों से विलेपित इस प्रकार के टेक्सटाइल फैब्रिक जिनका उपयोग पुस्तकों या वैसी ही वस्तुओं के बाहरी आवरण के लिए किया जाता है :		
5901 10 10	---	कपास के	व.मी.	8%
5901 10 20	---	तैयार चित्रण कैनवस	व.मी.	8%
5901 10 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5901 90	-	अन्य :		
5901 90 10	---	सूत के अनुरेखण कपड़ा	व.मी.	8%
5901 90 20	---	वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिक फैब्रिक (इंपायर फैब्रिक) टेप	व.मी.	8%
5901 90 90	---	अन्य	व.मी.	8%
5902		**नायलान या अन्य पोलिएमाइड, पालिएस्टर या विस्कोस रेयॉन के उच्च लगिष्णुता सूत के टायर रज्जु फैब्रिक**		
5902 10	-	नायलान या अन्य पोलिएमाइड के :		
5902 10 10	---	रबड़ के साथ संसेचित	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5902 10 90	---	अन्य	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5902 20	-	पालिएस्टर के :		
5902 20 10	---	रबड़ के साथ संसेचित	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5902 20 90	---	अन्य	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5902 90	-	अन्य :		
5902 30 10	---	रबड़ के साथ संसेचित	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5902 30 90	---	अन्य	व.मी.	10 रु0 प्रति कि.ग्रा.
5903		**टेक्सटाइल फैब्रिक, संसेचित, विलेपित, आच्छादित या प्लास्टिक के साथ पटलित, शीर्ष सं0 5902 से भिन्न**		
5903 10	-	पालिविनाइल क्लोराइड सहित :		
5903 10 10	---	सूत के नकली चमड़ा फैब्रिक	व.मी.	5%
5903 10 90	---	अन्य	व.मी.	5%
5903 20	-	पोलियूरथिेन सहित :		
5903 20 10	---	सूत के नकली चमड़ा फैब्रिक	व.मी.	5%
5903 20 90	---	अन्य	व.मी.	5%
5903 90	-	अन्य :		
5903 90 10	---	सूत के	व.मी.	5%
5903 90 20	---	पालिथिलेन संसेचित जूट फैब्रिक	व.मी.	5%
5903 90 90	---	अन्य	व.मी.	5%
5907		**टेक्सटाइल फ्लाक या निर्मिति सहित भागतः या पूर्णतः आच्छादित फैब्रिक, जिसमें टेक्सटाइल फ्लाक है**		
	---	टेक्सटाइल फ्लाक या निर्मिति सहित भागतः या पूर्णतः आच्छादित फैब्रिक, जिसमें टेक्सटाइल फ्लाक है :		
5907 00 11	----	सूत के फैब्रिकों पर आधारित	व.मी.	5%
5907 00 12	----	मानव निर्मित टेक्सटाइल सामग्री के फैब्रिकों पर आधारित	व.मी.	5%
6001		**रोंआ फैब्रिक, जिसके अंतर्गत बुने या क्रोशियाकृत "लंबे रोंआ फैब्रिक" और रोंआदार फैब्रिक हैं**		
6001 10	-	"लंबे रोंआ" फैब्रिक :		
6001 10 10	---	सूत के	कि.ग्रा.	8%
6001 10 20	---	मानव निर्मित फाइबर के	कि.ग्रा.	8%
	-	अन्य :		
6001 21 00	--	सूत के	कि.ग्रा.	8%
6001 22 00	--	मानव निर्मित फाइबर के	कि.ग्रा.	8%
	-	अन्य :		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
6002		**बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 सें0मी0 से अधिक चौड़ाई के, जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा है, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 में है**		5
6002 40 00	-	जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत है किंतु रबड़ धागा नहीं है	कि.ग्रा.	8%
6002 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	8%
6003		**बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 से0 मी0 से अनधिक चौड़ाई के, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 या 6002 में है**		10
6003 10 00	-	ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के	कि.ग्रा.	8%
6003 20 00	-	सूत के	कि.ग्रा.	8%
6003 30 00	-	संश्लिष्ट फाइबर के	कि.ग्रा.	8%
6003 40 00	-	कृत्रिम फाइबर के	कि.ग्रा.	8%
6003 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	8% 15
6004		**बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक, 30 सैं0मी0 से अधिक चौड़ाई के, जिनमें 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत या रबड़ धागा है, उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 में है**		
6004 10 00	-	जिनमें भार के आधार पर, 5 प्रतिशत या अधिक प्रत्यास्थलकी सूत है किंतु रबड़ धागा नहीं है	कि.ग्रा.	8% 20
6004 90 00	-	अन्य	कि.ग्रा.	8%
6005		**ताना बुना फैब्रिक (जिसके अंतर्गत गैलून बुनाई मशीनों पर बने फैब्रिक भी हैं), उनसे भिन्न जो शीर्ष 6001 से 6004 में हैं**		
	--	सूत के :		
6005 21 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8% 25
6005 22 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6005 23 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6005 24 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%
	-	संश्लिष्ट फाइबर के :		
6005 31 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8% 30
6005 32 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6005 33 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6005 34 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%
	-	कृत्रिम फाइबर के :		
6005 41 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8% 35
6005 42 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6005 43 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6005 44 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%
6006		**अन्य बुना और क्रोशियाकृत फैब्रिक**		
	-	सूत के :		40
6006 21 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 22 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 23 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6006 24 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%
	-	संश्लिष्ट फाइबर के :		45
6006 31 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 32 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 33 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6006 34 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%
	-	कृत्रिम फाइबर के :		50
6006 41 00	--	अविरंजित या विरंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 42 00	--	रंजित	कि.ग्रा.	8%
6006 43 00	--	विभिन्न रंगों के सूतों के	कि.ग्रा.	8%
6006 44 00	--	छपे हुए	कि.ग्रा.	8%

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 118 देखिए]

'अनुसूची

[धारा 3 देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में "शीर्ष", "उपशीर्ष", "टैरिफ मद" और "अध्याय" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची का क्रमशः कोई शीर्ष, उपशीर्ष, टैरिफ मद और अध्याय अभिप्रेत है ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और पहली अनुसूची के अनुभाग तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के निर्वचन के नियम, इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के वर्गीकरण के प्रयोजनों के संबंध में लागू होंगे ।

क्रम सं0	**माल का वर्णन**
(1)	(2)
1.	रेशम, अर्थात् अध्याय 50 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।
2.	ऊन, अर्थात् अध्याय 51 के अंतर्गत आने वाले सभी माल, शीर्ष संख्या 5111, 5112 और 5113 के फैब्रिक से भिन्न।
3.	कपास, अर्थात् अध्याय 52 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।
4.	मानव निर्मित फिलामेंट, अर्थात् अध्याय 54 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।
5.	मानव निर्मित स्टैपल फाइबर, अर्थात् अध्याय 55 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।
6.	शीर्ष संख्या 5802 के अंतर्गत आने वाला रोंआदार तौलिया कपड़ा और वैसे ही व्यूतित रोंआदार फैब्रिक ।
7.	शीर्ष 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 के फैब्रिकों से भिन्न टूल और अन्य जाली फ्रैब्रिक, जिसके अन्तर्गत व्यूतित,बुने हुए या क्रोशियाकृत फ्रैब्रिक नहीं है; लेस नग में, पट्टियों में या मोटिफ में।
8.	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक अर्थात् अध्याय 60 के अंतर्गत आने वाले सभी माल ।
9.	शीर्ष 5605 के अंतर्गत आने वाला धात्विकृत सूत ।
10.	शीर्ष 5810 के अंतर्गत आने वाली कशीदाकारी, नग में, पट्टियों में या मोटिफों में ।'।

website: http://indiabudget.nic.in

बारहवीं अनुसूची

[धारा 122 देखिए]

'सातवीं अनुसूची

[धारा 136 देखिए]

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची में क्रमशः कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत हैं ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, पहली अनुसूची का अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण इस अनुसूची के निर्वचन के संबंध में लागू होंगे ।

टैरिफ मद		**माल का वर्णन**	**इकाई**	**अतिरिक्त शुल्क की दर**
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**
2106 90 20	---	पान मसाला	कि.ग्रा.	23%
2402 20 10	---	60 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरटों से भिन्न	संख्या हजार में	20 रु0 प्रति हजार
2402 20 20	---	60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरटों से भिन्न	संख्या हजार में	60 रु0 प्रति हजार
2402 20 30	---	70 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	90 रु0 प्रति हजार
2402 20 40	---	70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	145 रु0 प्रति हजार
2402 20 50	---	75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेटें (जिनके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई है, फिल्टर की लंबाई जो 11 मिलीमीटर है या उसकी वास्तविक लंबाई है, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	190 रु0 प्रति हजार
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	235 रु0 प्रति हजार
2402 90 10	---	तंबाकू अनुकल्प की सिगरेट	संख्या हजार में	150 रु0 प्रति हजार
2403 10 10	---	हुक्का या गुड़ाकु तंबाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 10 20	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि.ग्रा.	45%
2403 10 31	----	कागजवेल्लित बीड़ियों से भिन्न मशीन की सहायता के बिना विनिर्मित	संख्या हजार में	1.00 रु0 प्रति हजार
2403 10 39	----	अन्य	संख्या हजार में	2.00 रु0 प्रति हजार
2403 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
2403 91 00	--	"समांगीकृत" या " पुर्नरचित" " तम्बाकू"	कि.ग्रा.	10%
2403 99 10	---	चबाने वाला तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 99 20	---	चबाने वाली तम्बाकू वाली विनिर्मितियां	कि.ग्रा.	10%
2403 99 30	---	जर्दा सुगंधित तम्बाकू	कि.ग्रा.	10%
2403 99 40	---	नस्वार	कि.ग्रा.	10%
2403 99 50	---	नस्वार वाली विनिर्मितियां	कि.ग्रा.	10%
2403 99 60	---	तम्बाकू निष्कर्ष और सत	कि.ग्रा.	10%
2403 99 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%
2709 00 00		**पेट्रोलियम तेल और बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त कच्चा तेल**	कि.ग्रा.	50 रु0 प्रति टन
5402 20	-	पॉलिएस्टर का उच्च लगिष्णुता सूत :		
5402 20 10	---	टेरीलीन डैक्रान	कि.ग्रा.	1%
5402 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	1%
5402 33 00	--	पॉलिएस्टर का	कि.ग्रा.	1%
5402 42 00	--	पॉलिएस्टर का, भागतः अभिविन्यस्त	कि.ग्रा.	1%
5402 43 00	--	पॉलिएस्टर का, अन्य	कि.ग्रा.	1%
5402 52 00	--	पॉलिएस्टर का	कि.ग्रा.	1%

	टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
	(1)		(2)	(3)	(4)
	5402 62 00	--	पॉलिएस्टर का	कि.ग्रा.	1%
	8702 10	-	संपीड़न प्रज्वलन अंतरदहन पिस्टन इंजन (डीजल या अर्ध-डीजल) :		
5		---	13 व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए यान, जिसमें चालक भी है :		
	8702 10 11	----	एकीकृत मोनोकोक्यू यान	इ0	1%
	8702 10 12	----	वातानुकूलित यान	इ0	1%
	8702 10 19	----	अन्य	इ0	1%
	8702 90	-	अन्य :		
10		---	13 व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए यान, जिसमें चालक भी है :		
	8702 90 11	----	एकीकृत मोनोकोक्यू यान	इ0	1%
	8702 90 12	----	वातानुकूलित यान	इ0	1%
	8702 90 13	----	विद्युत रूप से प्रचालित	इ0	1%
15	8702 90 19	----	अन्य	इ0	1%
	8702 90 20	---	विद्युत रूप से प्रचालित ऐसे यान जो अन्यत्र सम्मिलित या विनिर्दिष्ट नहीं हैं	इ0	1%
	8703 10	-	बर्फ पर यात्रा करने के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित यान; गोल्फ कारें और वैसे ही यान :		
20	8703 10 10	---	विद्युत रूप से प्रचालित	इ0	1%
	8703 10 90	---	अन्य	इ0	1%
		-	अन्य यान, जिनमें स्फुलिंग प्रज्वलन अंतर्दहन प्रत्यागामी पिस्टन इंजन हैः		
	8703 21	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 1,000 सीसी से अधिक नहीं है :		
	8703 21 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से		
25			अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
	8703 21 20	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
		---	अन्य :		
	8703 21 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
	8703 21 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
30	8703 21 99	----	अन्य	इ0	1%
	8703 22	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 1,000 सीसी से अधिक है किन्तु 1500 सीसी से अधिक नहीं है :		
	8703 22 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
35	8703 22 20	---	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
	8703 22 30	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
		---	अन्य :		
	8703 22 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
	8703 22 99	----	अन्य	इ0	1%
40	8703 23	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 1,500 सीसी से अधिक है किन्तु 3000 सीसी से अधिक नहीं है :		
	8703 23 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
	8703 23 20	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
45		---	अन्य :		
	8703 23 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
	8703 23 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
	8703 23 99	----	अन्य	इ0	1%
	8703 24	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 3,000 सीसी से अधिक है :		
50	8703 24 10	---	सात से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिसमें चालक भी है	इ0	1%
	8703 24 20	--	तीन पहिया यान	इ0	1%
		---	अन्य :		
	8703 24 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
55	8703 24 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8703 24 99	----	अन्य	इ0	1%
	-	अन्य यान, संपीड़न, प्रज्वलन, अंतर्दहन पिस्टन ईंधन (डीजल या अर्ध डीजल) सहित :		
8703 31	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 1,500 सीसी से अधिक नहीं है :		
8703 31 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
8703 31 20	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
	---	अन्य :		
8703 31 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
8703 31 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
8703 31 99	----	अन्य	इ0	1%
8703 32	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 1,500 सीसी से अधिक है किन्तु 2500 सीसी से अधिक नहीं है :		
8703 32 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
8703 32 20	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
	---	अन्य :		
8703 32 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
8703 32 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
8703 32 99	----	अन्य	इ0	1%
8703 33	--	जिनकी सिलेंडर धारिता 2500 सीसी से अधिक है :		
8703 33 10	---	सात व्यक्तियों से अधिक के परिवहन के लिए मुख्य रूप से अभिकल्पित यान, जिनमें चालक भी है	इ0	1%
8703 33 20	---	तीन पहिया यान	इ0	1%
	---	अन्य :		
8703 33 91	----	मोटर कारें	इ0	1%
8703 33 92	----	एम्बुलेंस, कैदी वैन और ऐसे ही विशेषीकृत परिवहन यान	इ0	1%
8703 33 99	----	अन्य	इ0	1%
8703 90	-	अन्य :		
8703 90 10	---	विद्युत रूप से प्रचालित	इ0	1%
8703 90 90	---	अन्य	इ0	1%
8704		**माल के परिवहन के लिए मोटर यान**		
	-	अन्य, स्फुलिंग, प्रज्वलन, अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :		
8704 31	--	5 टन से जी.बी.डब्ल्यू अधिक नहीं है :		
8704 31 10	---	प्रशीतित	इ0	1%
8704 31 90	---	अन्य	इ0	1%
8704 32	--	5 टन से जी.बी.डब्ल्यू अधिक है :		
	---	लारी और ट्रक :		
8704 32 11	----	प्रशीतित	इ0	1%
8704 32 19	----	अन्य	इ0	1%
8704 32 90	---	अन्य	इ0	1%
8704 90	-	अन्य :		
	---	लारी और ट्रक :		
8704 90 11	----	प्रशीतित	इ0	1%
8704 90 12	----	विद्युत रूप से प्रचालित	इ0	1%
8704 90 19	----	अन्य	इ0	1%
8704 90 90	---	अन्य	इ0	1%
	---	शीर्ष सं0 8702 के यानों के लिए :		
8706 00 21	----	तेरह व्यक्तियों से अन्यून के परिवहन के लिए जिनमें चालक भी है	इ0	1%
	---	शीर्ष सं0 8703 के यानों के लिए :		
8706 00 31	----	तीन पहिया यान	इ0	1%
8706 00 39	----	अन्य	इ0	1%
	---	शीर्ष सं0 8704 के यानों के लिए :		

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
8706 00 43	----	शीर्ष सं0 8704 में आच्छादित डम्परों के लिए	इ0	1%
8706 00 49	----	अन्य	इ0	1%
8711 10	-	50 सीसी से अनधिक सिलेंडर धारिता के प्रत्यागामी अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :		
8711 10 10	---	मोपेड	इ0	1%
8711 10 20	---	मोटर लगी साइकिलें	इ0	1%
8711 10 90	---	अन्य	इ0	1%
8711 20	-	50 सीसी से अधिक किंतु 250 सीसी से अनधिक सिलेंडर धारिता के प्रत्यागामी अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :		
	---	स्कूटर :		
8711 20 11	----	75 सीसी से अनधिक की धारिता वाले सिलेंडर	इ0	1%
8711 20 19	----	अन्य	इ0	1%
	---	मोटर साइकिलें :		
8711 20 21	----	75 सीसी से अनधिक की धारिता वाले सिलेंडर	इ0	1%
8711 20 29	----	अन्य	इ0	1%
	---	मोपेड :		
8711 20 31	----	75 सीसी से अनधिक की धारिता वाले सिलेंडर	इ0	1%
8711 20 39	----	अन्य	इ0	1%
	---	अन्य :		
8711 20 91	----	75 सीसी से अनधिक की धारिता वाले सिलेंडर	इ0	1%
8711 20 99	----	अन्य	इ0	1%
8711 30	-	250 सीसी से अधिक किंतु 500 सीसी से अनधिक सिलेंडर धारिता के प्रत्यागामी अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :		
8711 30 10	---	स्कूटर	इ0	1%
8711 30 20	---	मोटर साइकिल	इ0	1%
8711 30 90	---	अन्य	इ0	1%
8711 40	-	500 सीसी से अधिक किंतु 800 सीसी से अनधिक सिलेंडर धारिता के प्रत्यागामी अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित :		
8711 40 10	---	मोटर साइकिल	इ0	1%
8711 40 90	---	अन्य	इ0	1%
8711 50 00	-	800 सीसी से अधिक सिलेंडर धारिता के प्रत्यागामी अंतर्दहन पिस्टन इंजन सहित	इ0	1%

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं।

नई दिल्ली,
28 फरवरी, 2005

पी० चिदम्बरम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के
अधीन
राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2005 के पत्र सं० फा० 2(5)-बी०(डी०)/2005 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त विधेयक, 2005 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2005 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

website: http://indiabudget.nic.in